लोक सभा

मंगलवार,
२४ अगस्त, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९-१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३-१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . . ३९५–४०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . . ४०६–४२४

अंक ७— मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०४, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . . ४२५–४७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२ . . . . . ४७३–४८४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . . ४८४–४९८

अंक ८— बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . . ४९९–५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . . ५४५–५४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . . ५४८–५६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . . . ५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०२, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४६२	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०— शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ | स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४६ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७७ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . १४७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६१, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८. ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६२, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक सभा

मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

लोक सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

पंजाब में नल-कूप

*३६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में पंजाब में कितने अनुसंधानात्मक नलकूप बनाये जायेंगे; और

(ख) इन नलकूपों की कुल लागत क्या होगी तथा पंजाब के किस भाग में वे बनाये जाने को हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) कोई नहीं । योजना के अन्तर्गत पंजाब को अस्थायी रूप से दिये गये लगभग ४६ नलकूपों के निर्माण के कार्यक्रम के केवल दूसरे भाग में जो जून १९५६ के कुछ समय पश्चात् प्रारम्भ होगा प्रारम्भ किये जाने की आशा है ।

(ख) इन ४६ नलकूपों की कुल लागत उनकी वास्तविक गहराई पर, तथा बरमाने के दौरान् में मिलने वाली तह पर निर्भर होगी ।

प्राथमिक भूतत्वीय अनुसंधानों के आधार पर गुड़गांव, रोहतक, हिसार, अम्बाला होशियारपुर तथा गुरदासपुर के जिले इन नलकूपों के निर्माण के लिये अस्थायी रूप से चुने गये हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या प्राथमिक भूतत्वीय अनुसंधान सभी ज़िलों में किया गया है ; यदि हां, तो इनमें से किस ज़िले को इन अनुसंधानात्मक नलकूपों की सबसे अधिक आवश्यकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं पंजाब के अधिकांश जिलों में नलकूप खोदे जा रहे हैं । केवल कुछ ही ज़िले ऐसे हैं जिनमें सिंचाई की दूसरी सुविधायें उपलब्ध होने की कोई संभावनायें नहीं हैं, तथा प्राथमिक भूतत्वीय अनुसंधान कार्य आवश्यक रूप से इन्हीं जिलों तक सीमित है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि इन ज़िलों को नलकूपों की बहुत आवश्यकता है तथा १९५६ तक ४६ नलकूपों का उपबन्ध पर्याप्त नहीं है ? इसके क्या कारण हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं तथा नलकूप सारे भारत में खोदे जाने को हैं । हम उपकरण तथा अन्य वस्तुएं अमेरिका से प्राप्त कर रहे हैं तथा हमें इनकी व्यवस्था प्रत्येक राज्य

की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार करनी पड़ती है, और पंजाब की बारी भी बहुत देर से नहीं बल्कि शीघ्र ही आने को है।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या भारत नलकूपों सम्बन्धा वस्तुओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी नहीं है, और यदि नहा है, तो कब तक उसे स्वावलम्बी बनाया जाने को है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय, जहां तक हमारी सूचना है, देश में जो कुछ भी उपकरण है उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि पंजाब में नलकूप खोदने का सारा ठेका हैरॉल्ड टी० स्मिथ नाम की एक फर्म को दिया गया है, और क्या यह भी सच नहीं है कि इन नलकूपों के लिये इस सार्थ को देश के दूसरे भागों की अपेक्षा कई हज़ार रुपये अधिक दिये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा निवेदन है कि प्रश्न का यह भाग इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल अनुसन्धानात्मक कूओं से है साधारण नलकूपों से नहीं है, जिनके सम्बन्ध में थोड़ा सा कार्य हैरॉल्ड टी० स्मिथ द्वारा किया गया है।

श्री वी० पी० नायर : यह उसी से उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं।

उत्तर प्रदेश में चीनी का वितरण

*३७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्थायी खाद्य तथा रसद समिति ने केन्द्रीय सरकार के व्यापारियों को सीधे चीनी बांटने की नीति पर आपत्ति की है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के पास चीनी के वितरण के लिए उपयुक्त व्यवस्था तथा अनुभव है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से यह काम क्यों ले लिया है;

(घ) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में चीनी के भाव असाधारण रूप से बढ़ गये थे; तथा

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने राज्य सरकार की चीनी की मांग के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ङ)। अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]**

श्री एम० एल० द्विवेदी : बयान में लिखा है :

> "उत्तर प्रदेश सरकार को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि राज्य सरकार चीनी का वितरण अपनी ही एजेंसियों द्वारा कराना चाहे तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।"

इस बयान के सिलसिले में क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सरकार से शकर के बांटने के सिलसिले में कोई मांग की ? अगर हां, तो सरकार ने क्या इन्तज़ाम किया ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्टेटमेंट में पूरी हालत बतलायी गयी है। मैं समझता हूं कि इसके सिवा कुछ उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : स्टेटमेंट में इस बात का पूरा पूरा बयान नहीं दिया गया है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शकर के बारे में इसके बाद क्या मांग की ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसके बाद मांग नहीं की क्योंकि जो शकर दी गयी है उसमें से उन्होंने या उनके एजेंट्स ने एक टन भी शूगर नहीं निकाली ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : बयान में दूसरी जगह लिखा हुआ है कि :

"·····कि राज्य सरकार के पास चीनी के वितरण के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ।"

मैं यह जानना चाहता था कि राशनिंग के वक्त जो मशीनरी उत्तर प्रदेश सरकार के पास थी क्या वह बिल्कुल बन्द कर दी गयी है और यदि नहीं बन्द की गयी है तो क्या कारण है कि उन्होंने यह उत्तर दिया कि मशीनरी काफी नहीं है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : ऐसा जवाब तो नहीं दिया गया । ऐसा ख्याल है कि वह मशीनरी नहीं रही है । यू० पी० गवर्नमेंट ने जितनी शकर मांगी थी हमने उनको ऑफ़र की लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा कि दूसरे ज़रिये से तक़सीम करें ताकि सस्ती रहे । जिस वक्त यू० पी० गवर्नमेंट को कोटा एलाट किया गया उस वक्त उसके लेने वाले कुछ पोलिटिकल्स भी थे । उन्होंने लेने से इंकार कर दिया ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : गवर्नमेंट ने जो कदम उठाये क्या उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में शकर के दाम घटे या बढ़े ?

श्री किदवई : अगर शकर के दाम कम न होते तो यू० पी० गवर्नमेंट ने जिनको शकर एलाट की थी वह उसको ले गये होते ।

स्थानीय स्वशासन मंत्रियों का सम्मेलन

*३८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) जून १९५४ में शिमला में हुई स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के सम्मेलन में किन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार तथा चर्चा की गई ;

(ख) क्या उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय किये गये; तथा

(ग) यदि हां तो वे निर्णय क्या थे, तथा सरकार उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा तथा विचार किये गये विषयों को दिखाने वाली कार्य सूची की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ख) जी हां ।

(ग) सम्मेलन ने दो समितियां बनाईं– पंचायत समिति तथा स्थानीय निकाय समिति जिन्होंने कार्यसूची की उन विभिन्न मदों पर जिससे वे क्रमशः सम्बन्धित थीं विचार किया । सम्मेलन की कार्यवाही, जिसमें दोनों समितियों के प्रतिवेदन तथा सम्मेलन के द्वारा पारित संकल्प भी सम्मिलित हैं मुद्रित की जा रही है तथा शीघ्र ही इसकी एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सम्मेलन द्वारा किये गये निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सम्मेलन के पास विभिन्न राज्यों के पंचायत अधिनियम का कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन था ?

राजकुमारी अमृतकौर : अवश्य, प्रतिवेदन था, किन्तु मंत्रियों ने स्वयं ही अपने अपने राज्यों में हो रही घटनाओं तथा आने वाली कठिनाइयों तथा अब तक उन्होंने क्या किया है इसके सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रतिनिधान एवं चर्चा की ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उन विभिन्न राज्यों ने जहा पंचायत प्रणाली लागू कर दी गई है, अपने राज्यों में इन अधिनियमों के क करण से सम्ब धित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये ?

राजकुमारी अमृतकौर : भारत सरकार के पास ये प्रतिवेदन नहीं हैं। निस्संदेह ये प्रतिवेदन राज्य सरकारों के पास हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या कुछ व्यक्तियों अथवा संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन में निमंत्रित किया गया था, यदि हां, तो ये संगठन कौन कौन से थे ?

राजकुमारी अमृतकौर : जी हां श्रीमान्, योजना आयोग के प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया गया था। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया गया था, तथा मेरे विचार से एक या दो और भी प्रतिनिधि थे, किन्तु मेरे पास इस समय सूचना नहीं है।

श्री ए० एम० थामस : कार्य सूची में एक मद किसी केन्द्रीय विधान तथा एक केन्द्रीय सहयोजक प्राधिकार की आवश्यकता के सम्बन्ध में थी क्या सम्मेलन ने इस विषय पर कोई निर्णय किया, यदि हां तो वह निर्णय यथार्थ में क्या रहा है ?

राजकुमारी अमृतकौर : जैसा कि मैंने कहा है प्रतिवेदन मेरे पास यहां नहीं है। जैसे ही वह छप जायेगा उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

*३९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तटीय क्षेत्रों के आस पास गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने के कार्य के संगठन में क्या प्रगति हुई है; तथा

(ख) क्या सरकार गहरें समुद्रों में मछली पकड़ने के कार्य को संगठित करने का भार निजी उद्योग पर छोड़ना चाहती है अथवा उसे अपने अधीन चलाने की प्रस्थापना करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या १४]**

श्री वी० पी० नायर : हमें दिये गये विवरण में की गई व्यवस्था के फलस्वरूप योजना के वर्षों में गहरे समद्रों में मछलियां पकड़ने से कितनी मछलियों के निकाले जाने का अनुमान है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री वी० पी० नायर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निजी उद्योग गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास में पूंजी लगाने में बहुत संकोच करता है, क्या कारण है कि सरकार ने अब तक पूंजी नहीं लगाई है तथा गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने के उद्योग को विकसित करने के दायित्व को अपने हाथों में नहीं लिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यथासम्भव सरकार ने परीक्षात्मक योजनाओं की व्यवस्था करने का दायित्व लिया है, तथा वह कार्य कर रही है, तथा हम २१ मछली पकड़ने वाले जहाजों को अधिग्रहण करके तथा काम में लाकर इसको बढ़ाना चाहते हैं।

श्री बुचिकोटैय्या : आंध्र के तटीय क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को संगठित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

लाख

*४१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लाख के कुल उत्पादन का कुल कितना प्रतिशत भाग प्रति वर्ष निर्यात किया जाता है तथा किन किन देशों को; तथा

(ख) पिछले दो वर्षों में लाख के आन्तरिक उपभोग को बढ़ाने के क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) लाख के कुल उत्पादन का लगभग ९५ प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है। साधारणतः जिन देशों को यह मुख्यतः निर्यात किया जाता है वह हैं संयक्त राष्ट्र अमेरिका, हालैण्ड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली तथा सोवियत रूस।

(ख) पिछले दो वर्षों में लाख के आन्तरिक उपभोग को बढ़ाने के लिये किये गये उपायों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५**]

सरदार हुक्म सिंह : पिछले एक वर्ष में इस निर्यात में कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख: मझे खेद है, कि मुझे वास्तविक मूल्य के सम्बन्ध में पूर्व-सूचना चाहिये।

सरदार हुक्म सिंह : जुलाई १९५३ में लाख उपभोग अधिकारी की नियुक्ति के बाद से इसके आन्तरिक उपभोग में कितनी वृद्धि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस अधिकारी विशेष के प्रयत्नों के कारण इसके आन्तरिक उपभोग में कितनी वृद्धि हुई है यह कहना कठिन है। परन्तु द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भारत में कुल उत्पादन के पांच प्रतिशत की खपत होती थी। युद्ध काल में यह खपत बढ़ कर १५ प्रतिशत हो गई थी। अब इसमें थोड़ी कमी हो गई है। मेरे विचार से इस अधिकारी के प्रयत्नों के कारण, हमें कुछ अच्छे परिणाम मिले हैं।

सरदार हुक्म सिंह : इस वस्तु के उत्पादन की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिये, पिछले बारह महीनों में, इस अधिकारी द्वारा प्रचार कार्य पर कुल कितना रुपया व्यय किया गया था?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री साधन गुप्त : क्या मैं निर्यात की गई लाख की कुल मात्रा तथा मूल्य ज्ञात कर सकता हूं, तथा उसमें से कितनी मात्रा तथा कितनी कीमत की सोवियत रूस में निर्यात की गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख: जैसा कि मैंने पहले कहा मेरे पास निश्चित आंकड़े नहीं हैं। मुझे इस प्रश्न की भी पूव-सूचना चाहिये।

स्विटज़रलैंड से रेल के डिब्बे

*४२. **श्री डाभी** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १९५३ से ३१ मई, १९५४ तक स्विटज़रलैण्ड से आयात किये गये उच्च श्रेणी के रेल के डिब्बों की संख्या;

(ख) क्या यह तथ्य है कि उन डिब्बों की सीटें दोष युक्त हैं; तथा

(ग) इन यात्री डिब्बों को फ्रंटियर मेल तथा अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों से क्यों वापिस ले लिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सोलह।

(ख) जी नहीं।

(ग) द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में सीटों के मध्य टांगें फैलाने के लिये अपर्याप्त स्थान होने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के कारण।

श्री डाभी : क्या इन डिब्बों की सीटें, अन्य सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की सीटों की अपेक्षा कम चौड़ी हैं, और इसलिये कम आरामदेह हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां। यह सब यात्री डिब्बे कॉरीडोर (बरामदा) प्रकार के डिब्बे हैं। जहां तक द्वितीय श्रेणी के स्थान का सम्बन्ध है, कुछ शिकायतें आई थीं, कि वह अधिक असुविधाजनक हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि लोग पहली प्रकार के डिब्बों को अधिक पसन्द करते हैं।

श्री डाभी : क्या यह वापिस ले लिये गये डिब्बे साधारण स्थानीय गाड़ियों तथा अन्य यात्री गाड़ियों में लगा दिये गये हैं ?

श्री अलगेशन : यह डिब्बे थोड़े फासले की गाड़ियों तथा अन्य यात्री गाड़ियों में लगा दिये गये हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह तथ्य है कि यह डिब्बे पहले खरीदे गये उच्च श्रणी के डिब्बों से सस्ते थे ?

श्री अलगेशन : इन सभी डिब्बों का आर्डर दिया गया था परन्तु उनमें से अधिकांश में यहीं पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा अन्य श्रेणी की सीटें आदि लगाई गई थीं।

अनाज की कीमतें

*४३. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि अनाज की कीमतें गिर गई हैं जिससे किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने अनाज की कीमतों के मान स्थापन की किसी योजना पर विचार किया है; तथा

(ग) सरकार के स्टॉक में कितना अनाज है, उसका लागत मूल्य क्या है तथा उसका वर्तमान मूल्य क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) यह सच है कि अनाज की कीमतें गिरती जा रही हैं, परन्तु अभी तक जो कमी हुई है, वह ऐसी नहीं है जिससे कि खेती करने वालों को कोई कठिनाई हो।

(ख) अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है, परन्तु सरकार स्थिति का अवलोकन कर रही है, और यदि कीमतें अनार्थिक-स्तर से नीचे गिरने लगीं तो समुचित उपाय किये जायेंगे। गेहूं के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ की सरकारों ने अधिसूचित किया है कि यदि कीमतें दस रुपये प्रति मन से नीचे गिरीं, तो वह स्वयं गेहूं खरीदना आरम्भ कर देंगी।

(ग) सरकार के पास लगभग १५.४ लाख टन अनाज का स्टॉक है; इसमें से १२·२ लाख टन १ अगस्त, १९५४ को राज्य सरकार के पास था (केन्द्र द्वारा ले लिये जाने की स्थिति में) और ३.२ लाख टन उस तिथि तक राज्यों से लिये जा चुके अनाज की परिमात्रा समेत, केन्द्र के पास है। केन्द्रीय स्टाक में रखे गय अनाज का पुस्त मूल्य कोई १४·९ करोड़ रुपया है, परन्तु उसका अनुमानित बाज़ार मूल्य कोई १३.६ करोड़ रुपया है। इस समय चावल के उस स्टॉक का, जो केन्द्र राज्य सरकारों से लेगा, ठीक ठीक कीमत बताना कठिन है, परन्तु उस के मूल्य का अनुमान कोई ५७ करोड़ रुपये तक का है।

श्री एस० सी० सिंघल : क्या कीमत की गिरावट उत्पादन की वृद्धि के कारण हुई है, अथवा लोगों की क्रय शक्ति के कम हो जाने के कारण हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : निस्संदेह उत्पादन में वृद्धि होने के कारण कीमतें गिरी हैं।

श्री नानादास : क्या सरकार को कोई अनुमान है कि अभी अनाज की कीमतें कितनी और गिरेंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तो कीमतों की गिरावट को रोक दिया गया है, और कई स्थानों पर तो कीमतें कुछ चढ़ गई हैं।

डा० रामा राव : अनाज की वर्तमान कम कीमतों के होते हुए, क्या सरकार महंगे भाव पर ब्रह्मा से चावल आयात करने को है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जिस वस्तु के लिये हमने क़रार किया है, उसका आयात हमें करना ही होगा। हम और अधिक आयात करने का विचार नहीं रखते हैं। वास्तव में, हम तो निर्यात करने के इच्छुक हैं।

श्री टी० के० चौधरी : मैंने माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में "अत्युत्पादन" शब्द का प्रयोग करते सुना है। मैं पूछना चाहता हूं कि.....

डा० पी० एस० देशमुख : मैंने "अत्युत्पादन" नहीं, परन्तु 'उत्पादन में वृद्धि' शब्द का प्रयोग किया था।

श्री श्यामनन्दन सहाय : उत्पादन में वृद्धि।

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, उत्पादन में वृद्धि।

झरिया कोयला क्षेत्र में जल संभरण

***४५. श्री पी० सी० बोस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि अभी तक झरिया के कोयला क्षेत्र में पानी की कमी है;

(ख) क्या जल के संभरण को बढ़ाने के लिये ऋण तथा अनुदान के रूप में मंजूर की गई राशि झरिया जल बोर्ड को उपलब्ध कर दी गई है; तथा

(ग) यदि हां, तो वहां जल संभरण की योजना की अभिपूर्ति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां।

(ख) और (ग) जो रुपया इस सम्बन्ध में बिहार सरकार को दिया जाना था वह अभी तक दिया नहीं गया है, क्योंकि बिहार सरकार ने अभी तक उसको मांगा ही नहीं है अभी तक वह दामोदर घाटी निगम से दामोदर नदी से किसी युक्तियुक्त दर पर जल के संभरण करने के लिये बात चीत कर रही है।

श्री पी० सी० बोस : बिहार राज्य सरकार तथा दामोदर घाटी निगम में दामोदर नदी से लिये जाने वाले पानी की दर के सम्बन्ध में वास्तविक मतभेद क्या है ?

श्री वी० वी० गिरि : दामोदर घाटी निगम ने नदी से लिये जाने वाले प्रति एक हज़ार गैलन जल के लिये बिहार सरकार को दो आने छः पाई की दर का उल्लेख किया था। अब बिहार सरकार दामोदर घाटी निगम से कोई युक्तियुक्त दर, जैसे कि छः पाई प्रति एक हज़ार गैलन, के लिये बातचीत कर रही है।

श्री पी० सी० बोस : यदि दर के सम्बन्ध में वह कोई निर्णय न कर सके तो क्या सरकार

इस विषय के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री वी० वी० गिरि : हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

अभ्रक खान के श्रमिक

*४६. **श्री के० पी० सिन्हा** : **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है, कि राजस्थान में अभ्रक की खान के ५००० श्रमिकों का पारिश्रमिक, जो लगभग तीन लाख रुपये है, अभी बकाया है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बकाया के चुकाये जाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) इस वर्ष मार्च में ३००० श्रमिकों का लगभग पांच लाख इकहत्तर हज़ार रुपया बक़ाया था । जून के अन्त तक यह राशि कम होकर कोई तीन लाख इकहत्तर हजार रुपये रह गई थी ।

(ख) औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के पदाधिकारी बातचीत करके अथवा न देने वालों को दंड दिला कर अर्थात् जैसा भी करना उचित हो वैसा करके इस बकाया राशि का भुगतान करा रहे हैं, इन पदाधिकारियों को कार्य की मासिक प्रगति की रिपोर्ट भेजने की हिदायत कर दी गई है । बक़ाया की वसूली के लिये और अधिक प्रभावशाली कार्यवाही करने के लिये हिदायतें जारी कर दी गई हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं इतने अधिक कार्यकर्त्ताओं को भुगतान न दिये जाने के मुख्य कारणों को जान सकता हूं ?

श्री वी० वी० गिरि : इस समय सम्भव है कि उद्योग की अनार्थिक स्थिति ही इसका कारण हो ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा मजूरी भुगतान अधिनियम राजस्थान में लागू हैं ?

श्री वी० वी० गिरी : जी हां ।

श्री बलवन्त सिंह महता : क्या मैं उन अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या जान सकता हूं जिन्होंने उत्खनन कार्य को बन्द कर दिया है ?

श्री वी० वी० गिरि : पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री केलप्पन : राजस्थान में कितनी अभ्रक की खानें बन्द कर दी गई हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे पास सूचना नहीं है ।

कुरुक्षेत्र के लिये विशेष ट्रेनें

*४७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जून १९५४ के अन्तिम सप्ताह में सूर्य ग्रहण के कारण उत्तरी रेलवे को कुरुक्षेत्र के लिये चलानी पड़ी विशेष ट्रेनों की संख्या;

(ख) भीड़ की व्यवस्था के लिये किये गये विशेष प्रबन्ध तथा यात्रियों को रेलवे द्वारा दी गई विशेष सुविधायें; तथा

(ग) इससे प्राप्त हुई कुल आय ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ८९; अर्थात् ३८ जाने के लियेतथा ५१ वापसी के लिये ।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]** ।

(ग) लगभग २·३३ लाख रुपया ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं विशेष ट्रेनों से कुरुक्षेत्र की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : विशेष ट्रेनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के संख्या सम्बन्धी

आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मेरे पास तो केवल प्राप्त हुए किराये की कुल रकम सम्बन्धी आंकड़े हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं विशेष प्रबन्धों पर रेलवे द्वारा किये गये कुल व्यय को जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : यह कोई १,८२,००० रुपये हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या इसके लिये कोई अस्थायी स्टेशन बनाया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां, प्लैट फार्मों को बढ़ाया गया, नये परिचालन क्षेत्र बनाये गये, कई नये टिकट घर खोले गये तथा अन्य प्रबन्ध किये गये थे।

बालू वाली भूमि में गेहूं की खेती

*४८. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० मई, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३५५ के दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बालू वाली भूमि में गेहूं उगाने के प्रयोग किन किन राज्यों में किये गये हैं;

(ख) क्या इन प्रयोगों के परिणाम प्राप्त हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इनमें कितनी सफलता मिली है; तथा

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने यह प्रयोग किये हैं और वे किस देश के नागरिक हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) राजस्थान के अतिरिक्त, जहां प्रयोग किये जा रहे हैं, अन्य किसी राज्य में नहीं।

(ख) से (घ)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

श्री आर० एन० सिंह : इस प्रयोग में कितना खर्च हुआ ?

डा० पी० एस० देशमुख : पांच साल के लिये ३०,००० रुपये का प्राविज़न था।

अध्यक्ष महोदय : वह किये गये उपबन्ध में नहीं जानना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कि कितना खर्च हुआ है।

डा० पी० एस० देशमुख : यह एक बहुत थोड़ी सी रकम है—सम्भव है ५००० रुपये के लगभग हो। यह कार्य केवल १ अप्रैल, १९५३ को प्रारम्भ किया गया था।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं प्रति एकड़ उत्पादन लागत जान सकता हूं ?

डा० पी० सी० देशमुख : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) उठे—

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेंगे।

चन्द्रनगर

*४९. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि चन्द्रनगर में भारतीय श्रम कानूनों के लागू किये जाने के पश्चात् इन कानूनों को कार्यान्वित करने के लिये कोई शासन-यंत्र स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) यदि ऐसा है; तो इसके कारण तथा ऐसा कोई शासन-यंत्र कब स्थापित किया जायगा;

(ग) क्या इसके सम्बन्ध में सरकार को चन्द्रनगर से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ; तथा

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) और (ख)। चन्द्रनगर में भारतीय कार्मिक संघ विधेयक, १९२६, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ को लागू करने के लिये शासन यंत्र की स्थापना की जा चुकी है। जहां तक अन्य विधानों का सम्बन्ध है मामला विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रतिनिधान के प्राप्त होने से पूर्व ही सरकार ने चन्द्रनगर में श्रम कानूनों को लागू करने के लिये अपेक्षित शासन यंत्र को स्थापित करने के सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही कर दी थी।

मैं और भी कह दूं कि १२ श्रम अधिनियमों को, अधिसूचना के द्वारा चन्द्रनगर में लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को चन्द्रनगर में श्रम विधियों के प्रशासन का काम सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल का प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चन्द्रनगर का प्रादेशिक आयुक्त होगा। केन्द्रीय सरकार के कृत्य चन्द्रनगर के प्रशासक को सौंप दिये गये थे।

श्री तुषार चटर्जी : क्या श्रम विवादों का निपटारा करने के लिये कोई निश्चित व्यवस्था की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां, यह व्यवस्था कर दी गई है।

श्री साधन गुप्त : सौमन्स्य सुलह अधिकारी के रूप में किसे काम करना है तथा चन्द्रनगर के सम्बन्ध में औद्योगिक न्यायाधिकरणों से निर्देश करने का काम किसे करना है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुख्य श्रम आयुक्त प्रादेशिक श्रम आयुक्त।

श्री पुन्नूस : क्या हम पिछले छः महीनों में हुये श्रम विवादों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ? उनमें से कितने लम्बित हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इसके लिये पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री तुषार चटर्जी : क्या सरकार को इस बात के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात है कि श्रम विवादों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के श्रम आयुक्त ने उनको निपटाने का उत्तरदायित्व लेने से इंकार कर दिया है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

***५०. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पास इस समय भारी तथा मध्यम प्रकार के कितने ट्रैक्टर हैं;

(ख) इन ट्रैक्टरों पर विनियोजित कुल धन राशि;

(ग) अब तक कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई जा चुकी है; तथा

(घ) कृषि योग्य बनाई गई कितने एकड़ भूमि ऐसी है, जो अभी तक किसी को आवंटित नहीं की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) इस समय केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पास ३७४ भारी तथा ५१ मध्यम प्रकार के ट्रैक्टर हैं।

(ख) इन ३७४ भारी ट्रैक्टरों को खरीदने में १,९९,८१,७५१ रुपये तथा ५१ मध्यम प्रकार के ट्रैक्टरों को खरीदने में ७,१५,७५६ रुपये की राशि प्रारम्भ में विनियोजित की गई थी।

(ग) वनों को साफ करके बनाई गई लगभग ४५००० एकड़ भूमि को मिला कर,

अब तक कुल १२,६८,८०० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई है।

(घ) अपेक्षित जानकारी राज्यों से कठ्ठी की जा रही है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या कृषि योग्य बनाई गई कुछ भूमि पुनः बंजर तथा कृषि के अयोग्य हो गई है?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ भूमि ऐसी है, जिस में हम कुछ कुछ कांस उगी हुई देखते हैं। किन्तु हमें विश्वास है कि इसमें से अधिकतर भूमि पर ट्रैक्टर चलाये जा सकते हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिये अपेक्षित फालतू पुर्जों के अभाव में कितने ट्रैक्टर बेकार या खराब पड़े हैं?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं अच्छी तरह कह सकता हूं कि एक भी ट्रैक्टर ऐसा नहीं है जो इस समय फालतू पुर्जों के न होने से बेकार पड़ा हो।

श्री सैयद अहमद : क्या ट्रैक्टरों के अभाव में कुछ फालतू पुर्ज़े बेकार पड़े हैं?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

पंडित डी० एन० तिवारी : अब तक क्टरों के किराये से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ?

डा० पी० एस० दशमुख : भूमि के कृष्य-करण तथा दूसरे शुल्कों के द्वारा हमने ५ करोड़ ९० लाख रुपये वसूल किये हैं, और ३१ मार्च, १९५४ तक किये गये काम के लिये ३ करोड़ २६ लाख रुपये अभी वसूल करने हैं।

श्री के० के० बसु : क्या हम केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा प्रति एकड़ कृष्यकरण की लागत का अनुमान जान सकते हैं?

डा० पी० एस० देशमुख : आरम्भ में हमने विचार किया था कि यह लागत ५२ रुपये प्रति एकड़ से अधिक नहीं होगी किन्तु यह बढ़ गई है और हम लागत को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : काम के अयोग्य तथा काम न आ सकने वाले ट्रैक्टरों को बेचने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

डा० पी०एस० देशमुख : इन ट्रैक्टरों को बेच कर हमने पुस्त मूल्य से आठ लाख रुपये अधिक मूल्य प्राप्त किया है।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मध्य भारत में ट्रैक्टर से काम कराने की लागत ६० रुपये प्रति एकड़ से भी बढ़ गई है, और क्या मध्य भारत सरकार ने इसी कारण इन ट्रैक्टरों को काम में लाना बन्द कर दिया है?

डा० पी० एस० देशमुख : यह ज़रा लम्बी कहानी है और इसका वणन करने में मुझे पर्याप्त समय लगेगा। बात यह है कि हमने अनुमान लगाया था कि लागत बढ़ जायेगी, किन्तु केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की कुशलता के फलस्वरूप, अब हम उससे कम लागत ले सकेंगे। हमें कार्य करने में देने में मध्य भारत सरकार का व्यवहार अनुचित था।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि मध्य भारत ने जब देखा कि अब लागत कम हो गई है, तो उसने काम को जारी रखा जाना स्वीकार कर लिया है।

रेडियो लाईसेंस फीस

***५१. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४ में नियत अवधि के अन्दर अपने लाइसेंस का नवीकरणन कराने के कारण जुर्माने के रूप में रेडियो लाइसेंसों से कितना धन प्राप्त किया गया है; तथा

(ख) क्या ऐसे कुछ मामले हैं, जिन्हें उच्चतर अधिकारियों के पास अभ्यावेदन देने के पश्चात् जुर्माने से मुक्त कर दिया गया है, और यदि हां, तो ऐसे मामले कितने हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५३–५४ में ७,८४,९१५ रुपये।

(ख) जी, हां। इन विमुक्तियों का कोई पृथक् अभिलेख नहीं रखा जाता है। लगभग दस मामलों में, ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् अधिकर हटा दिया गया है।

उत्तर बिहार के लिये परिवहन सुविधा

*५२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या माल डब्बों के आने जाने, तथा परिवहन सम्बन्धी मामले में उत्तर बिहार की आवश्यकताओं का विचार करने के लिये २५ मई १९५४ को नई दिल्ली में कोई सम्मेलन किया गया था;

(ख) किये गये निर्णयों की मुख्य मुख्य बातें तथा उनको कहां तक कार्यान्वित किया गया है; तथा

(ग) क्या सम्मेलन के पश्चात् उत्तर बिहार को भेजे गये कोयले और सीमेंट की मात्रा बढ़ गई है।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। विशेषतया उत्तर बिहार तथा उत्तर प्रदेश को जाने वाली उत्तर पूर्वी छोटी लाइन पर स्थित स्थानों के लिये बड़ी लाइन पर से हो कर आने वाले यातायात की स्थिति पर विचार करने के लिये, उत्तर तथा पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी रेलों के और उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक २५ मई, १९५४ को रेलवे बोर्ड के कार्यालय में हुई थी।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। (**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १७**)।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार नार्थ बिहार में सीमेन्ट' कोयला, चूना और लोहे की कमी को पूरा करने के लिये पटना में डीघा घाट के पास पीपे का पुल बनाने की बात सोच रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : नहीं ऐसा तो विचार नहीं है, लेकिन हमने बिहार गवर्नमेन्ट से कहा है कि हम उन्हें दूसरी सहूलियतें देने को तैयार हैं बशर्ते कि वह नाव के ज़रिये और अपनी प्राइवेट एजेंसी से कोयला वगैरह ले जाने का इन्तज़ाम करें।

श्री विभूति मिश्र : जब तक यह इन्तज़ाम नहीं होता तब तक केन्द्रीय सरकार नार्थ बिहार में सरकार की पंचवर्षीय योजना और उसके अन्दर होने वाले और और कामों के लिये सीमेन्ट, कोयला, लोहा आदि का क्या प्रबन्ध सोच रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जो कान्फरेन्स रांची में हुई थी उसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई थी और यह फ़ैसला हुआ है कि हम इस तरह काम करेंगे जिसमें कि उन की योजना के काम में रुकावट नहीं आये, मिसाल के लिये हमने मंडवा डीह में ख़ास इन्तज़ाम किया है। जहां पहले सिर्फ मंडवा में ६० वी० जी० वैगन काम करते थे वहां अब उनकी तादाद ९० या इससे भी अधिक पहुंच गई है। हमने तारीघाट और गाज़ीपुर के बीच रीडवेज़ बनाने का भी सोचविचरा किया है। इसके लिये जांचपड़ताल हो रही है। इसके अलावा कोसी के लिये हमने बिहार गवर्नमेन्ट से यह भी कहा है कि जो फैरी हमारी इस वक्तकाम कर रही है और जो बारज़ेज हैं जिस पर कि वैगन्स लादे जाते हैं वहहम बिहार

गवर्नमेन्ट को देने को तैयार हैं और हम नये बनवा लेंगे। इसके लिये ६ मील की लाइन भी बनाना है जिसे मंजूर करने के लिये हम तैयार है। इस तरह से उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट की कठिनाई नहीं पड़ेगी।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है कि मुकामाघाट में जो रेलवे के लिए कोयले का ट्रांशिपमेंट होता है उसका कुछ अंश पब्लिक का कोयला ट्रांशिप करने के लिए भी रखने की इजाज़त दी जाय ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम अपना तो कर लें तब पब्लिक का करेंगे।

दिल्ली में ट्राम गाड़ियां

***५३. चौधरी रघुवीर सिंह** : **क्या परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार दिल्ली में बिजली से चलने वाली ट्राम गाड़ियों तथा ट्रौली बसों के स्थान पर मोटर बसें चलाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें बदलने में कितना समय लगेगा; तथा

(ग) इस परिवर्तन पर अनुमानतः कितना खर्च होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार ने धीरे धीरे समस्त ट्राम गाड़ियों तथा ट्रौली बसों के स्थान पर डीज़ल या पैट्रोल से चलने वाली बसें चलाने का निर्णय किया है।

(ख) इस कार्यक्रम के १९५५–५६ के अन्त तक पूर्ण होने की आशा की जाती है।

(ग) १२ लाख रुपये।

चौधरी रघूवीर सिंह : क्या सरकार को विदित है कि बसों की कमी के कारण लोगों को बहुत असुविधा हो रही है ?

श्री अलगेशन : मैं सदन को बताना चाहूंगा कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट के पास २६० बसें हैं। १९५५ के मध्य में इन की संख्या ४०० तक बढ़ जायेगी। मेरे विचार में स्थिति तब काफ़ी सुविधाजनक हो जायेगी।

श्री के० के० बसु : जब ट्रामकारों के स्थान पर डीज़ल बसें चलने लगेंगी, तो क्या उन क्षेत्रों में जहां अब ट्रामें चलती हैं, किराये उतने ही रहेंगे ?

श्री अलगेशन : ये अन्य मार्गों पर चलने वाली बसों के किरायों के बराबर हो जायेंगे।

"अपने टेलीफोन के मालिक बनिए प्रणाली

***५४. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि "अपने टेलीफोन के मालिक बनिए" योजना बिल्कुल बन्द कर दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ऐसा करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं।

(ख) कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के अनुसार अब तक कितने टैलीफोन लगाये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : जी हां, अब तक १७,७४८ टैलीफोन लगाये गये हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में कुछ आटोमेटिक टैलीफोन लगाये गये हैं और कुछ दूसरी तरह के लगाये गये हैं और उनके माहवारी चार्जेज़ लिये जाते हैं ?

श्री राज बहादुर : जी हां, माहवारी चार्जेज़ लिये जाते हैं। और चूंकि टैलीफोन की

कमी है इसलिए कहीं कहीं मैन्युअल टेलीफोन भी लगाये गये हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो मैन्युअल टेलीफान लगाये गये हैं उनमें टेलीफोन करने वालों को पांच पांच सात सात मिनट इन्तिजार करना पड़ता है ?

श्री राज बहादुर : अगर दुर्भाग्यवश किसी को पांच पांच मिनट तक इन्तिज़ार करना पड़ता हो तो मैं आभारी होऊंगा अगर इसकी सूचना माननीय सदस्य मुझे या विभाग को देने की कृपा करें।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्वयं का टेलीफोन रखने से सरकार को क्या फायदा हुआ है ?

श्री राज बहादुर : फायदे का प्रश्न नहीं उठता लेकिन उससे जो आमदनी हुई है वह है ४,२६,१०,५०० ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या कुछ घाटा भी हुआ है ?

कृषि-अर्थ गवेषणा

*५६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अमेरिकन विशेषज्ञों ने जिन्हें भारत सरकार ने भारत में कृषि-अर्थ गवेषणाओं के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए आमंत्रित किया था, अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो गवेषणा कार्य किस क्रम से निश्चित किये गये हैं; और

(ग) पहले किये गये गवेषणा कार्य के बारे में उन की क्या राय है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **(देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८)**

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उन्होंने अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है या प्रारम्भिक रिपोर्ट ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह अन्तिम रिपोर्ट है।

श्री एस० सी० सामन्त : ये विशेषज्ञ यहां कितनी देर रहे और इन पर हमें कितना खर्च करना पड़ा ?

डा० पी० एस० देशमुख: जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, मुझे पूर्व-सूचना चाहिए, किन्तु वे ११ अप्रैल से १६ जून, १९५४ तक यहां रहे।

श्री एस० सी० सामन्त: उनकी सिफारिशों के अनुसार २४ परियोजनाओं को ६ विभागों में बांटा गया है। उनमें भूधारणाधिकार भी है। क्या जमींदारी उन्मूलन के दौरान में केन्द्रीय सरकार का भूधारणाधिकार में समानता लाने का विचार है ?

डा० पी० **एस० देशमुख** : इस मामले की जांच करने का सुझाव दिया गया है। मेरे विचार में सारे देश में भूधारणाधिकार को समान बनाना सम्भव नहीं होगा।

श्री के० के० बसु : क्या गवेषणा कार्य में इन अमेरिकन विशेषज्ञों के साथ कोई भारतीय विशेषज्ञ भी सम्बद्ध किये गये थे ?

डा० पी० एस० देशमुख: उन्होंने समय समय पर भारतीय विशेषज्ञों की भी सलाह ली थी।

कृषि बीजो का धूमन

*५७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृद्यि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि बीजों को विदेशों में निर्यात करने से पहले उनके धूमन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भारत में कितने धूमन संयन्त्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इनका अनुमानित परिव्यय किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री ए० एम० थामस : एक पहले सत्र में, मेरे एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कहा था कि कोचीन में एक मन धूसंयन्त्र लगाने का एक प्रस्ताव है। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमूख : यह प्रश्न उस मंत्री से पूछा जाना चाहिए जिसने पहले उत्तर दिया था।

श्री ए० एम० थामस : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने उस समय यह भी कहा था कि इस मामले पर कृषि मंत्रालय से पत्र व्यवहार हो रहा है वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के निश्चित आश्वासन को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रकार का धूमन संयन्त्र कोचीन में स्थापित किया जायेगा ?

श्री पी० एस० देशमुख : यह निर्यात किये जाने वाले माल के सम्बन्ध में नहीं, आयात किये जाने वाले माल के सम्बन्ध में है। जहां तक निर्यात किये जाने वाले बीजों का सम्बन्ध है, धूमन प्रयोगशालाओं को लाइसेंस देने की एक योजना बनाने का विचार है ताकि उनसे लाभ उठाया जाये।

गोसदन

*५८. **श्री अमजद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने गोसदनों की स्थापना करने के लिये राज्य सरकारों को कोई निदेश दे दिये हैं जैसी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जैसी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है, गोसदन योजना की सिफारिश राज्य सरकारों से कर दी गई है और उनके द्वारा वह कार्यान्वित की जा रही है।

श्री अमजद अली : किन-किन राज्य सरकारों ने अब तक इन गोसदनों की स्थापना कर ली है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक सोलह गोसदनों की स्थापना की जा चुकी है। बिहार में तीन ; उत्तर प्रदेश में दो भोपाल पेप्सू, विन्ध्य प्रदेश, कच्छ, त्रिपुरा, आसाम, मध्य भारत व कुर्ग में एक एक तथा जम्मू व काश्मीर में दो।

श्री अमजद अली : एक गोसदन की सम्भावित अथवा प्राक्कलित लागत क्या होती ह ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक नमूने के केन्द्र की स्थापना म, जिस में दो हज़ार पशु रखे जा सकते हैं, प्राक्कलित लागत लगभग ५०,००० रु० आवर्तक तथा २०,००० रु० अनावर्तक व्यय होता है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री महोदय की योजना के अनुसार कितने गोसदन खोले जाने को थे और कितने खोले गये हैं

डा० पी० एस० देशमुख : खोले जाने को तो बहुत थे, मगर दो खोले गये हैं जिनमें १९३ गाये हैं।

श्री महोदय : क्या इन गोसदनों की प्रगति सन्तोषजनक है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ स्थानों पर यह प्रगति इतनी शिथिल नहीं है किन्तु सम्पूर्ण रूप से प्रगति इतनी तीव्रगति से नहीं हो रही है जितनी शीघ्रता से हम चाहते हैं।

उड़ीसा में टेलीफोन तथा तारघर

*५९. **श्री संगण्णा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में आन वाले उन टलीफोन तथा तारघरों को, जिनकी देख-भाल अन्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है, डाक तथा तार संचालक, कटक, के नियन्त्रण में हस्तान्तरित कर देने का कोई सुझाव है ; और

(ख) यदि एसा है तो इस मामले में क्या प्रगति की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां।

(ख) मामले का अभी निरीक्षण किया जा रहा है।

श्री संगण्णा : इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक होगा ?

श्री राज बहादुर : इस तथ्य की दृष्टि से कि लाइनें एक से अधिक क्षत्र में फैली हुई हैं, इसमें कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं जिनका सामना उनको बनाये रखने के दष्टिकोण से किया जा रहा है, और ज्यों ही यह कठिनाइयां प्रविधिक रूप से दूर हो जायेंगी, उनका हस्तांतरण उसी प्रकार कर दिया जायगा जिस प्रकार हम चाहेंग।

श्री संगण्णा : सेवा आदि के मामले में उड़ीसा के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर: मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक तार सेवा का सम्बन्ध है, उड़ीसा के लोगों के हितों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री संगण्णा : क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा की सरकार ने कुछ कठिनाइयों को बताया था जिनका सामना विद्यमान प्रणाली के अधीन इस समय लोगों को करना पड़ रहा है ?

श्री राज बहादुर : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

फतहपुर सीकरी स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बों की स्थिति

*६०. **सेठ अचल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे की फतहपुर सीकरी नामक स्टेशन पर चक्की के पाटों को लादने के लिये मालगाड़ी के डिब्ब नहीं उपलब्ध होते हैं; और

(ख) यदि एसा है तो इस स्थिति को सुधारने के लिय सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

फतहपुर सीकरी स्टेशन पर बाहर भेजे जान वाले माल के लिये जिसमें चक्की के पाट भी सम्मिलित हैं, मालगाड़ी के डिब्बों की पूर्ति की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंग कि क्या स्टेप लिये गये हैं ताकि वैगन्स पूरे मिल सकें ?

श्री अलगेशन : जहां तक जुलाई मास का सम्बन्ध है, २१ डिब्बों में माल लादा गया है था जबकि पिछले वर्ष की यह संख्या केवल १७ ही थी।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा उठाई गई हानि

*६२. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा भमि को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिये किये गये प्रयत्नों के कारण सरकार को तीन फसलों (१९५०–५१, १९५१–५२ तथा १९५२–५३) में अत्यधिक हानि उठानी पड़ी; और

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). एक संक्षिप्त विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिय** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]

श्री विश्वनाथ राय : विवरण में दिये गये तथ्य की दृष्टि से क्या सरकार केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को पुनर्संगठित करने का विचार रखती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका बराबर पुनर्संगठन किया जा रहा है और यह पुनर्संगठन का ही परिणाम है कि हम १९५३–५४ में १५ लाख रुपये का लाभ कमाने की आशा रखते हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या और अधिक कार्य करने के लिये केन्द्रीय सरकार इस संगठन की कुछ एककों को यू० पी० में भेजने का विचार रखती है जहां अभी लगभग एक लाख एकड़ भूमि बिना जुती हुई पड़ी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सम्बन्ध में सुझाव रखने तथा हमसे कार्य करने के लिये कहने का कार्य यू० पी० सरकार पर निर्भर करता है ।

खदीवाल मेल लाइन

*६३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि खदीवाल मेल लाइन के प्रवर्तन से जो मिश्र की मुख्य लाइन है और जिसकी यात्री तथा माल सेवाओं का विस्तार अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान तक हो गया है भारत पाकिस्तान और भूमध्य प्रदेश के बीच होने वाले व्यापार में भारतीय नौवहन पर धक्का पहुंच रहा है ।

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं ।

अखिल भारतीय किसान सम्मेलन

*६५. **श्री बुचिकोटैय्या :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९५४ को श्रीनगर में होने वाले अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में बुलाये गये तथा भाग लेने वाले किसान प्रतिनिधियों की क्या संख्या है ; और

(ख) क्या यह प्रतिनिधि किसान संघठनों द्वारा निर्वाचित हुये थे अथवा राज्य सरकारों द्वारा उनका नाम निर्देशन हुआ था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). १२० किसान प्रतिनिधि जिनमें से अधिकांश सम्बद्ध राज्यों द्वारा निर्वाचित थे १६ और १७ जुलाई १९५४ को श्रीनगर में होने वाले इस किसान सम्मेलन में सम्मिलित हुये ।

श्री बुचिकोटैय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि क्यों नहीं बुलाये गये ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने एक निश्चित प्रक्रिया बना ली है जिसका हमने पालन किया और साथ ही क्योंकि यह एक

प्रारम्भिक बैठक थी हमने प्रत्येक संगठन को मान्यता प्रदान करना नहीं चाहा ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था और उसम क्या क्या निर्णय हुये ?

डा० पी० एस० देशमुख : सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि किसान प्रतिनिधियों को मंत्री-सम्मेलन की बैठक में सम्मिलित किया जाये और भविष्य में किसानों को संगठित करने के उपाय व साधन मालूम किये जायें।

श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि यह किसान प्रतिनिधि किस आधार पर चुने गये थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वे अपने राज्यों के प्रगतिशील कृषकों में से प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन करें ।

श्री हेडा : क्या यह सत्य है कि सरकार राजनैतिक विचारों वाले किसानों अथवा उनके संगठनों से बचना चाहती थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं । हमारे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं थी । हमारा उद्देश्य यह था कि कृषि की उद्योग के रूप में उन्नति हो ।

चीनी का आयात

*६६. **श्री केलप्पन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५४–५५ में चीनी मंगाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि किया है तो कितनी मात्रा में ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख) हां श्रीमान् दिसम्बर १९५४ तक ७·५ लाख टन चीनी मंगाने का निश्चय किया गया है ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत ने विश्व चीनी सम्मेलन में भाग लिया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था ।

श्री केलप्पन : क्या हमने एक निश्चित मात्रा में चीनी मंगाने का निश्चय किया है और यदि किया है तो किस मात्रा में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : किनसे मंगाने का ?

श्री केलप्पन : उस सम्मेलन में ।

श्री किदवई : हमने उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था । केवल प्रेक्षक रूप में ही हम उसमें सम्मिलित हुये थे ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या मैं जान सकता हूं कि देश में चीनी का प्राक्कलित उत्पादन तथा उपभोग क्या है ?

श्री किदवई : नियंत्रित वितरण काल में उपभोग लगभग १० से १२ लाख टन तक होता था परन्तु नियन्त्रण हट जाने के बाद से उपभोग में वृद्धि हो गई है । इस वर्ष १८ लाख टन चीनी के उपभोग का अनुमान है ।

खली के पौष्टिक तत्व

*६७. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तिलहन समिति के विभिन्न बीजों की खली के पौष्टिक तत्व मालूम करने के काम में कहां तक प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस गवेषणा के परिणामों का सारांश पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) इस योजना को लागू करने में अब तक कितना खर्च हुआ है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग) तक सामग्री एकत्रित की जा

रही है और तैयार होते ही पटल पर रखी जायगी ।

दाबोक विमानक्षेत्र

*६८. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में दाबोक के विमान-क्षेत्र के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) वह कब तक पूरी होगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) स्थान तथा ऊंचाइयों के विस्तृत सर्वेक्षण द्वारा नकशे बनाये गये हैं और विमान-क्षेत्र के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि तत्काल अर्जित करने के लिए राजस्थान सरकार से प्रार्थना की गई है ।

(ख) भूमि अर्जित करके उपलब्ध कर दी जाने के बाद १८ महीनों के अन्दर अन्दर यह योजना पूरी हो जायेगी ।

श्री बलवन्त सिंह महता : क्या इस विमानक्षेत्र से नियमित रूप में विमान आया जाया करेंगे और यदि हां, तो यह कौनसे विमान मार्ग पर होगा ? और इस पर कितना पसा खर्च होने की सम्भावना है ?

श्री राज बहादुर : यह इतने जल्दी नहीं बताया जा सकता । इसका निर्णय इंडियन एयर लाइन कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा जो यातायात की प्रवृत्तियां एवं अन्य सम्बन्धित कारकों का ध्यान रखेगा ।

श्री बलवन्त सिंह महता : क्या मैं उन विमानक्षेत्रों के नाम जान सकता हूं जो इससे जोड़ दिये गये हैं और जो चालू हो गये हैं ?

श्री राज बहादुर : उनके नाम चंडीगढ़ कांडला तथा हलद्वानी हैं किन्तु उनमें से अभी एक भी पूरा नहीं हुआ है ।

दावणगिरि विमानक्षेत्र

*६९. **श्री एन० राचय्या** : क्या **संचार मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में दावणगिरि के निकट एक विमानक्षेत्र बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां तो उक्त विमान क्षेत्र की प्राक्कलित लागत क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केन्द्रीय सरकार दावणगिरि के निकट कोई विमानक्षेत्र नहीं बना रही है । किन्तु मैसूर सरकार ने हाल ही में वहां एक विमान उतारने की जगह बनवाई है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार को इसकी कोई **सूचना नहीं है** : यदि माननीय सदस्य चाहें तो राज्य सरकार से यह जानकारी मांगी जा सकती है ।

नौकरी दफ्तर

*७०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५४ तक नौकरी दफ्तरों में कितने लोगों ने नाम दर्ज किये जो मैट्रिक, अवर-स्नातक तथा स्नातक थे; और

(ख) उसी समय में नौकरी दफ्तरों को श्रेणीवार कितनी रिक्तियों के बारे में सूचित किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

श्री डी० सी० शर्मा: विवरण से दिखाई देता है कि हमारी बेकारी की समस्या काफी काबू में आ गई है क्योंकि नौकरियां चाहने वाले १,८०,००० लोगों में से १,१८,००० लोगों को नौकरियां दिलवाई गई हैं । क्या यह सच नहीं है कि इन्हें राष्ट्रव्यापी आधार पर स्थिति का प्रतिबिंब नहीं माना जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : किस आधार पर ?

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, दिये गये विवरण से पता चलता है कि लगभग १,७५,००० लोग नौकरी चाहते थे और उनमें से १,१८,००० लोगों को नौकरियां दिलवाई गईं । इससे दिखाई देता है कि रोजगारी की स्थिति में सुधार हो रहा है । किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये आंकड़े समूचे राष्ट्र के बारे में विश्वसनीय हैं अथवा क्या वे नौकरियों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में ही हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : हमारे पास जो जानकारी है वह यह है । हम नहीं कह सकते कि वह पूर्णतः विश्वसनीय है किन्तु कुछ हद तक वह विश्वसनीय है ।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री ने जो कहा है उसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का पहला भाग शायद माननीय मंत्री की समझ में नहीं आया है जिसका कि उन्होंने उत्तर दिया है । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या यह आंकड़े नौकरियों के सब क्षेत्रों के बारे में हैं या केवल कुछ के । यह उनका पहला प्रश्न था ।

श्री वी० वी० गिरि : हो सकता है कि वह सब क्षेत्रों के बारे में न हों ।

अध्यक्ष महोदय : जो आंकड़े दिये गये हैं वह नौकरी दफ्तरों में नाम दर्ज करने वाले लोगों के बारे में हैं । क्या यह सच है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं जनवरी १९५३ से १९५४ तक नौकरी दफ्तरों द्वारा प्रत्येक तिमाही में दर्ज किये गये लोगों की संख्या बताने वाला विवरण दे सकता हूं । मेरे पास ब्यौरेवार आंकड़े हैं । मैं यह विवरण अपने माननीय मित्र को दे दूंगा और उसके बाद यदि वह अधिक प्रश्न पूछना चाहें तो उनके उत्तर देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह क्यों होता है कि नौकरियां चाहने वाले सब लोग नौकरी दफ्तरों के पास नहीं चले जाते हैं जो कि उनकी सहायता के लिए खोले गए हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : उन्हें पहिचानने वाले ऐसे कुछ प्रभावी लोग अवश्य होंगे जिनके बल पर वह नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विवरण में रोजगारी की समस्या के बारे में देश की विद्यमान स्थिति का प्रतिबिंब मिलता है ? मेरी राय में श्री शर्मा भी यही जानना चाहते थे ।

अध्यक्ष महोदय : और इसी लिये मैंने मंत्री से पूछा कि क्या उनके दिये हुए आंकड़ों में केवल वही बेकार लोग सम्मिलित हैं जो नौकरी दफ्तरों में नाम दर्ज करते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे विवरण क्यों बनाये जाते हैं जबकि वह विश्वसनीय नहीं होते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं आजकल कम लोग नाम दर्ज करवा रहे हैं क्योंकि जो लोग वहां जाकर नाम दर्ज करते हैं उन्हें कई दिनों तक इस दफ्तर द्वारा कोई काम नहीं मिलता ?

श्री वी० वी० गिरि : यह कथन सही नहीं है । नाम दर्ज करवाने वालों में से लगभग १० से २० प्रतिशत लोगों को तुरन्त ही नौकरी मिल जाती है ।

गोबर की गैस

*७१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बड़े पैमाने पर गोबर से गैस बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) यह गैस बनाने के लिए जिन कल पुर्जों की ज़रूरत होती है, उनके निर्माण की क्या व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) यह निर्माण कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) आई० ए० आर० आई० में छोटे पैमाने पर गैस बनाने के प्रयोग हो रहे हैं संयन्त्र के सफल तथा कम व्यय वाला सिद्ध होने के उपरान्त, बड़े पैमाने पर संयत्र बनाने के लिए कारखानों को आकार प्रकार बता दिया जायगा।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि इस गोबर से गैस निकालने वाले प्लान्ट का सम्भावित मूल्य क्या होगा और क्या इसको औसत दर्जे के किसान इस्तैमाल करके फ़ायदा उठा सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, यह अलग अलग कीमत के हैं, २५० रुपये से लेकर वह दस, पन्द्रह, हज़ार रुपये तक जा सकते हैं जिनको छोटी म्यूनिसिपैल्टीज़ इस्तैमाल कर सकती हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि गैस बनाने को प्रोत्साहन देने का, गाय के गोबर के खाद रूप में प्रयोग होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

डा० श्री पी० एस० देशमुख : गैस तथा खाद दोनों ही बनाये जाते हैं।

नैपाल में विमान सेवाओं का विकास

*७२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैपाल सरकार ने भारत सरकार से नैपाल को अन्तर्देशीय विमान सेवायें स्थापित करने में सहायता देने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है जिसके लिए नैपाल ने सहायता मांगी है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है; और

(घ) भारत किस प्रकार की सहायता देने वाला है।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) तक---नैपाल में विमान सेवाओं पर दोनों सरकारों के बीच चर्चा हो रही है। मुझे खेद है कि मैं चर्चा के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता हूं।

श्री जयपाल सिंह : चर्चा कब आरम्भ हुई थी ? वह किस मास में आरम्भ हुई थी ?

श्री राज बहादुर : चर्चा इस वर्ष के आरम्भ में शुरू हुई थी।

श्री जयपाल सिंह : अब तक नैपाल में अथवा भारत में कितनी बैठकें हुई हैं ?

श्री राज बहादुर : एक।

बीमा हुए पार्सलों की चोरी

*७३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या जून १९५४ में कानपुर के डाक घर से बीमा हुये दो पार्सल जो, कानपुर के एक बैंक के नाम थे और जिनमें चलाथ नोट थे, चोरी हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है तथा क्या अपराधियों का पता लगा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाकिया ने दिखाया था कि बीमा हुये छः पार्सल जो सेन्ट्रल बैंक, कानपुर के नाम थे और बीमा हुआ एक अन्य पार्सल जो कानपुर के हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक के नाम था और जिनमें चालार्थ नोटों के होने का दावा किया

गया है, दे दिये गये थे। परन्तु पाने वालों ने कहा है कि उन्हें पार्सल प्राप्त नहीं हुये।

(ख) पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक अपराधियों का पता नहीं लगा है

सरदार हुक्म सिंह : चलार्थ नोटों के उन पार्सलों का क्या मूल्य था ?

श्री राज बहादुर : कहा जाता है कि मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के छः पार्सलों में लगभग १,२७,००० रुपयों के चलार्थ नोट थे परन्तु उनका बीमा कुल ६०० रुपयों का कराया गया था। मैसर्स हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक के पार्सल के बारे में बताया गया है कि उसमें २५,००० रुपयों के चलार्थ-नोट थे।

ट्रेलों में रोशनी

*७४. **श्री दाभी** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद तथा दिल्ली के बीच पश्चिम रेलवे की छोटी लाइन पर चलने वाले दिल्ली मेल तथा अन्य रेलों के डिब्बों में कई बार या तो बिल्कुल ही रोशनी नहीं होती है या बहुत मंदी रोशनी होती है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त भाग (क) में कही गई बातों की रेलवे प्राधिकारियों से प्रायः शिकायत की गई हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) साधारण रूप में, रोशनी का सन्तोषजनक प्रबन्ध है, हालांकि कुछ डिब्बों में मंदी रोशनी की शिकायतें की गई हैं।

(ग) (१) निम्न क्षमता वाले जनित्रों को उच्च क्षमता वाले जनित्रों से बदला जा रहा है। (२) अधिक यात्री डिब्बों में जनित्र लगाये जा रहे हैं।

श्री दाभी : क्या यह सच है कि अहमदाबाद की रेलवे यात्री संस्था के सभापति तथा पन्द्रह अन्य यात्रियों ने, जो दिल्ली मेल से यात्रा कर रहे थे, २० जून १९५४ को रात के १० बजे रेल के कन्डक्टर से शिकायत की थी कि बहुत से डिब्बों में, जिनमें स्त्रियों के डिब्बे भी हैं, रोशनी नहीं है ?

श्री अलगेशन : रेलवे यात्री संस्था तथा अन्य यात्रियों ने शिकायत की थी।

श्री दाभी : क्या यह देखने की कोई व्यवस्था है कि इन डिब्बों में उचित रोशनी है या नहीं ?

श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि आजकल सारे डिब्बों में, जिनमें जनित्र नहीं हैं, जनित्र लगाने तथा निम्न क्षमता वाले जनित्रों को उच्च क्षमता वाले जनित्रों से बदलने का काम हो रहा है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि कभी कभी यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए रोशनी नहीं रखी जाती या कम रोशनी रखी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अग्रेतर प्रश्न।

वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्ता

*७५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने वैद्यकीय विद्यालय (मेडिकल कालिज) चिकित्सालयों में वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त करने की नई प्रणाली को प्रचलित कर दिया है; और

(ख) कितने राज्यों ने उसे अपनाने की सहमति दे दी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) हां।

(ख) अब तक चार राज्यों बम्बई पश्चिमी बंगाल, मध्य भारत और सौराष्ट्र ने इस योजना में सम्मिलित होने की सहमति दे दी है।

श्री कृष्णाचाय जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि वैद्यकीय विद्यालयों ने नियुक्ति की इस प्रणाली के बारे में कोई सहयोग दिया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : हां, भारत सरकार ने इस योजना को पंचवर्षीय योजना में स्थान देने के लिए पर्याप्त महत्व-पूर्ण समझा और हम लोगों ने राज्यों की सहायता के लिए ३·२ लाख की धनराशि सुरक्षित कर दी है। दुर्भाग्यवश, राज्यों का सहयोग उतना संतोषजनक नहीं रहा जितना कि अपेक्षित था।

श्री राघवैय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कार्यकर्त्ताओं को उनकी सेवाओं के बदले में कुछ दिया जाता है, और यदि हां, तो उनकी वेतन श्रेणी क्या है और इस नियुक्ति के योग्य होने के लिए उनमें किन अर्हताओं का होना आवश्यक है ?

राजकुमारी अमृतकौर : वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्ता की न्यूनतम अर्हता के लिए भारत के तीन मद्रास, बम्बई और दिल्ली के सामाजिक सेवा विद्यालयों का उपाधिपत्र होना चाहिए। राज्य स्वयं उनके वेतन श्रेणी का निश्चय करेगी, प्रर दिल्ली के सम्बन्ध में म कह सकती हूं कि हम २५० रु० मासिक तक देते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि वद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की शिक्षा हेतु कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा चुके हैं?

राजकुमारी अमृतकौर : अभी अभी मैंने बताया कि तीन केन्द्र, एक दिल्ली, एक बम्बई और एक मद्रास में है।

बचत बैंक लेखा

*७६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकखाने के बचत बैंक लेखे से एक सप्ताह में एक से अधिक बार रुपया निकालने के प्रश्न का निर्णय कर दिया गया है; और

(ख) क्या निक्षेपों की सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां। अधिसूचना शीघ्र ही निकाली जायेगी।

(ख) डाकखाने के बचत बैंकों में निक्षेपों की सर्वोच्च सीमा को बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सुविधा सभी डाकखानों में रहेगी या केवल कुछ चुने हुये डाकखानों में ही ?

श्री राज बहादुर : सभी डाकखानों में रहेगी।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या में जान सकता हूं कि इस काम में किये गये अति-रिक्त व्यय का कोई हिसाब लगाया गया है ?

श्री राज बहादुर : यह बताना बहुत कठिन होगा क्योंकि डाकखाने के काम में, व्यय का हिसाब रखने में हम काम का ध्यान अवश्य रखते ह और शायद बहुत आगे चल कर व्यय कुछ बढ़े।

मसाला जांच समिति

*७८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने मसाला जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा इस पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों की अवधि में मसालों के विकास, उत्पादन तथा क्रयविक्रय हेतु कितनी धनराशि व्यय करने का विचार करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां ।

(ख) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के शेष समय हेतु २१ लाख रुपया व्यय करने का विचार है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में वर्तमान योजना के शेष समय के अनुभव के आधार पर आगे चल कर निश्चय किया जायगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार इन उद्योगों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए कितने अतिरिक्त गवेषणा केन्द्र खोलने जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्व सूचना चाहिए। उनके सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय अभी नहीं हुआ है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या विक्रय व्यवस्था के लिए कोई अलग राशि है ? क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि सरकार मसालों के लिए एक अधिक अच्छी विक्रय प्रणाली का संगठन करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: सरकार ने विक्रय के लये जो राशि निश्चित की थी उसका उपयोग केवल उसी कार्य में हो रहा है। मसालों के सम्बन्ध में जो राशि हम निश्चत करने जा रहे हैं वह पर्याप्त मानी जाती है ।

विदेशी सांड

*७९. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार एक नवीन वैज्ञानिक पशु नस्ल योजना को प्रारम्भ करने के लिये विदेशों से सांडों का आयात करने का विचार कर रही है ;

(ख) कितने साडों का आयात किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सांड भारत में आ गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं , तो कब उनके आने की आशा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां केवल अमेरिका से ।

(ख) १६ ।

(ग) नहीं ।

(घ) सितम्बर, १९५४ के मध्य तक ६ सांड आ जायेंगे और शेष कुछ समय बाद ।

श्री के० पी० सिन्हा : उनका देश में किस प्रकार वितरण किया जायगा?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारे पास उनको वितरित करने के लिये एक योजना है उससे पता चलता है कि उनका उपयोग कैसे किया जायेगा। उनमें से चार का उपयोग भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् करने जा रही है और इसी प्रकार अनेक अन्य संस्थाएं ।

पौष्टिकता सम्बन्धी मन्त्रणा समिति

*८०. **श्री अमनद अली** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् की पौष्टिकता सम्बन्धी मंत्रणा समिति ने देश के शिशुओं तथा बालकों की पौष्टिकता के विषयों में नमूने का सर्वेक्षण करने का निश्चय किया है ; और

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने सिफारिश की है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन देना दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक आवश्यक अंग होना चाहिये ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसी सिफारिश की गई है ।

चीनी के लाभ में हिस्सा

*८१. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनीताल में २८ जून, १९५४ को चीनी और गन्ने के सम्बन्ध में हुये त्रिदलीय सम्मेलन में किन किन संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे ;

(ख) ये प्रतिनिधि इन संस्थाओं ने चुन कर भेजे थे या सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये गये थे ;

(ग) क्या यह सच है कि सम्मेलन ने यह तय किया कि मिल मालिक १९५२ तथा १९५३ में चीनी में हुये लाभ में से गन्ना उत्पादकों को हिस्सा देंगे ; और

(घ) यदि हाँ, तो गन्ना उत्पादकों को लाभ का कितने प्रतिशत भाग दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख) । उत्तर प्रदेश की सरकार से जिसने उक्त सम्मेलन किया था अपेक्षित जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) यह विषय अभी विचाराधीन है ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या यह सच है कि जिस संघ ने इस शुगर केन के प्रश्न को उठाया था उस किसान पंचायत जैसे मुख्य संघ को छोड़ दिया गया है और सिर्फ व्यक्तिगत आदमियों को इस काम के लिये बुला लिया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैंने जवाब में कहा है यू० पी० गवर्नमेंट ने काफ्रेंस बुलाई थी, वह जाने क्या बात है ।

श्री आर० एन० सिंह : उसमें हमारे कृषि मंत्री भी मौजूद थे, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सही नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कृषि मंत्री वहां उपस्थित नहीं थे ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सम्मेलन उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलाया था और क्यों कि उसमें देश को रुचि थी इस लिये मैं भी वहां गया था ।

लाहौर-अमृतसर रेल सम्बन्ध

*८३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अमृतसर-लाहौर के रास्ते दोनों पंजाबों के बीच रेल सम्बन्ध को फिर से स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अमृतसर और लाहौर के बीच पुनः सवारी गाड़ी चलाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, परन्तु यह तब आरम्भ होगी जब सीमा के स्टेशनों पर

सीमा शुल्क तथा पुलिस चौकियों का प्रबन्ध पूरा हो जायगा ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

विशेष सैनिक गाड़ी की दुर्घटना

अल्प सूचना प्रश्न ९० डा० राम सुभग सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १७—१८ अगस्त, १९५४ की रात को पश्चिम रेलवे के रतलाम कोटा विभाग पर भवान्नी भंडी और कुर्लासी के बीच एक विशेष सैनिक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे ;

(ग) इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुये ;

(घ) कितने आहत व्यक्ति अब भी हस्पताल में पड़े हैं ; और

(ङ) कितने व्यक्ति घावों के कारण हस्पताल में मर गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सैनिक कर्मचारियों की एक विशेष गाड़ी पी/ ७८ जो १७-८-५४ को उज्जैन से पठान कोट के लिये रवाना हुई थी १७-८-५४ को रात के ११.५५ बजे पश्चिम रेलवे के इकहरी बड़ी लाइन के कोटा रतलाम विभाग पर कुर्लासी और भवानी भंडी के स्टेशनों के बीच दुर्घटना-ग्रस्त हो गई, इंजन के साथ के ९ माल के डिब्बे पटरी से उतर गये जिन में से सात टूट-फूट,गये, माल के डिब्बों के साथ वाले तीन सैनिक यात्री डिब्बे भी टूट-फूट गये ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच रेलवे के सरकारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है, उस ने शाम गढ़ में २०-८-५४ को जांच आरम्भ कर दी है ।

(ग) २०-८-५४ को हताहतों की संख्या इस प्रकार थी :—

(i) मारे गये व्यक्तियों की संख्या	११	इसमें बुरी तरह घायल व्यक्तियों में से एक ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो हस्पताल जाते समय रास्ते में ही मर गया था और एक दूसरा जिस की मृत्यु हस्पताल में हुई ।
(ii) बुरी तरह घायल हुये व्यक्तियों की संख्या	८	२ व्यक्तियों को छोड़ कर जिनकी मृत्यु हो गई थी जैसा कि ऊपर बताया गया है ।
(iii) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें थोड़ी चोटें आई हैं	३८ ।	

(घ) और (ङ) ८ बुरी तरह घायल हुये व्यक्तियों समेत कुल सत्ताइस घायलों को कोटा के सैनिक हस्पताल में प्रविष्ट कराया गया था । इनमें से एक की मृत्यु हो गई और १८-८-५४ को रात के ९ बजे १७ को एक सैनिक डकोटा विमान द्वारा दिल्ली के सैनिक हस्पताल में लाया गया । शेष ९ कोटा सैनिक हस्पताल में हैं और उन्हें २०-८-५४ को दिन के ४ बजे एक सैनिक डकोटा विमान द्वारा लाया जाना था ।

डा० राम सुभग सिंह : रेलवे के सरकारी निरीक्षक जिन के बारे में माननीय उप-मंत्री ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं, जांच का प्रतिवेदन कब तक देंगे ?

श्री अलगेशन : सामान्यतः यह जल्दी ही हो जाता है, उसने २० अगस्त को जांच आरम्भ की है और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही प्रतिवेदन मिल जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उस लाइन पर पुनः गाड़ियां आने जाने लगी हैं ?

श्री अलगेशन : अभी तक नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : इसके कब तक पुनः चालू होने की सम्भावना है ? किस समय तक ?

श्री अलगेशन : इस में सम्भवतः कुछ और समय लग जाये ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या पुल की मरम्मत की गई थी और क्या इस बात का ध्यान रखने के लिये पर्याप्त सावधानियां की गयी थीं कि कोई दुर्घटना न हो ?

श्री अलगेशन : जांच का प्रतिवेदन मिलने पर हमें यह सब पता चलेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या दुर्घटना का कारण जानने के लिये विभागीय रूप से कोई जांच नहीं की गई । रेलवे का सरकारी निरीक्षक संचार मंत्रालय का होता है, क्या स्वयं रेलवे वालों ने कोई जांच नहीं करवाई है ?

श्री अलगेशन : रेलवे का सरकारी निरीक्षक ही इन सब बातों की जांच करता है ।

श्री गिडवानी : क्या मारे गये व्यक्तियों के सम्बन्धियों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी यह प्रश्न पूछने का समय नहीं है । पहले दुर्घटना के कारणों का पता लगा लेने दीजिये उस के पश्चात् ही रेलवे पर उत्तरदायित्व डाला जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि दुर्घटनाओं के लिये भी सरकार और रेलवे ही उत्तरदायी हैं । ऐसी बात नहीं है । मैं समझता हूं जब तक कहीं लापरवाही न की गई हो तब तक उत्तर-दायित्व का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाढ़

अध्यक्ष महोदय : बाढ़ के बारे में दो और अल्प-सूचना प्रश्न हैं । एक श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी और अन्य सदस्यों का है—उन सब के नाम इकट्ठे हैं—और दूसरा प्रश्न श्री ए० पी० सिन्हा का है । मेरा विचार है कि ये दोनों प्रश्न एक साथ एक के बाद एक करके लिये जा सकते हैं और माननीय मंत्री इनका उत्तर इकट्ठा ही दे दें ।

अल्प सूचना प्रश्न २. श्री ए० पी० सिन्हा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सारे उत्तरी बिहार में अभूतपूर्व बाढ़ आने से राजपथों सहित सड़कों, रेल-पथों, टैलीग्राफ की तारों और खम्भों, फसलों और घरों को बहुत अधिक क्षति पहुंची है,

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई है ; और

(ग) इस भयानक विपत्ति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और लोगों को किस प्रकार की और कितनी सहायता दी गई ?

अल्प सूचना प्रश्न ३. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम और पंजाब में बाढ़ की विपत्ति के परिणामस्वरूप लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति, राजपथों, रेल-पथों इत्यादि को बहुत क्षति पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने क्षति का कोई अनुमान लगाया है ;

(ग) पीड़ितों की सहायता के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या बाढ़ द्वारा हुये विनाश की जांच करने और भविष्य में ऐसे विनाश को रोकने के लिये दीर्घकालीन उपचार सुझाने के हेतु कोई जांच समिति बनायी जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ' के प्रश्न और श्री ए० पी० सिन्हा द्वारा पूछे गये प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर उस *वक्तव्य में मिल जायेंगे जो माननीय गृह-मंत्री देने वाले हैं। मैं यह जानकारी दे सकता हूं :

आज गृह-कार्य मंत्री देश की सामान्य बाढ़ स्थिति और उसके द्वारा हुई क्षति के बारे में एक वक्तव्य देने वाले हैं।

भारत सरकार बिहार सरकार को जिसने सहायता मांगी थी निम्न सहायता देने के लिये तैयार हो गई है :

(१) बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्रीय भंडार से १४ रुपये आठ आने प्रति मन के विक्रय मूल्य के स्थान पर १२ रुपया प्रति मन की रियायती दर से गेहूं देना ;

(२) बिहार सरकार को अपने भंडार से १५ रुपये प्रति मन की रियायती दर पर अर्थात् लागत से ४ रुपये प्रति मन कम पर बेचने के लिये चावल देगी। आर्थिक सहायता का आधा भाग केन्द्रीय सरकार देगी ;

(३) राज्य सरकार को निरपेक्ष सहायता पर होने वाले व्यय के पहले दो करोड़ रुपय के ५० प्रतिशत तक और उसके पश्चात् ७५ प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा जिस में ऊपर की मद (१) और (२) में दी गई आर्थिक सहायता भी सम्मिलित होगी ;

(४) भारत सरकार बिहार सरकार को इस योग्य बनाने के लिये कि वह पीड़ितों को उधार दे सके, सुविधायें देने का प्रयत्न कर रही हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मंत्री हमें इस सम्बन्ध में कुछ बता सकते हैं कि अब तक केन्द्रीय सरकार ने सहायतार्थ कितनी धनराशि व्यय की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : भारत सरकार ने यह प्राधिकार बिहार सरकार को दे दिया था और जब उन से लेखा मिलेगा तो इस संख्या का पता चलेगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं यह पूछ रहा हूं कि इन क्षेत्रों—बिहार तथा अन्य क्षेत्रों—पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

अध्यक्ष महोदय। क्या उन्होंने उत्तर नहीं दे दिया है ? मंजूर की गई राशि लगभग २ करोड़ रुपये और कुछ है। इसे बिहार सरकार व्यय करेगी और वे उसे पूरा कर देंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं कुछ आंकड़े बता सकता हूं। तीन राज्यों में जो कुल धनराशि निरपेक्ष सहायता पर व्यय करने

*२४ अगस्त १९५४ के वाद-विवाद भाग २ के स्तम्भ ९७ से १०४ में मुद्रित।

का विचार है अथवा की गई है उसका अनुमान इस प्रकार है :

बिहार–१५८.०५ लाख रुपये ;

पश्चिमी बंगाल–४ लाख रुपये तथा ५०० मन चावल ;

आसाम–२.६८ लाख पये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मंत्री जी हमें इन बाढ़ों से पीड़ित लोगों की संख्या और बाढ़ग्रस्त प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के सम्बन्ध में जानकारी दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें वक्तव्य की प्रतीक्षा करनी चाहिये । केवल उन बातों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका उन्होंने उत्तर दिया है अन्यथा उन्हें उस वक्तव्य में जानकारी मिल जायेगी जो माननीय गृह-कार्य मंत्री देने वाले हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों के सम्बन्ध में वैसी सहायता के लिये कोई अभ्यावेदन भेजा है जैसी सहायता बिहार और अन्य राज्यों को दी गई है ?

श्री किदवई : हमें अभी उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी सूचना नहीं मिली है ।

श्री ए० पी० सिन्हा: क्या सरकार को यह विदित है कि १९५०-५१ में दुर्भिक्ष के कारण और १९५३ में बाढ़ों के कारण बिहार सरकार को सहायता पर १४ करोड़ रुपया व्यय करना पड़ा ?

श्री किदवई : बिहार सरकार को पिछले वर्षों में सहायता पर बहुत धनराशि व्यय करनी पड़ी । माननीय सदस्य ने स्वयं यह देख लिया होगा कि हमारी सहायता में क्या परिवर्तन हुआ है । गत वर्ष तक निरपेक्ष सहायता के सम्बन्ध में हम अधिकतम ४८ लाख रुपये की सीमा तक ५० प्रतिशत देने के लिये तैयार थे, अर्थात् हम ४८ लाख रुपये से अधिक नहीं देते थे । परन्तु इस वर्ष भारत सरकार ने १ करोड़ रुपये तक ५० प्रतिशत देने के लिये सहमति दे दी है अर्थात् वह एक करोड़ रुपया देगी और २ करोड़ से अधिक जो राशि व्यय होगी भारत सरकार उसका ७५ प्रतिशत देगी । अतएव हमने जो कुछ पिछले वर्षों में किया था उससे हम बहुत आगे बढ़ गये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने प्रथम अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि भारत सरकार ने बिहार सरकार को व्यय करने का प्राधिकार दे दिया है । मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने बिहार सरकार को यह प्राधिकार दे दिया है कि वह इस आपातकाल के लिये जितनी धनराशि के व्यय की आवश्यकता हो उतनी व्यय कर दे ?

श्री किदवई : हम ने इस बार कोई सीमा नहीं रखी है—मैं यह पहले स्पष्ट कर चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें पहले माननीय गृह-मंत्री का वक्तव्य सुन लेना चाहिये । मैं देखता हूं कि इतने माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिये उतावले हैं और उनके ये प्रश्न प्रकरण से भिन्न हो सकते हैं । यह अच्छा होगा कि वह माननीय मंत्री का पूरा वक्तव्य सुन लें—जो मुझे आशा है कि काफी बड़ा होगा । और तब इस का अध्ययन करें ।

श्री अमजद अली : माननीय श्री नन्दा ने वायुयान द्वारा आसाम का दौरा किया है .....

अध्यक्ष महोदय : यह तो सब को पता है ।

श्री अमजद अली : क्या वह वक्तव्य देने को तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम पहले माननीय गृह-मंत्री का वक्तव्य सुन लें । मामलों को उलझाने से कोई लाभ नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बर्मा का चावल

*४०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बर्मा से खरीदे गये चावल की कितनी मात्रा अभी तक मिली है; और

(ख) यह किन राज्यों को बांटी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ३१ जुलाई, १९५४ तक लगभग १.७४ लाख टन बर्मा का चावल भारत आ चुका है ।

(ख) यह चावल इस प्रकार बांटा गया है :—

	टन
१. त्रावनकोर-कोचीन	४८,८३९
२. रक्षा	१४,८९३
३. अंडेमान	२००
४. कोयले की खानें	१,०००
५. गोआ में रेलवे कर्मचारी वृन्द	६०

१,०९,०९१ टन केन्द्रीय रक्षित डिपुओं में रखा गया है ।

टेलीप्रिंटरों का दुरुपयोग

*४४. **श्री झूलन सिंहा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) टेलीप्रिन्टर सेवाओं के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जो आरोप उन्हें एक खुली चिट्ठी में मिले हैं क्या उनके सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) मानिटरिंग ने डाक तथा तार विभाग की बातों की पुष्टि की है कि कतिपय समाचार अभिकरणों ने प्रैस सर्कटों का कुछ सीमा तक दुरुपयोग किया है । प्रैस सर्कटों का उचित उपयोग करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की गई है ।

त्रिपुरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता

*५५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा के बाढ़ पीड़ित कृषकों को कोई सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख) हां श्रीमान, २३,५०० रुपये तक ।

त्रिपुरा में सड़कें

*६१. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में जून १९५४ की बाढ़ों से मोटर की सड़कों के बहुत से पुलों को क्षति पहुंची और वे बह गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने पुलों को क्षति पहुंची ;

(ग) संचार तथा यातायात की सुविधाओं को पुनः जारी करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख)। एक पुल और एक पुलिया बह गये थे और नौ पुल और पुलियों को थोड़ी क्षति पहुंची थी।

(ग) भिन्न रास्तों का प्रबन्ध करके और अस्थायी पुलियां बना कर संचार तथा यातायात सुविधायें जारी रखी गयी हैं।

(घ) जहां कहीं सम्भव है वहां स्थायी और अस्थायी पुल बनाये जा रहे हैं।

उर्वरक

*६४. **श्री अजीत सिंह**
श्री बालकृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस समय भारत में कृषकों को देने के लिये उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है ;

(ख) क्या उनके ठीक प्रकार से प्रयोग के सम्बन्ध में कृषकों को पूरी शिक्षा दे दी गई है ; और

(ग) देश की वार्षिक आवश्यकताओं की तुलना में इसका उर्वरकों का कुल उत्पादन कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या २१।]**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

*७७. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों में विभिन्न टैक्नीकल व्यवसायों में वयस्क असैनिकों के टेक्नीकल प्रशिक्षण के पाठ्य-क्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ख) कितनों को आवश्यक डिप्लोमा मिला है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ११,२११ ; टैक्नीकल प्रशिक्षण केवल इंजीनियरिंग और भवन-निर्माण के व्यवसायों में दिया गया है। टैक्नीकल व्यवसायों के लिये निश्चित प्रशिक्षण कालावधि २ वर्ष की थी जिस में से १८ मास प्रशिक्षण केन्द्रों में बिताने थे और शेष ६ मास किसी औद्योगिक स्थापना या केन्द्र में ही उत्पादन या व्यवसायिक कार्य में लगाने थे। प्रशिक्षण के पूरा होने पर परीक्षकों के एक बोर्ड ने प्रशिक्षार्थियों की व्यवसायिक परीक्षा ली थी और उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को डिप्लोमा दिया गया था।

(ख) १०,९५६।

अभ्रक उद्योग में श्रम कल्याण

*८२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश के अभ्रक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिये उपयुक्त गृह-व्यवस्था नहीं है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): सरकार को विदित है कि अभ्रक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की गृह-व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इस स्थिति का मुकाबिला करने के लिये बिहार की अभ्रक की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये जून १९५३ में एक राज्य सहायता प्राप्त गृह-व्यवस्था योजना की मंजूरी दी गई थी। क्योंकि लोगों से इस योजना को सन्तोषजनक प्रोत्साहन नहीं मिला इस लिये यह निश्चय किया गया है कि इस योजना को औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना की पद्धति पर उदार बनाया जाये। इस योजना को आन्ध्र, राजस्थान और अजमेर राज्यों की अभ्रक की खानों पर भी लागू करने का निश्चय

किया गया है। जहां तक अभ्रक के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का सम्बन्ध है वे औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना में आ जाते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद्

*८४. श्री एस० एन० दास :
श्री जेठा लाल जोशी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् ने भारत से वह दस लाख टन खरीदने के लिये कहा है अथवा उसके कहने की सम्भावना है जिस के लिये कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन भारत ने वचन दिया हुआ है ; और

(ख) भारत के प्रमुख केन्द्रों में गेहूं के प्रचलित भाव क्या हैं और निर्यात करने वाले देशों के भावों की तुलना में कैसे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में ऐसी कोई बात कही जायेगी या नहीं

भारत के प्रमुख केन्द्रों में गेहूं के प्रचलित भाव १२ रुपये से १३ पये प्रति मन तक है जब कि आस्ट्रलिया और कैनेडा में इससे कुछ कम है । संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग भारत के समान ही भाव है ।

इंडियन फार्मिंग

१८. श्री वी० पी० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इंडियन फार्मिंग" मासिक की कितनी प्रतियां (१) छपती (२) बिकती और (३) बिना मूल्य बटती हैं ;

(ख) १९५३-५४ में इस पत्र पर सब मिलाकर कुल कितनी राशि व्यय हुई ; और

(ग) (१) विदेशी-स्वामित्व के समवायों और (२) भारतीय समवायों से विज्ञापन प्रभार के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) (१) प्रतिमास छापी गई प्रतियों की कुल संख्या ५,००० ।

(२) बिकी हुई प्रतियों की संख्या २,५४४ ।

(३) बिना मूल्य बांटी गई और बदले में दी गई प्रतियों की संख्या १,२६० ।

(ख) १९५३-५४ में व्यय हुई सब मिला कर कुल राशि १,००,००० पये ।

(ग) १९५३-५४ में निम्न राशियां विज्ञापन प्रभार के रूप में प्राप्त हुई :—

	रुपये
१. विदेशी समवाय	२६,८६०
२. भारतीय समवाय	१३,५५०

कृषियोग्य भूमि का नाइट्रोजन-ह्रास

१९. श्री वी० पी० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) झाड़ियों के उगने से कृषि योग्य भूमि की उवरा शक्ति किस हद तक नष्ट हो जाती है क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई ठीक ठीक जानकारी है ;

(ख) ऐसे मुख्य मुख्य पौधों के नाम क्या है जिन से भूमि के नाइट्रोजन का ह्रास होता है ; और

(ग) क्या नये प्रदेशों में पोहली (कार्थामस आक्सीएकेन्था) जैसी झाड़ियों के उगने और फैलने के विषय में अध्ययन किया गया है और यदि इसके नियंत्रण के कोई उपाय निकाले गये हैं, तो वे क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति झाड़ियों के उगने से किस हद तक नष्ट हो

जाती है इसके सम्बन्ध में अखिल भारतीय रूप से कोई ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली में छोटे पैमाने पर जो परीक्षण किये गये हैं उन से यह अनुमान लगाया गया है कि झाड़ियों के कारण गेहूं की उपज २५ से ३० प्रतिशत तक कम हो जाती है।

(ख) सभी पौधे उगते समय भूमि से नाइट्रोजन लेते हैं। गन्ने, सोरघुम, मकई, तोरिये और सरसों जैसी फसलों को सामान्यतया भूमि के नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। दाल के पौधों जैसे पौधे भी नाइट्रोजन लेते हैं परन्तु उसका थोड़ा सा अंश उनकी जड़ों से, जहां कि जड़ की ग्रंथियों के जीवाणुओं की सहायता से वायुमण्डल की नाइट्रोजन जमी रहती है, पुनः भूमि को लौट जाता है।

(ग) दिल्ली के गांवों की नई भूमि पर पोहली के उगने और फैलने के सम्बन्ध में कुछ कार्य किया गया है। पौधे में फूल निकलने से ठीक पहले उन पर आधुनिक झाड़ियों के रासायनिक तत्व को नष्ट करने वाली २, ४–डी०* २, ४, ५–टी और एम० सी० पी० ए०* छिड़क देने से पौधे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने रासायनिक तत्व के प्रकार की कृत्रिम झाड़ी नष्ट करने की औषधि का प्रयोग करके झाड़ियों को नष्ट कर देने के बारे में गवेषणा की एक आदर्श योजना तैयार की है। परन्तु तनी जल्दी इससे किसी प्रभावोत्पादक परिणाम की आशा नहीं की जा सकती।

*२, ४ डी०-डिक्लोरोफेनोक्सी—एसिटिकए० एसिड एम० सी० पी० ए० मेथिल-क्लोरो-फेनोक्सो एसिटिक एसिड।

२, ४, ५-टी०–२, ४, ५-ट्रिक्लोरो-फेनोक्सी-एसिटिक एसिड।

अनार का उत्पादन

२०. श्री वी० पी० नायर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में अनुमानतः अनार का वार्षिक उत्पादन कितना होता है ;

(ख) इस फल का कितने प्रतिशत पकने से पूर्व अनार की तितली (लार्वी आफ दी पेस्ट वीरकोला आइसोक्रेट्स) द्वारा नष्ट कर दिया जाता है ;

(ग) इस कीड़े को नष्ट करने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं, तो वे क्या हैं और १९५० से १९५४ तक इन से कितनी सफलता मिली है, और

(घ) यह कीड़ा अनुमानतः (१) सीडियम ग्वाजावा और (२) साइट्रस ओरेन्टियम के फल कितनी मात्रा में नष्ट करता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (घ)। एक संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]**

लाख उद्योग

२१. डा० सत्यवादी: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री निम्नलिखित बातों को दर्शाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में लाख की खेती की विभिन्न शाखाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान में कितनी प्रगति हुई ; और

(ख) १९५३-५४ में पंजाब राज्य में लाख उद्योग को बढ़ाने में यदि कोई प्रगति हुई, तो कितनी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख)। एक नोट जिसमें स्थिति बताई हुई है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या २४**

वायरलेस ट्रांसमिटर्स की बरामदगी

२. **श्री मगन लाल बागडी** : क्या **संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वायरलेस ट्रांसमिटर्स के अवैद रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में की गई जांच का क्या फल निकला ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]**

पंजाब में चीनी की खपत

२३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री पंजाब में सन् १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ की चीनी की कुल खपत बतलाने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : पंजाब में चीनी की वास्तविक खपत के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं किन्तु चीनी के कारखानों द्वारा भेजी गई चीनी के आंकड़ों के आधार पर पंजाब को कुल चीनी निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हुई :—

	टन
१९५१-५२	७६,४६४
१९५२-५३	८७,२८१
१९५३-५४ (३१-७-५४ तक)	७८,७००

पंजाब को केन्द्रीय अथवा संयुक्त राष्ट्रीय सहायता

२४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि सन् १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के शिशु कल्याण तथा प्रसूति सहायता कार्यक्रम के विकास के लिये पंजाब को केन्द्रीय सरकार अथवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोई सहायता मिली या नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): सन् १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के शिशु कल्याण तथा प्रसूति व्यवस्था कार्यक्रम के विकास के लिये भारत-सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। इस प्रयोजन के लिये संयुक्त राष्ट्रीय शिशु निधि से पंजाब राज्य के लिये प्राप्त सामान और उपकरण का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]**

फ़ोनोग्राम

२५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री पंजाब में उन स्थानों का नाम बतलाने की कृपा करेंगे जहां फ़ोनोग्राम प्रणाली प्रारम्भ की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : पंजाब में जिन स्थानों पर फोनोग्राम प्रणाली मौजूद है उन के नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) अम्बाला सिटी सी० ओ०
(२) अम्बाला सी० टी० ओ०
(३) अमृतसर सी० टी० ओ०
(४) भटिन्डा डी० टी० ओ०
(५) चंडीगढ़ डी० टी० ओ०
(६) फीरोज़पुर डी० टी० ओ०
(७) फरीदाबाद सी० ओ०
(८) होशियारपुर डी० टी० ओ०
(९) जलन्धर डी० टी० ओ०
(१०) जगाधरी सी० ओ०
(११) लुधियाना डी० टी० ओ०
(१२) नंगल डी० टी० ओ०
(१३) शिमला सी० टी० ओ०
(१४) यमुना नगर सी० ओ०

कोलम्बो प्राविधिक सहयोग योजना

२६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) कोलम्बो प्राविधिक सहयोग योजना के अन्तर्गत रुपये या सामान के रूप में सहायता प्राप्त करने वाले हस्पतालों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) प्राप्त हुई सहायता का कुल मूल्य क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : कोलम्बो योजना के अन्तर्गत किसी हस्पताल को रुपये के रुप में सहायता प्राप्त नहीं हुई है। केवल इर्विन हस्पताल, दिल्ली को सामान के रूप में सहायता प्राप्त हुई है ।

(ख) इर्विन हस्पताल, दिल्ली को प्राप्त सामान का मूल्य लगभग ५५६ पाउन्ड है ।

एंजिनों तथा माल के डिब्बो का समाहार

२७. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) एंजिनों तथा माल डिब्बों की प्राप्ति के विषय में बम्बई में २९ मई, १९५४ को हुई प्रादेशिक रेलवे प्रयोग कर्ताओं की परामर्श समिति की बैठक में क्या निश्चय किये गये ; और

(ख) अन्य कौन से विनिश्चय किये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) । बैठक की कार्यवाही का विवरण, जिसमें यह बताया गया है कि किन किन विषयों पर चर्चा हुई तथा उसके क्या परिणाम हुये, सभा-पटल पर रखा जाता है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या १)**

खाद्य स्थिति

२८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्तमान खाद्य स्थिति कैसी है उत्पादन तथा आयात सम्बन्धी आंकड़े और कमी वाले राज्यों की दशा क्या है ;

(ख) देश के मुख्य मुख्य केन्द्रों में अन्न के दाम किस सीमा तक घटे हैं ; और

(ग) पिछले छः महीने में निर्यात किये गये अन्नों विशेषकर चावल और गेंहू के आटे का क्या परिमाण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) देश की सामान्य खाद्य स्थिति, उन क्षेत्रों के अतिरिक्त, जहां हाल ही में बाढ़ के कारण कुछ कठिनाई उपस्थित हो गई है, सर्वथा संतोषजनक कही जा सकती है ।

सन् १९५३-५४ में जितना अन्न उत्पादन हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ । यह आशा की जाती है कि इस वर्ष का उत्पादन लगभग ५ करोड़ ५५ लाख टन होगा जो १९५२-५३ के उत्पादन से ७५ लाख टन अधिक है ।

खपत की आवश्यकताओं के लिये इस वर्ष चावल के आयात की जरूरत नहीं है। अभी ब्रह्मा से जो चावल आयात किया जा रहा है वह रक्षित निधि बनाने के उद्देश्य से है ।

१ जनवरी, १९५४ से ३१ जुलाई तक ६२०० टन गेहूं, १,९६,००० टन चावल और ८,००० टन अन्य अनाज अर्थात् कुल २,६६,००० टन अन्न आयात किया गया,

जब कि सन् १९५२ में ३१,००,००० टन और सन् १९५३ में १५,८२,००० टन आयात किया गया था ।

अन्न की सुलभता के कारण सरकार चावल और मोटे अनाज पर से नियंत्रण बिल्कुल हटा पाई है ।

गेहूं के दो क्षेत्र बनाये गये हैं । इस का परिणाम यह हुआ है कि आवश्यकता से अधिक अन्न वाले राज्यों के तथा कमी वाले राज्यों के अन्न के मूल्यों का अन्तर कम हो गया है । पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कमी वाले राज्यों में अन्न का मूल्य बहुत घट गया है ।

(ख) जनवरी १९५४ के प्रारम्भ से जुलाई के मध्य तक, प्राप्त सूचना के अनुसार अनाजों के मूल्यों की गिरावट निम्नलिखित प्रकार से है :--

चावल--आसाम में नौगोना में ३% से लेकर आंध्र में अमलापुरम् में ३१ % तक ।

ज्वार--आंध्र में करनूल में ८ % से लेकर राजस्थान में भरतपुर में ३४ % तक ।

बाजरा--मध्य प्रदेश में नागपुर में ८ % से लेकर मद्रास में तुपल्यम् तथा राजस्थान में भरतपुर में ३० % तक ।

मक्का--पंजाब में होशियार पुर में १० % से लेकर मध्य प्रदेश में चिनद्वारा में ३३ % तक ।

गेहूं--मध्य भारत में मन्दसोर में १२ % से लेकर बम्बई में धन्धुका में ३६ % तक ।

(ग) ३१ जुलाई, १९५४ तक भारत से किसी अनाज का निर्यात नहीं किया गया और जनवरी १९५४ से जून तक केवल १,१२५ टन गेहूं का आटा निर्यात किया गया ।

रेल के टेकनीशियनों का उच्च प्रशिक्षण

२९. सरदार ए० एस० सहगल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरन्जन रेल-इंजिन कारखाने के टेकनीशियन उच्च प्रशिक्षण हेतु ग्लासगों के नार्थ ब्रिटिश रेल-इंजिन समवाय में भेजे गये हैं ;

(ख) इस प्रकार भेजे गये टेकनीशियनों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या भविष्य में कुछ और भी टेकनीशियनों को भेजने का विचार है ; और

(घ) इन टेकनीशियनों के प्रशिक्षण पर सरकार कितना खर्च करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) ५८ ।

(ग) नहीं ।

(घ) आजकल जो टेकनीशियन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन पर लगभग ८२,००० पये खर्च होगा ।

पर्यटक सांख्यिकी

३०. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या परिवहन मंत्री १९५३ में विदेशी पर्यटकों के यातायात से प्राप्त कुल आय बताने की कृपा करेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : विदेशी पर्यटकों के यातायात से १९५३ में प्राप्त कुल आय का प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं है ।

गन्ना

३१. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० मई, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ की तुलना में १९५३-५४ में गन्ना पेरने की अवधि कम किये जाने के क्या कारण थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १९५२-५३ की तुलना में १९५३-५४ में गन्ना पेरने की अवधि में कमी का कारण गन्ने के उत्पादन और उसके क्षेत्र में ह्रास के परिणाम स्वरूप गन्ने की उपलब्धि में कमी थी। गन्ने के क्षेत्र में कमी होने का मुख्य कारण उसे बोने के समय गुड़ की कीमतें में गिरावट थी। गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में कमी के साथ साथ वर्षा की कमी और कतिपय क्षेत्रों के सिंचाई स्त्रोतों में पानी के अपर्याप्त सम्भरण के कारण भी उसके उत्पादन में कमी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में बाढ़ से फसल को पर्याप्त हानि हुई।

विदेशों से रेल के इंजिन

३२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे इंजिनों की कुल संख्या कितनी है जिनके लिये विदेशों में आदेश दिये गये हैं लेकिन जो अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं ;

(ख) इंजिनों की संख्या, उनका साइज, और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें आदेश दिये गये हैं ;

(ग) भारत में उनके कब तक आ जाने की आशा है ;

(घ) स्वयं भारत में इस प्रकार के कितने इंजिन निर्मित किये जायेंगे ; और

(ङ) आयात किये गये और भारत में निर्मित होने वाले प्रति इंजिन की क्या कीमत है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ङ)। अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]**

डाकीय जीवन बीमा

३३. **श्री राज बहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकीय-जीवन बीमा योजना के अधीन १९५३-५४ में कितने का कारोबार पूर्ण किया गया है ; और

(ख) १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितनी प्रव्याजि एकत्रित की गई है और अभिकर्ताओं को कितना कमीशन दिया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख)। १९५३-५४ में ३,२६,६६,२०० रुपये के मूल्य के १३,५५९ नवीन बीमा पत्र जारी किये गये थे।

प्रव्याजि की रकम १९५२-५३ में ९२,५५,१८० रुपये और १९५३-५४ में ९९,६३,११५ रुपये एकत्रित की गई थी। डाकीय जीवन बीमा कार्य में अभिकर्ता नियोजित नहीं किये जाते हैं।

केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों का सामूहिक एक्स-रे

३४. **श्री अजित सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि यह जानने के लिये कि केन्द्रीय सचिवालय के किसी

कर्मचारी को क्षयरोग है उनका "सामूहिक रूप से एक्स-रे" किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता लगा और इन मामलों को निबटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) सरकार ने १९५३ में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के सम्बन्ध में क्षयरोग के उपचार के लिये कुल कितनी राशि की पूर्ति की ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी हां ।

(ख) १९५३ में और १९५४ के प्रथम सात महीनों में जिन ४२,५८३ व्यक्तियों का सामूहिक सूक्ष्म रेडियो चित्र द्वारा परीक्षण किया गया था उनमें से १६६ व्यक्तियों को फेफड़े सम्बन्धी क्षयरोग की चिकित्सा की आवश्यकता थी । नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र द्वारा उन व्यक्तियों के कार्यालयों से कहा गया था कि वे चिकित्सा सहायता नियमों के अनुसार उनका (कर्मचारियों का) उपचार करायें तथा उन्हें हस्पतालों में भरती करायें । हस्पतालों में भर्ती न होने तक नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र की ओर से उनका बाहर के मरीजों के रूप में उपचार किया गया ।

(ग) अपेक्षित जानकारी संग्रहीत की जा रही है और यथोचित समय में सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेल गाड़ियों में खाद्य पदार्थों की बिक्री

३५. श्री अच्युतन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की यात्री गाड़ियों में खाद्य पदार्थों की बिक्री के वर्तमान प्रबन्ध में कुछ परिवर्तन किये हैं तथा यदि हां तो क्या क्या परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) क्या ग्रांड ट्रंक ऐक्सप्रेस के खाद्य पदार्थों में दक्षिण भारतीय स्वादु पदार्थों के अनुरूप कोई सुधार किया गया है ।

(ग) भोजन गाड़ी के खाद्य पदार्थों के दरों में क्या कमी की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने गाड़ियों में खाद्य पदार्थों के ठेकों को टैन्डरों द्वारा देने के प्रश्न पर जांच कर ली है ; तथा

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या स्वीकार करने जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं श्रीमान्, किन्तु यह विषय एक विशेष समिति के विचाराधीन है जो प्रयोगात्मक निर्णय पर पहुंच चुकी है । जैसे खाद्यान्नों का स्तर, आदि ।

(ख) दिल्ली तथा बालारशाह के बीच में, इस गाड़ी के भोजन डिब्बे में कुछ दक्षिण भारतीय तश्तरियों तथा पूरे दक्षिण भारतीय भोजन की व्यवस्था है ।

(ग) तथा (घ) । ये बातें भाग (क) में बताई गई समिति के विचाराधीन हैं ।

(ङ) यह समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर है परन्तु अभी तक टैण्डर प्रबन्ध के बजाय अनुज्ञप्ति प्रबन्ध को ही महत्व दिया गया है ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण

३६. श्री के० के० बसु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण ने कितने पंचाट दिये विशेषतया, १९५१, १९५२ तथा १९५३ में पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में ;

(ख) कितने पंचाटों का परिपालन नहीं किया गया

(ग) उन पार्टियों के क्या नाम हैं जो दोषी थीं ; तथा

(घ) उन पार्टियों की संख्या क्या है जिन पर अभियोग लगाया गया ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)

(क)	१९५१	९
	१९५२	३
	१९५३	७

(ख) सरकार को पंचाटों के परिपालन न करने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) तथा (घ) । प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति

३७. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने अब तक कितना काम किया है ;

(ख) क्या समिति ने केन्द्रीय या राज्य सरकारों को कोई सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन सुझावों का सारांश पटल पर रखा जायगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मई, १९५३ में इस समिति के बनने पर केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने पेप्सू, दिल्ली हिमाचल प्रदेश तथा मैसूर के भूमि सुधार प्रस्तावों पर विचार किया तथा सलाह दी। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के इन सुझावों की एक संक्षिप्त-लिपि पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**

ाम सेवक

३८. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) ३१ मई, १९५४ तक आंध्र राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले के विस्तार शिक्षण केन्द्र में कितने ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने उस राज्य में दूसरा प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया है ;

(ग) यदि हां, तो नये केन्द्र की स्थिति किस स्थान पर है ; तथा

(घ) ग्राम सेवकों को छांटने की क्या प्रक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ३१-५-५४ तक ९८ ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

(ख) एक पारी शिक्षण केन्द्र को दो पारी केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है तथा एक नया एक पारी केन्द्र खोलने का भी विचार है ।

(ग) नया केन्द्र पश्चिमी गोदावरी जिले के गोन्नापालम क्षेत्र में स्थित होगा ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति शिक्षार्थियों को छांटती है ।

चीनी में लाभ

४०. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिलों ने १९५३ के मौसम में अनुमानतः कितना लाभ कमाया ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में विभिन्न चीनी मिलों को अलग अलग कितनी हानि या लाभ हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) । अपेक्षित जानकारी चीनी मिलों से मंगाई गई है तथा पटल पर रख दी जायेगी ।

पोत-घाट कर्मचारी

४१. श्री रामा नन्द दास : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकता बम्बई तथा मद्रास के पोत घाटों में पंजीबद्ध पोत-घाट कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन बन्दरगाहों पर कितना माल लादा तथा उतारा जाता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी०, गिरि) : (क) तथा (ख) । पंजीबद्ध पोत-घाट कर्मचारियों की संख्या तथा कुल माल लादने तथा उतारने का विवरण निम्न प्रकार है :—

बन्दरगाह का नाम	पोत-घाट श्रम मंडलियों द्वारा पंजीबद्ध किए गए पोत-घाट कर्मचारियों की संख्या	१९५३-५४ में जितना माल लादा तथा उतारा गया
१. कलकत्ता	११,१८६	८,०५९,०९९ टन
२. बम्बई	४,५३६	३,६४१,४५२ टन
३. मद्रास	पंजीयन कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। संख्या १,००० तथा १,२०० के अन्तर्गत पहुंच सकती है ।	२,०३७,३०५ टन

भारतवर्ष में कोढ़

४२. { श्री अमजद अली :
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत में अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोढ़ियों के लिये कितने बिछौने प्राप्य हैं ;

(ख) भारत के प्रत्येक राज्य में कोढ़ियों तथा कोढ़ रोग से मिलते जुलते मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) रोग फैलने के कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोढ़ियों के इलाज की शिक्षा तथा सहायक केन्द्र खोलने पर विचार हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) उपनगरों, गृहों, आलयों तथा हस्पतालों में कोढ़ियों के लिये प्राप्य बिछौनों की संख्या २०,००० है ।

(ख) ठीक आंकड़े प्राप्य नहीं हैं, पर देश में कोढ़ियों की संख्या लगभग १२ लाख के आस पास है । कोढ़ रोग से मिलते जुलते मामलों की संख्या पच्चीस हजार के लगभग है ।

(ग) रोग के फैलने के कारण सामाजिक , आर्थिक दोनों हैं । इनमें कोढ़ियों के इधर उधर जाने तथा पर्याप्त उपनगरों के न होने से यह रोग फैलता है ।

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोई व्यवस्था अभी तय नहीं हुई है ।

सुल्तानपुर-जफराबाद रेल

४३. **श्री गणपति राम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुल्तानपुर-जफराबाद रेल निर्माण में क्या उन्नति हुई ; तथा

(ख) इस निर्माण कार्य में कितनी धन राशि व्यय हुई ?

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सुल्तानपुर जफराबाद के बीच ५८ मील की दूरी में से ४० मील की दूरी पर लाइन बिछा ी गई है ।

(ख) इस पुनः स्थापन में लगभग ४३ लाख रुपया व्यय हुआ है ।

लोक-सभा

मंगलवार,
२४ अगस्त, १९५४

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

विषय-सूची

खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सोमवार २३ अगस्त, १९५४	
श्री सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त	१
मेज पर रखे गये पत्र—	
छठे सत्र में पारित विधेयक	२—३
नारियल जटा उद्योग नियम	३
केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन	४
बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प	४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन	५
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन	५
फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प	६
छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश	७
भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य	८—१०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०
चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०-११
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	११
प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४	११
दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१२
सदन का कार्य	१२-१३
अध्यादेशों का प्रख्यापन	१४
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	१४-१५
भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	१५
गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन	१५
पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या	१५
बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़	१५-१८
भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध	१८-१९
गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक	१९-२०
मथुरा में दंगे	२०
गोआ मुक्ति के सत्याग्रही	२०
निजामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	२०
सभापति तालिका	२१

	स्तम्भ
सदस्य द्वारा पदत्याग	२१
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—अस्माप्त	२२—९६
मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४	
आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य।	९७—१०४
पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	१०४
हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा	१०४
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार	१०४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि	१०४-१०५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त	१०५—१८८
बुधवार, २५ अगस्त, १९५४	
पटल पर रखे गये पत्र—	
संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना	१८९
संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३	१८९-१९०
संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन	१९०
परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश	१९०-१९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश	१९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण	१९१-१९२
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार	१९२
सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें	१९२
प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में :	
विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना	१९२
वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन	१९२
सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन	१९२
"कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना	१९३-१९४
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१९३-२०७
तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वृद्धि	२०७-२०८
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त	२०८-२६०

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव--	
बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद	२६१-२६२
पटल पर रखे गये पत्र--	
टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम	२६२
टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम	२६३
भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें	२६३-२६४
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण	२६३-२६४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६३
रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६४
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि	२६५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक--संशोधित रूप में पारित	२६५--३२३
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा--असमाप्त	३२३--३३८

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

राज्य सभा से संदेश	३३९--३४१
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४--उपस्थापित याचिका	३४१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--नहर पानी विवाद	३४१--३४५
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक--संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३४५
पटल पर रखे गये पत्र--	
लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प	३४६-३४७
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--चर्चा असमाप्त	३४७--३६५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--स्वीकृत	३६५
हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प--अस्वीकृत	३६५--४०७
कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैज्ञानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प--चर्चा असमाप्त	४०८--४२०

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४ स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति ४२१

पटल पर रखा गया पत्र—

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें ४२१-४२२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . ४२२—४२

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया ४२६-४२७

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . ४२७

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४२७

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . ४२७—४५९

बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . ४५९—५१३

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . ५१३-५१४

राज्य-सभा के सन्देश . . . ५१४

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . ५१४—५९८

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

स्थगन- स्ताव ५९९-६००

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . ६००-६०१

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०१-६०२

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०२

विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६०२-६८६

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६८७

पटल पर रखा गया पत्र —

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १५ . . ६८७-६८८

राज्य-सभा से संदेश ६८८

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--पटल पर रखे गये पत्र-- स्तम्भ

औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . . ६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ . . . . ६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . ६८९
विशेष विवाह विधेयक--
खंडवार विचार--असमाप्त . .६८९--७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग . ७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें . ७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४. . . . . ७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त . ७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . ७६१

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन . . ७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन . ७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य .७६२--७६९
हिन्दी में नाम पट्ट ७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ७७०

विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार--असमाप्त . . .७७१--७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . ७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--पुरःस्थापित . ७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्दमेबाजी विधेयक--पुरःस्थापित ७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक--पुरःस्थापित . ७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . . ७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक--पुरःस्थापित ७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--वाद-विवाद स्थगित . . .७९५--८५०
सभा का कार्य ८५०-८५१

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . ८५१—८८।

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—
ब्राजील और स्पेन से गोआ में स्वयं सेवकों का आना
श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन
पटल पर रखे गये पत्र—
चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .
भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . . . .
१९-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . . .
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .
चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . ८५९—
मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . . . ८९१
विशेष विवाह, विधेयक—
खंडवार विचार—असमाप्त ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र —
परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१
समिति के लिये निर्वाचन—
नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००२
सभा का कार्य—बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२—१००५
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . . १००६—१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०—५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) १०६९-१०७०
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . १०६९-१०७०

स्तम्भ

तीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ . . . १०७०

तीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ . . . १०७०

तीय प्रशासन सेवा (प्रोबेशन) नियम, १९५४ . . . १०७०

तीय पुलिस सेवा (प्रोबेशन) नियम, १९५४ . . . १०७०

तीय प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४ . . . १०७०

तीय पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४ . . . १०७१

तीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४ . . . १०७१

तीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४ . . . १०७१

भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४ . . . १०७१

के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम १०७१

नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . १०७१—१०७८

न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—

समाप्त . . . . १०७९—१११८

ारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत १११८

तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . . . १११८—११६६

कर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त . . . ११६६—११६८

वार ११ सितम्बर, १९५४

न पर रखे गये पत्र—

ंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें . ११६९

ा· सदस्य की दोष-सिद्धि . . . . . . ११६९—११७०

धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त . ११७०—१२०२

रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य . १२०२—१२०५

तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . १२०६

त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त १२०६—१२९२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

लोक-सभा

मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

लोक सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-२५ म० प०

आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के संबन्ध में वक्तव्य

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): बड़े खेद की बात है कि इस वर्ष फिर भारत के पूर्वी भागों में बाढ आ गई है । इन बाढ़ों का पूर्ण समाचार, मुख्यतः उनके कारण हुई क्षति का हाल, अभी उपलब्ध नहीं है परन्तु सम्बद्ध राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर स्थिति इस प्रकार है :—

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आसाम और बिहार मुख्य हैं । आसाम में १२ हज़ार और बिहार में १० हज़ार वर्गमील क्षेत्र जलमग्न है । पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से भारी हानि हुई है ।

आसाम में बाढ़ का कारण ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की धारा से मिट्टी का जमा हो जाना है । इससे सादिमा से लेकर धुबरी तक बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई । पहली बाढ़ जून के मध्य में और दूसरी जुलाई के आरम्भ में आई जो इतनी बढ़ गई कि घटने का कोई चिह्न ही दृष्टिगोचर न होता था । कुछ क्षेत्रों में तो बाढ़ का स्तर १९३१ की भीषणतम बाढ़ के स्तर को भी पार कर गया है ।

बिहार में बाढ़ का कारण हिमालय प्रदेश में भारी वर्षा है जिससे नैपाल तराई से निकलने वाली नदियां भर गईं । यत्र तत्र हुई वर्षा के कारण बाढ़ ने गत वर्ष से भी अधिक उग्ररूप धारण कर लिया । गंडक और कोसी के जलस्तर १९०२ और १९२७ के स्तर से बढ़ गए । बाढ़ की उग्रता २६ जुलाई से लेकर २९ जुलाई तक अर्थात् चार दिनों तक विशेष रहे, इसके पश्चात् पानी का ज़ोर घटने लगा ।

पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के कारण ये थे : तिब्बत और भूटान में जंगलों का साफ होना, हिमालय की नदियों के उन क्षेत्रों में, जहां वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है, रेत और मिट्टी का भर जाना तथा असाधारण वर्षा होना, जिनसे नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया । उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण यह था

[डा० काटजू]

कि राप्ती, रोहिणी, गंडक, घाघरा, अमी, कुपानों और सरयू नदियां पानी से भर गईं।

आसाम में लखीमपुर, शिवसागर, दारंग, नवगांव, कामरूप और गोलपारा ज़िलों का अधिकांश भाग संकट में है और यही दशा बिहार के पूर्णिया, सहसा, उतरी मूंगेर, दरभंगा, चम्पारन और मुजफ्फरपुर की हुई है।

उत्तर प्रदेश का ३०० वर्गमील क्षेत्र जिसमें ५ ज़िलों के ३,५०० ग्राम हैं, और पश्चिमी बंगाल का भी इतना ही भाग बाढ़ग्रस्त है।

सौभाग्यवश बाढ़ से अधिक जन हानि नहीं हुई। आसाम में १७, बिहार में २९, पश्चिमी बंगाल में ९ और उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के डूबने का समाचार है। आसाम में पशुधन की हानि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिहार में ६० और पश्चिमी बंगाल में ५०० ढोरों के मरने की ख़बर है। उत्तर प्रदेश में कोई पशु नहीं मरा।

आसाम की सड़कों को भारी हानि पहुंची है जिनकी मरम्मत के लिए ७५ लाख ६ हज़ार रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत से मकान नष्ट हो गए। फसलों के अतिरिक्त आठ-दस लाख रुपये की निजी सम्पत्ती की हानि हुई है। फसलों को कितनी हानि हुई इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

बिहार की हानि का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। रेलवे लाइन; सड़कें और बांध कई जगहों से टूट गये हैं। फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है, १२ लाख एकड़ में भदई की फसल और १८ लाख एकड़ में अगहनी फसल नष्ट हो गई है।

पश्चिमी बंगाल में २१ सड़कों व पुलों को नुकसान पहुंचा है, चार जगहों पर रेलवे लाइन टूट गई, १७,००० परिवार बेघर हो गए; ५० हज़ार एकड़ में धान की खेती नष्ट हो गई, और इमारती लकड़ी का भी बहुत नुकसान हुआ। अन्य सरकारी व गैर-सरकारी सम्पत्ति के नुकसान के आंकड़े करोड़ों तक पहुंचेंगे।

उत्तर प्रदेश में देवरिया के ज़िले में कुछ दिन रेलें बंद रहीं और फसलों को भारी नुकसान हुआ है।

आसाम सरकार ने कृषिऋण के रूप में ८॥ लाख और सहायता के रूप में १,१८,०५० रु० स्वीकृत किए हैं। राज्यपाल के भूकम्प सहायता कोष में से १,४९,८०० रु० भी दिए गए हैं। अन्य सहायता समितियां ज़िला कांग्रेस समितियों से मिलकर सहायता कर रहीं हैं।

बिहार में राज्य सरकार सहायता करने का प्रत्येक प्रयत्न कर रही है ४,००० नावें लेकर ६०० सहायता दल कार्य कर रहे हैं। डाक्टरी सहायता भी यथाशक्ति भेजी गई है। रोटी कपड़ा भी पीड़ितों को वितरित किया गया है। कृषि ऋण तथा दैवी संकट ऋण भी दिए गये हैं।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने २ लाख रु० नगद दिए हैं; ५०० मन चावल मुफ्त दिया है, कृषि ऋण के रूप में ४ लाख तथा मकान बनाने के लिए २ लाख रु० दान देना स्वीकार किया है। इस के अतिरिक्त कपड़ा, कम्बल, बच्चों के वस्त्र, दूध का पाउडर, विटामिन की टिकियां व अन्य औषधियां भी दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ३५००० रु० सहायता कार्य पर व्यय किये हैं और एक लाख रु० तकावी ऋण के रूप में दिये हैं। गन्ना उत्पादक संघ ने १ लाख रुपये दिये हैं।

आसाम सरकार केन्द्र से ९० लाख ६ हज़ार रु० चाहती है। यह धन सहायता-कार्य, पी० डबल्यू० डी० की सड़कों, मकानों, बांधों और गांव की सड़कों इत्यादि की मरम्मत पर व्यय किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए भी सहायता दी जाएगी।

बिहार ने ५ करोड़ ४८ लाख रु० की सहायता की प्रार्थना की है जिसमें से ३ करोड़ ४२ लाख ऋण के रूप में तथा २ करोड़ ६ हज़ार रु० सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अन्य सहायता सम्बन्धी योजनाओं का भी विचार रखती है जैसे कठिन और हलके शरीरिक श्रम का संगठन करना, आदमी और पशुओं के लिए चिकित्सालयों का प्रबन्ध करना तथा नावों को खरीदना, किराये पर लेना या उनकी देख-रेख करना।

पश्चिमी बंगाल ने २५ लाख रुपये मांगें हैं। संचार साधनों की मरम्मत के लिए उनको १ लाख रु० की और आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश ने २५ लाख रु० मांगे हैं जिसको वह आधे ऋण के रूप में और आधे अनुदान के रूप में चाहता है। ५ लाख रुपये वह-सहायता कार्य में व्यय करेगा और शेष तकावी ऋण देने में।

सब राज्य सरकारों ने स्थानीय आवश्यकताओं और दशाओं को दृष्टि में रखते हुए बाढ़ सहायता सम्बन्धी योजनाएं बनाई हैं। दाहरणत: प्रत्येक बाढ़ पीड़ित ज़िला कई भागों में बांट दिया जाता है और एक राज्यपत्रित पदाधिकारी उनका अधिकारी बना दिया जाता है। सुविधा-जनक स्थानों पर अन्न जमा करने के भंडार भी बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को शीघ्रतापूर्वक अन्न भेजा जा सके। सरकारी नावें एक बहुत बड़ी संख्या में सहायता करने को तैयार रहती हैं। आदमियों तथा जानवरों में व्यापक बीमारियों को रोकने के लिए भी प्रबन्ध किया जाता है। भोजन तथा दियासलाई के वितरण का भी प्रबन्ध रहता है। सरकारी तथा गैर सरकारी सब प्रकार के नौकरों को बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य में लगा दिया जाता है। गृह रक्षक दलों व सैनिकों को भी सहायता कार्य के लिए बुलाया जाता है।

बाढ़ के स्थायी निरोध का प्रश्न पंचवर्षीय योजना में है जिस पर पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है। राज्यों ने जो वित्तीय सहायता मांगी है उस प्रश्न पर आवश्यक विचार किया जा रहा है। इस बीच में यह प्रबन्ध कर दिया गया है कि राज्य सरकारें इच्छानुसार विशेषज्ञों की सेवाओं का जहां चाहें उपयोग कर सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दूध पाउडर, विटामिन की टिकियां तथा डी० डी० टी० जैसी अन्य औषधियों को मुफ्त भेजने का प्रबन्ध कर दिया गया है। व्यापक बीमारियों को रोकने के लिए श्वेतक चूर्ण भी भेज दिया गया है। इनका कुछ भाग संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि तथा भारतीय रेडक्रास और लीग आफ रेडक्रास सोसाइटीज़ द्वारा और शेष केन्द्रीय औषधि भंडार से भेजा गया है। ५,००० टन गेहूं केन्द्रीय भंडारों से रियायती भावों पर भेजा गया है। राज्य सरकार से भी ५००० टन गेहूं अपने भंडारों से

रियायती भावों पर देने को कह दिया गया है। बर्मा से सहायता रूप प्राप्त २०० टन चावल बिहार और आसाम में बराबर बराबर बांट दिया गया है। अन्य राज्यों सरकारों की औषधि तथा अन्न संबंधी मांगें भी पूरी की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : उस वक्तव्य का क्या हुआ जो माननीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री द्वारा दिया जाने वाला था ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमान्, मैं यहां पिछली रात ही वापस आया। यदि मुझको सभा के लिए अतिरिक्त सूचना देनी होगी तो मैं एक या दो दिन में ऐसा कर सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य देने के लिए वह कुछ समय और ले सकते हैं परन्तु वक्तव्य सम्पूर्ण होना चाहिए।

श्री नन्दा : किन्हीं भी अतिरिक्त तथ्यों पर।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार प्रश्न तय हो जाता है।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सिद्धि): मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमट में नौगांव का नाम लिया है मैं जानना चाहता हूं कि यह नौगांव विन्ध्या प्रदेश का है या और कोई है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले वह स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद सवाल पूछना हो तो पूछिये।

मेरा विचार है कि माननीय गृह मंत्री अपने वक्तव्य की प्रतियां केवल कार्यालय ही नहीं अपितु सदस्यों को भी देंगे।

डा० काटजू : क्या मैं आपसे यह निवेदन कर सकता हूं कि सचिव से इस काम को करने के लिए अभी कह दिया जाये ?

पटल पर रखे गए पत्र

अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५, के ज्ञापनों के उत्तर

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं पटल पर कतिपय अग्रेतर विवरणों की एक एक प्रति रखता हूं जिनमें १९५४-५५ के लिए रेलवे अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त ज्ञापनों के उत्तर दिये हुए हैं। **[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एस० २४७/५४]**

(१) हिन्द चीन में काम स्वीकार करने संबंधी घोषणा और (२) भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक २ प्रति सदन पर रखता हूं :—

(१) हिन्द चीन में गृहीत कार्यभार संबंधी भारत सरकार की घोषणा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० २४८/५४]**

(२) भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के बीच पत्र व्यवहार। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०-२४९।५४]**

समवाय विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय में वृद्धि

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"समवायों तथा कुछ अन्य सन्थाओं सम्बन्धी विधि को समेकित

तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए नियत समय अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

खाद्य अपमिश्रण विधेयक--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब खाद्य अपमिश्रण रोकने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अग्रेतर विचार होगा।

श्री टी० के० चौधरी (बरहमपुर) : क्या मैं पूछ सकता हूं कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद से सम्बन्धित अनुपूरक कार्य-सूची की मद संख्या १ का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह पटल पर कल रखा जायेगा ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता--दक्षिण-पूर्व) : कल मैं इस बात को कह रहा था कि यद्यपि यह विधेयक हितकारी है तथापि इससे देश में वह उत्साह जागृत न हो सका जिसकी आशा थी क्योंकि लोगों को ऐसा विश्वास है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित बड़े बड़े हित इसको फलीभूत होने ही नहीं देंगे और इस विधि को लागू करने वाली व्यवस्था को भ्रष्ट कर देंगे । इस व्यस्वथा के भ्रष्ट होने का ही क्या कहना जबकि सत्तारूढ़ संस्था स्वयं भी उन हितों से बंधी हुई है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

उदाहरणत: पिछले आम चुनाव के दिनों में ही बड़े २ चीनी व्यापारियों से प्रत्येक बोरी पर कुछ निश्चित करके ५४ लाख रुपया लिया गया। इसका परिणाम यह होगा कि वे चीनी में रेत इत्यादि का मिश्रण करेंगे और आशा करेंगे कि सरकार उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप न करे।

मिलावट करने वाले छोटे-छोटे लोगों को न केवल कई बार व्यर्थ परेशान ही किया जाता है वरन् उन पर अभियोग भी चलाया जाता है किन्तु बड़े आदमियों का कुछ भी नहीं होता । कई राज्यों में कंट्रोल के ज़माने में सैंकड़ों की संख्या में चोर बाजारी के लिये लोगों पर अभियोग चलाये गये और दंड दिये गये किन्तु हम अपने अनुभव से जानते हैं कि ये सभी छोटे-छोटे लोग थे । बड़े आदमियों पर जिनकी पहुंच थी, कोई भी न तो अभियोग ही चला और न किसी को दण्ड ही दिया गया । यहां तक कि राशनिंग के नियमों का उल्लंघन करने के लिये एक स्त्री के साथ जिस ने जीविका चलाने के लिये निर्धारित मात्रा से अधिक माल बेच दिया था, पुलिस द्वारा निर्दयतापूण व्यवहार किया गया था । इस विधेयक को लागू करने से इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं । इतना होते हुए भी हमें इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का समर्थन केवल मिलावट पर नियन्त्रण लगाने की दृष्टि से करना पड़ता है । बहुत से राज्यों में मिलावट को रोकने के लिये कोई भी नियम नहीं बने हैं । उनका होना तो आवश्यक है किन्तु वह इस विधेयक को ठीक प्रकार से लागू किये जाने पर ही निर्भर करेगा । मुझे यह भी पता है कि इससे अनेक प्रकार की गड़बड़ी भी उपस्थित होगी । यदि भ्रष्ट मशीनरी के द्वारा कुछ न्याय हो जाता है तो भी वह

[श्री साधन गुप्त]

इस मिलावट समस्या के लिये बहुत बड़ी चीज होगी । अतः हम सबका कर्तव्य निरपराधों की ओर से ही नहीं वरन उन अपराधियों की ओर से भी लड़ने का है जिन को छोटे से अपराध के लिये अनुचित रूप से परेशान किया जाता है ।

हमें मिलावट को रोकना है और मिलावट करने वाले की रक्षा नहीं करनी है । किन्तु खण्ड २० यह कहता है कि हम सरकार की अनुमति के बिना अभियोग नहीं चला सकते । होना यह चाहिये चाहे कोई भी मिलावट का पता लगाये किन्तु मिलावट करने वाले को उसके लिये दण्ड मिलना चाहिये । पुलिस के बजाय यदि किसी गैर सरकारी व्यक्ति को अभियोग चलाने की शक्ति दे दी जाय तो वह चाहे बड़ा व्यापारी हो और चाहे छोटा, कोई भी अपराध करने पर बच नहीं सकेगा । अनेक सामाजिक संस्थायें भी उसकी इस कार्य में सहायता करेंगी । सरकार कई कारणों से इसके लिये अनुमति नहीं देगी । एक मामले में ऐसा हुआ था कि एक ब्रिटिश बैंक के मैनेजर को अपराधियों पर अभियोग चलाने के पूर्ण अधिकार दे दिये गये थे जिसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण ने उसके विपरीत अपना निर्णय किया । तत्पश्चात पश्चिमी बंगाल सरकार जो इन सब चीजों की भार साधक थी; उसने स्वतन्त्रता पूर्वक मैनेजर को पुनः मजदूरों प अभियोग चलाने की अनुमति दे दी किन्तु उद्योगपतियों को, और विशेषकर उन उद्योगपतियों पर अभियोग चलाने का अधिकार ला मजदूरों को किस प्रकार मिल सकता है, जो बहुत बड़े आदमी हैं और जिनकी सरकार के पास तक पहुंच है । यही हाल मिलावट के सम्बन्ध में भी होगा । पहले तो वे धनी व्यापारी लोग पुलिस को अपने वश में कर लेंगे जो इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि उन पर अभियोग चल ही न सके दूसरे यदि पुलिस ने अपराधपत्र जारी कर भी दिया तो वे अपने परिचित सरकारी अफसरों को फुसलाकर इसके लिये तैयार कर लेंगे कि ऐसे मामलों पर अभियोग न चलाया जाय । मिलावट करने वालों के मन में यह भावना उत्पन्न होनी चाहिये कि यदि वे गड़बड़ी करेंगे तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी और जेल तक जाना पड़ेगा । अतः खण्ड २० को रद्द कर दिया जाना चाहिये और मिलावट से जिस व्यक्ति को भी कष्ट हुआ है उसे अभियोग चलाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिये ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : सम्पूर्ण भारत के लिये यह इस प्रकार का विधेयक प्रथम बार रखा गया है । मुझे खेद है कि यह १९५२ में पुरःस्थापित किया गया था और इस पर अब विचार किया जा रहा है । आज अनेक प्रकार की मिलावट हो रही है । मूंगफली के तेल में नारियल का तेल मिलाया जा रहा है और कभी-कभी तो खाद्यपदार्थ तेल के बजाय मोबिल आयल में बनाये जाते हैं । इतना ही नहीं कहीं-कहीं तो कुछ चीजें मिट्टी के तेल तक में बना कर बेची जाती हैं जैसा कि मैंने स्वयं ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में देखा था ।

१० म० पु०

बंगलौर में मैंने देखा है कि काशी के स्थान पर जामुन के बीज को पीस कर काम में लाते हैं जिस का पता केवल गरम पानी में जलाकर ही लगाया जा सकता है वैसे नहीं ।

खण्ड २० का उपखण्ड (२) यह कहता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध की सुनवाई प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही कर सकेगा । इसके लिये मैं खण्ड १६ का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके अनुसार कई बार वही अपराध करने पर उत्तरोत्तर दण्ड बढ़ा दिये जाने की बात कही गई है यहां तक कि तृतीय बार अपराध करने पर चार वर्ष की सजा तथा जुर्माना दोनों ही किया जा सकता है । अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट को २,००० रु० तक जुर्माना करने का अधिकार प्राप्त है । यदि ऐसा है तो यह खण्ड २२ से ही नहीं वरन् खण्ड २२ के भी विरुद्ध पड़ता है । अतः इन में एकरूपता होनी चाहिये थी । खण्ड २० के बाद स्थिति बदल जाती है अतः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे यह पूर्ण तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप हो सके खण्ड २२ में उस दण्ड को २,००० रु० जुर्माने से भी और बढ़ा दिया गया है इस प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिये ।

मैं मूल प्रारूप से भी सन्तुष्ट नहीं हूं यदि इसको ज्यों का त्यों लागू किया जाता है तो यह लोगों के लिये दमन का अस्त्र होगा खण्ड १ में "स्थानीय प्राधिकारी" की जो परिभाषा दी गई है उसमें पंचायत तक आ जाती है । अब हमारे सम्मुख साधारणतः दो प्रकार की मिलावटों के मामले आते हैं । एक तो ग्वाले अथवा ग्वालिन का दूध में पानी मिला देना और दूसरा सेना के ठेकेदार का बनास्पती को घी कह कर सरकार को ठगना । अतः इस अधिनियम को हमें इस प्रकार बनाना चाहिये कि जिससे राज्यों के लिये भी समुचित गुंजाइश रह सके ।

यह विधेयक बहुत कुछ मद्रास मिलावट अधिनियम १९१८ पर आधारित है । हमारे यहां बड़ी भली भांति यह चल रहा है । दण्ड की व्यवस्था सौ रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक की गई है । ऐसे मामलों की सुनवाई यदि इसके लिये विशेष रूप से अधिकृत हो तो तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट भी कर सकता है । किसी भी निश्चित दिन स्वास्थ्य विभाग के लोग स्वयं शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर ग्वाले अथवा ग्वालिनों के दूध का नमूना लेकर खाद्य विश्लेषक के पास भेज दें । ऐसी योजना नई दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी को लागू करनी चाहिये जिससे शुद्ध दूध उपलब्ध हो सके । ऐसे मामलों में १०–५ रुपये जुर्माना करके ही अपराधियों को छोड़ दिया जाना चाहिये क्योंकि ये साधारण प्रकार के मामले हैं । आप इन मामलों के लिये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की व्यवस्था कर अधिक दण्ड दिलाना चाहते हैं । ऐसा ठीक नहीं । नियमों में काफी गुंजाइश रहनी चाहिये जिससे वे सभी जगह लागू किये जा सकें । आसाम जैसे स्थान के लिये तो इसका पालन करना अत्यन्त कठिन होगा । विभिन्न राज्यों को यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह सभी मामलों को विभिन्न वर्गों में बांट सकें और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों द्वारा जिनका निर्णय किया जा सके । मैंने इस विषय में अपना संशोधन रख दिया है ।

अतः मेरा सुझाव यह है कि पहली बार ऐसे मामलों की सुनवाई द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट करें और दुबारा वही अपराध करने पर दण्ड की बांध कर दी जाय और तत्पश्चात वह मामला प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को सौंपा जाय । यही एक उपाय है जिसके द्वारा इस अधिनियम को ठीक

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

ढंग से लागू किया जा सकता है। और लोगों को परेशानी से बचाकर मिलावट को भी रोका जा सकता है। अतः इन सुझावों पर ध्यान दिया जाय।

खण्ड २१ मुझे असाधारण सा जान पड़ता है। इसके बन जाने से विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। खण्ड १६ से प्रवर समिति को संतोष ही नहीं हो सका तभी मामले को आगे बढ़ाकर खण्ड २१ की रचना करनी पड़ी जो मेरे विचार से सर्वथा अनुचित है। यह विधेयक अखिल भारतीय आधार पर बनने जा रहा है। इस कारण सारी बातों को हमें ध्यान में रखकर कार्य करना है। खण्ड २१ के अधीन प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को इतनी अधिक शक्ति दे देना उचित नहीं है इससे बड़ा अन्याय होगा। अतः मैं इस खण्ड का घोर विरोध करता हूं। दण्ड प्रक्रिया संहिता में दी गई शक्ति से अधिक अधिकार दे देना मेरे विचार से तो बिल्कुल उचित नहीं है। खण्ड में ही जो इन मजिस्ट्रेटों को दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिये गये अधिकारों से अधिक अधिकारों का प्रयोग करने की जो व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं कि यह बड़ी भयंकर चीज होगी इसलिये इसे हटा देना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इसके स्थान पर एक ऐसा खंड रखना जिसके अन्तर्गत प्रक्रिया निर्धारित की जा सके, अधिक अच्छा होगा। वारंट प्रक्रिया से गरीब लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा, संशोधनों के समय में इस मामले को स्पष्ट करूंगा।

खण्ड १८ के शब्दों के बारे में मुझे संतोष नहीं है। इसमें सारे माल को जब्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए, केवल उस थोड़े से अंश को नहीं जो कि कपड़ा जाये और जैसा कि मने अपने संशोधन में सुझाव दिया है यह जब्ती दंड के अतिरिक्त होनी चाहिए। मैजिस्ट्रेटों को ये अधिकार देने चाहिये कि वे कैद या जुर्माने या इन दोनों के अतिरिक्त उसी समय जब्ती के आदेश जारी कर सकें। यदि ऐसा कर लिया जाय, तो खण्ड २१ की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अपमिश्रण की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। जब तक कि इस में 'मात्रा' का शब्द नहीं रखा जाता, इसमें एक बहुत बड़ी त्रुटी रहेगी। यदि किसी खाद्य पदार्थ में आवश्यक तत्व उचित मात्रा में नहीं है, बल्कि उनके स्थान पर कोई और चीजें हैं, तो उसे भी अपमिश्रित समझना चाहिए। आवश्यक तत्वों की मात्रा पुरी न होने के कारण वह पदार्थ उतना उत्तम नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर भी विचार किया जाये।

खंड ३, उपखंड (९) में यह स्पष्ट नहीं है कि 'केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत उद्योग तथा व्यापार के दो प्रतिनिधियों' का क्या अभिप्राय है। यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि ये प्रतिनिधि खाद्य उद्योग के प्रतिनिधि होंगे।

एक और अत्याधिक महत्वपूर्ण चीज जो मेरे ध्यान में है, यह है कि वे नियम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जायें, उन्हें अवश्य संसद के समक्ष रखा जाये। मुझे हर्ष है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने मेरा एक संशोधन स्वीकार करते हुए यह कहा है कि केन्द्र द्वारा जो भी नियम बनाये जायेंगे उन्हें संसद के समक्ष रखा जायेगा। किन्तु मैं इस से संतुष्ट नहीं हूं। इस विधेय में यह उपबन्ध होना चाहिए कि राज्यों द्वारा नियम बनाये

जाने के बाद उन नियमों को उन राज्यों की विधान सभाओं के सामने रखा जायेगा । यह हमें अनिवार्य बना देना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि मेरा यह संशोधन भी स्वीकार कर लिया जायगा ।

खंड ४ के अनुसार एक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना के बारे में मुझे कुछ शंका है । मेरा सुझाव है कि दिल्ली की बजाय इसे भारत के किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थापित किया जाय । इस बात के अतिरिक्त केवल एक केन्द्रीय संस्था बनाना काफी नहीं है । एक से अधिक प्रयोगशालाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो प्रादेशिक प्रयोगशालाएं स्थापित करनी चाहिएं । ऐसा करने से ही मामलों को जल्दी निपटाया जा सकेगा ।

उपखंड (७) के अन्तर्गत खाद्य-निरीक्षक को, उस व्यक्ति का ठीक नाम और पता जानने के लिए जिस से खाद्य का नमूना लिया गया है या जिस का माल जब्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५७ के अन्तर्गत एक पुलिस अधिकारी के अधिकार प्राप्त होंगे । किन्तु क्या वह दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्यवाही करेगा ? आप उसे यह अधिकार नहीं दे सकते कि वह एक तलाशी वारंट के बिना किसी मकान का ताला तोड़ कर तलाशी लेना शुरू कर दे । यह बात उस पर नहीं छोड़नी चाहिए । उस की सारी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार नियमित करनी चाहिए और तलाशी लेने से पहले उसे मैजिस्ट्रेट से अधिकार लेना चाहिए । नहीं तो बहुत कठिनाई होगी ।

खंड ११ के सम्बन्ध में, मेरा सुझाव यह है कि नमूनों पर स्वामी की उपस्थिति में मुहर लगाई जाये ।

एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या निजी व्यक्तियों को अभियोग चलाने का अधिकार देना चाहिए । मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना खतरनाक होगा ।

खंड १३ में कहा गया है कि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के संचालक का प्रमाण-पत्र अन्तिम और निश्चयात्मक साक्ष्य समझा जायेगा । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५१० में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की रिपोर्ट को साक्ष्य माना गया है ।

इस संहिता में, संशोधन के द्वारा कुछ और प्रकार के व्यक्ति भी इन में सम्मिलित किये जायेंगे । मेरे विचार में संहिता के संशोधित होने से पहले इस उपबन्ध को रखना वांछनीय नहीं होगा ।

श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : इस विधेयक को सब का समर्थन प्राप्त होना चाहिए क्योंकि यह देश की स्थिति के सुधार की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पग है । किन्तु इसे क्रियान्वित करना बहुत कठिन है । यह आवश्यक है कि इसे खाद्य निरीक्षकों आदि द्वारा क्रियान्वित किया जाये । किन्तु इन्हें समाज सेवकों के, जो कि स्थानीय स्थितियों के सम्बन्ध में सब प्रकार की जानकारी दे सकते हैं, सहयोग के साथ काम करना होगा ।

छोटे छोटे खोंचे वालों को पुलिस या खाद्य निरीक्षकों द्वारा परेशान किये जाने से बचाना होगा और कई बार उन लोगों को पकड़ने की आवश्यकता होगी जिन से ये माल खरीदते हैं । इस विधेयक को क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक

[श्रीमती इला पालचौधरी]

है कि शुद्ध खाद्य उपलब्ध कराया जाये, क्योंकि यदि शुद्ध खाद्य ही उपलब्ध न हो, तो अपमिश्रित खाद्य पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई अर्थ नहीं ।

मुझे खेद है कि इस विधेयक में ऐसा कोई खंड नहीं जिस के अन्तर्गत शिशुओं और बच्चों के खाद्य की उत्तमता के लिए कोई व्यवस्था की गई हो । मेरे विचार में ऐसा कोई उपबन्ध अवश्य होना चाहिए, ताकि उस खाद्य को, जिस में शरीर को बनाने वाले और स्वास्थ्य-दायक तत्व न हों, शिशुओं के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सके । इस विधेयक को क्रियान्वित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि बड़े पमाने पर प्रचार किया जाये और लोगों का ध्यान अपमिश्रण की गम्भीरता की ओर दिलाया जाये ।

श्री नंदलाल शर्मा (सीकर) :

धर्मेण शासिते राष्ट्रे नू च बाधा प्रवर्तते ।
नाऽधयो व्याधयश्चैव राभे राज्यं प्रशासति ।।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीया स्वास्थ्य मंत्रिणी महोदया के उद्देश्य का स्वागत करता हूं । बात यह है कि जैसा पवित्र उनका शुभ नाम है वैसे ही यह भी वह चाहती हैं कि भारतवर्ष को अमृत खिलायें । किन्तु भाग्यवश कुमारीपन की जो कोमलता है वह उन में आ गई है । मैं जहां तक समझता हूं कि फूड एडल्टरेशन के स्थान पर उनके अन्दर एन्टी एडल्टरेशन का ही भाव है किन्तु अपनी कोमलता के कारण वह इस एन्टी शब्द को बहुत कठोर समझती है । एक तो इसका कारण साफ्टनेस है दूसरा कुछ सरकारी बन्धन भी थोड़ा सा है, कुछ थोड़ा स मिल मालिकों के चारों ओर से हा जोड़ने, मि त समाजत करने का असर पड़ता है कि क्यों हमको मारने चलते हो' ? इसलिये हमको थोड़ा वनस्पति घृत बनाने दो । मैं उसको लोहे की भैंस का घी कहा करता हूं । इसके साथ भी थोड़ी क्षमा करने की भावना है । इन सब बातों से हमें कहने में भी थोड़ी निराशा हुई जहां आप जैसे महारथी और जहां श्री राजर्षि टंडन जैसे महारथी बार-बार सिर पटक पटक कर थक गये और किसी ने नहीं सुना, वहां सम्भवतः विरोधी पक्ष के कहे जाने वाले हम लोगों की बात कोई सुनेगा नहीं । तो भी कहना हमारा कर्तव्य है । राजकुमारी से मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय अन्न विधान के आदर्श को भी थोड़ा सा पहचानना चाहिये । यह भारतीय संसद् है । आप लोग डाक्टर के दृष्टिकोण से अन्न को देखते हैं, लेकिन आप एक भारत की गलियों में घूमने वाले अनपढ़ लड़के को देखिये जो जानता है कि अगर मेरा हाथ पैर को लग गया तो वह हाथ अपवित्र हो गया, उससे अन्न को छूता हूं तो वह अन खराब हो जायेगा । एक अच्छे से अच्छा डाक्टर इसका डाइगनोज़ न कर सके, लेकिन यह भारतीय सभ्यता की चीज़ है । आप उन लोगों के पीछे चल रहे हैं जिनकी सभ्यता में यह चीज नहीं है । आप केवल भारत के बाहर की स्वच्छता और सफाई को लेना चाहते हैं । आज भी यह दशा आ गई है कि शुद्ध घी से घर का बना हुआ परावठा लड़का दूसरे दिन खाने के लिये तैयार नहीं है । लेकिन दस दिन की पड़ी हुई डबल रोटी और बिसकुट विष की तरह उसके गले के नीचे एक दम चला जाता है और वह इन्कार नहीं करता । कारण क्या है । आप लोगों ने भारतीय दृष्टिकोण

को अन्नशास्त्र में से निकाल दिया और भुला दिया । हमारे यहां वैदिक साहित्य में उपनिषद में एक कथा है लिखा है :

भृगुर्वै वारुणिर्वरुणं पितायुयससार

वारुणी नामक भृगु अपने पिता वरुण के पास गया ।

अधीहि भगवो ब्रह्मेति

कहता है, भगवान मुझे शिक्षा दो कि ब्रह्म किस चीज को कहते हैं । जानते हो ब्रह्म का लक्षण ?

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जंवित यं प्रयन्त्य निसंविशन्ति तद्ब्रह्म"

जिससे प्राणियों का जन्म हो, जिसके द्वारा प्राणी जीवित रहे, जिस में अन्त में प्राणी लीन हो, वह ब्रह्म है । अन्त में तपस्या कर के उन्होंने बतलाया :

अन्नाद्धये वेमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि ।
जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तस्मादन्नं ब्रह्म ।।

अन्न से प्राणी प्रकट होता है, अन्न द्वारा जीवित रहता है, अन्न में जाकर लीन होता है इसलिए अन्न ब्रह्म है । इसी को श्रीमदभगवद् गीता में अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः । इत्यादि कहा ।

अन्न ब्रह्म रसो विष्णुर्भोता देवो महेश्वरः

इत्यादि शब्दों से मैं और आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं । मेरा केवल इतना निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपने आदर्श को देखिये । भगवान कृष्ण ने तीन प्रकार की कैटेगरीज अन्न की बताई हैं ।

आयुः सत्व बलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः ।
रस्माः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विक प्रियाः ।।

जिस के द्वारा आयु बढ़े, जिसके द्वारा बुद्धि बढ़े, जिस के द्वारा शक्ति बढ़े । बुद्धि बढ़े, रस का भरा हुआ हो, तरल पदार्थों का भरा हुआ हो, ऐसा स्वास्थ्यमय भोजन सात्विकी लोगों का प्रिय होता है ।

कट्वम्ल लवणां त्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः ।
अहारा राजसस्येष्टाः दुःख शोकामय प्रदाः ।।

कैडिमेन्ट्स, जो आप के मसाले हैं जिन में कोई कटु होता है, कोई खट्टा होता है, नमकीन होता है, तीखा दिल को जलाने वाला होता है, ऐसा आहार रजोगुणी लोगों को प्रिय होता है, जो कि दुःख शोक और बीमारी को पैदा करने वाला है ।

यातयामं गत रसं पूति पर्युषित चयेत् ।
उच्छिष्टमपि याध्येयं भोजनं तामस प्रियम् ।।

जिस के ऊपर दिन बीत गया, रात बीत गई, जो बासी है, दुर्गन्धयुक्त है, जूठा हो और अमेध्य हो यह तमोगुणी लोगों का आहार है, जो निद्रा आलस्य के लाने वाला है और बुद्धि को मारने वाला है ।

कल सुन कर हमें बड़ा खेद हुआ, हमारे ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी ने यह कहा कि उन्होंने दूसरे देशों को देखा है । वहां उन को जवाब मिला कि हमारे यहां कभी एडल्टरेशन नहीं होता । मैं पूछता हूं कि ब्रिटिश टाइम्स को छोड़कर हमारे इतिहास में से किसी भी समय में आप बतला दें जब कि दूध और घी या अन्य किसी वस्तु में "एडल्ट्रेशन होता रहा हो । आज खाद्य सांकर्य, मनुष्य सांकर्य, फल सांकर्य, सभ्यता सांकर्य, भाषा सांकर्य, संस्कृति सांकर्य, सभी कुछ चलता है । ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रिणी महोदया को भारतवर्ष के मनःस्वास्थ्य का, शरीर स्वास्थ्य और उन के अध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिये जिस से इस राष्ट्र को जो कुछ

[श्री नंद लाल शर्मा]

भी खाने पीने को मिलता है उस से उस के शरीर का ही पतन न हो जाय। यदि आप ने ऐसा नहीं किया, यदि आप डिब्बे का दूध मंगाती रहीं और लोहे की भैंस का घी चलता रहा तो आप को अपने घी और शुद्ध दुग्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा गोहत्या जैसे भयंकर कलंक को भारतवर्ष में किसी प्रकार रोक नहीं सकेंगे। मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रिणी स्वयम् इस बात को अपने हाथ में लेकर भारतवर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उन की जच्चा के जीवन तथा स्वास्थ्य के लिये और यहां की गायों के बछड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी भारतवर्ष के गौवों को बचावें। वह स्वयम् अपने मंत्रिमण्डल में इस बात के ऊपर बार बार जोर दें। आपने अपने संविधान में स्वीकार किया है कि गोहत्या शीघ्र ही बन्द कर देनी चाहिये। वह हमारे साथ बैठ कर पहले इस को रुकवावें। मैं समझता हूं कि भारत को केवल वी० सी० जी० के इन्जेक्शन से फायदा नहीं होगा। जिस आदमी को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा उसे इन्जेक्शन क्या बीमारी से मरने से बचा लेगा। शरीर में कष्ट होने पर औषधियां अच्छी चीज हैं, लेकिन कमजोर आदमी के शरीर में औषधि काम नहीं करती क्योंकि उस के शरीर में ताकत ही नहीं होगी।

इसलिये बार बार में आपसे कहता हूं मेरी आप में श्रद्धा है, मेरा विश्वास है कि आप हृदय से चाहती हैं, माता के स्थान पर आज आप राष्ट्र के लिये बैठी हैं, आप का कर्तव्य है कि जैसे कि माता अपने बच्चे का सब प्रकार का सुख दुःख देखती है, उसको बढ़िया से बढ़िया दूध पिलाती है अन्न खिलाती है, चाहे जहां से भी हो, चाहे भीख मांग कर ही हो, खुद भूखी रह कर उसको खिलाती है, उसी प्रकार से अगर आप भारतवर्ष के बच्चों की रक्षा करेंगी तो कोई संदेह नहीं कि उन का स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन इन कानूनों से कुछ बनने वाला नहीं है, यह निश्चित बात है। यह तो आप ने सुन लिया, इन बातों को बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। आप के इन्स्पेक्टर्स क्या कर सकते हैं, दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी क्या कर सकते हैं, करप्शन की बात हर डिपार्टमेंट के लिये कहीं जा सकती है, खाली हेल्थ डिपार्टमेंट के ही लिय कहने की आवश्यकता नहीं। इस विषय को पार्टी लाइन से देखने की आवश्यकता नहीं ह। और न सरकार को गाली देने की आवश्यकता है। हम तो यह चाहते हैं कि जो राष्ट्र के बच्चों के उत्थान का विषय है उस में सब लोगों को एक हो कर चलना चाहिये। हम लोगों का भी कर्तव्य है कि गांव गांव में घूमें और कहें कि यह सोशल ईविल है यह 'आफ़ेन्स अगेन्स्ट सोसायटी' है। यह अपने समाज के विरुद्ध और राष्ट्र के विरुद्ध सब से बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति खाने में विष मिला कर खाने के पदार्थों को खराब करे और सारे राष्ट्र को कमजोर बनावे।

उसको रोकने के लिये आपको प्रयत्न करना चाहिये। डाक्टर काटजू जिस प्रकार बड़ी हिम्मत से दण्ड विधान में संशोधन करके लाते हैं उसी प्रकार आप भी अपने विभाग में कट्टरता के साथ ऐसे नियम लावें और ऐसे आफेंसेज़ को इस प्रकार से दंड्य बनावें कि कोई उनको करने का साहस न कर सके। मैं तो समझता हूं कि यदि इन आफेंसेज की सजा के पहले

डिटेरेंट भी बना दिया जाय तो कोई हानि नहीं होगी । लेकिन ऐसा प्रबन्ध चाहिये कि केवल छोटे छोटे लोगों को ही दंड मिलकर न रह जाय । मच्छर पर तोप दागने से कुछ नहीं होगा । अगर इस दुष्कर्म के करने वाले बड़े बड़े लोगों को आप अच्छी कड़ी दिखावे की सजा दे देंगी तो दूसरों को यह काम करने की हिम्मत ही नहीं होगी । और कोई फिर इस पाप में प्रवृत नहीं होगा ।

इन शब्दों के साथ में आपके इस बिल के उद्देश्य का स्वागत करते हुए यह निवेदन करूंगा कि जहां जहां कमजोर क्लाज हों उनको आप पुनः संशोधन करके इस संसद की स्वीकृति प्राप्त करें और हमारा हार्दिक सहयोग प्राप्त करें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व): अध्यक्ष महोदय, आज अपने जन्म लेने के बाद तीसरे वर्ष में जब यह बिल अपने पैरों पर खड़ा हुआ है तो यह स्वागत के योग्य है । बड़ी खुशी की बात है कि इस लोक सभा का भी यह तीसरा वर्ष है और इस बिल का भी यह तीसरा वर्ष है । मुझे तो शक हो रहा था कि यह बिल कहीं बिना मौत के न मर जाय । किन्तु शुक्र है कि आज यह बिल हमारे सामने उपस्थित है । मैं समझती हूं कि हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी के कोमल कन्धों पर बधाइयों का बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया है । शायद इस लोक सभा के इतिहास में यह पहला मौका है कि चारों तरफ़ से इतनी बधाइयां मिली हैं; दायें से, बायें से, आगे से और पीछे से हर तरफ से बधाइयों की आवाज आ रही है । कोई इक्के दुक्के लोग छूट गये हैं जिन्होंने बधाई नहीं दी है । ऐसी आवाज तो निकलती ही है, वरना लोक सभा के अधिकतर लोगों की बधाइयों का बोझ उनके कोमल कन्धों पर है जो कभी कभी उनको असहनीय भी मालूम होता होगा लेकिन क्या करूं मैं भी लाचार हूं कि मेरी जबान भी उनके लिये बधाई के कुछ शब्द कहना चाहती है यह जानते हुए भी कि उनके ऊपर बधाइयों का बहुत ज्यादा बोझ पड़ चुका है ।

स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से इस बिल के ऊपर कुछ कहने के पहले मैं एक अपील करना चाहती हूं । यहां पर बहुत से सदस्यों ने बनस्पति का विरोध किया है और कहा है कि वनस्पति से साधारण अच्छे घी में बहुत बिगाड़ होता है उनके यह कहने से और उनकी भावनाओं से यह मालूम होता है कि वह सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि यह जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं जो कि यह बनस्पति का काम करते हैं सरकार उनको साये में रखना चाहती है और इसी लिए डालडा के बेचने में और उसके उत्थान में कोई रुकावट नहीं डालती । तो मैं स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से यह अपील करूंगी कि जब लोक सभा में इस तरह के आरोप सरकार पर लगाये जाते हैं तो उनको चाहिए कि वह कुछ डाक्टरों और साइंटिस्टों की एक कमेटी बनाकर इस चीज़ की जांच करायें और एक विज्ञप्ति प्रकाशित करें ताकि हमारे देश के लोगों को और हमारे लोक सभा के सदस्यों को यह कहने का मौका न मिले कि सरकार उन लोगों को छांह देना चाहती है और सरकार उन लोगों को देश में बिगाड़ पैदा करने का मौका देना चाहती है । मैं बखूबी जानती हूं कि डालडा को बढ़ाने में सरकार को कोई मतलब नहीं है । सरकार पर यह गलत आरोप लगाया जाता है और स्वास्थ्य मंत्रिणी जी पर और स्वास्थ्य विभाग पर यह गलत आरोप लगाया जाता है ।

अब मैं इस बिल पर आती हूं । जहां तक इस बिल के महत्व का सवाल

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

है इस बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । इसका सब लोगों ने समर्थन किया है और मेरे पीछे वाले सदस्य ने बहुत से श्लोकों से इसका समर्थन किया है। परन्तु मैं इस चीज़ को पांच सौ वर्ष पीछे नहीं ले जाना चाहती । वे बातें इतिहास में अपनी जगह रखती हैं। और वह स्थान महान् है । लेकिन उन पांच सौ वर्ष पुरानी बातों को ला कर आजकल की चीजों को देखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है । आपने पाव रोटी के बारे में कहा है। मैं कहूंगी कि इस तरह की बातें आजकल किसी को जंचती नहीं । न पाव रोटी को खाने से हमारी सभ्यता को धक्का लगता है और हमारी संस्कृति मरती है । इसलिए ऐसी बातों का इस बिल के प्रति कोइ महत्व नहीं है ।

इस बिल के बारे में अब तक बहुत कुछ कहा जा चुका है। दरअसल बाद में बोलने वाले को बहुत नुकसान हो जाता है। एक वक्ता के बोलने के पहले मैं सोचती थी कि मैं अमुक बात कहूंगी लेकिन मेरे बोलने के पहले दूसरे वक्ताओं ने मेरी बात छीन ली। तो इस तरह से पीछे बोलने वाले को बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर भी अध्यक्ष महोदय ने चूंकि मुझे समय दिया है इसलिए मैं दो एक बातें सदन के सामने रखूंगी ।

सब से बड़ी बात तो मैं सदन के सामने यह रखना चाहती हूं कि एडल्टरेशन करने वाले हजारों और लाखों की संख्या में हैं । जब तक आप उन सब को रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक एडल्टरेशन को रोकना मुश्किल होगा । इसलिए मैं आप से यह अपील करूंगी कि आप इस बिल में एक क्लाज़ और जोड़ दें जिससे कि जितने भी खोंचे वाले हैं या जितने भी खाने की चीज़ें बेचने वाले हैं उन सब का आफिशियल रजिस्ट्रेशन हो जाय । कासलीवाल जी ने भी इस बात को रखा है और मैं दोबारा इस बात को इस लिए पेश कर रही हूं ताकि आप महसूस करें कि यह बात बहुत ज़रूरी है ।

दूसरी बात में क्लाज़ १० के बारे में कहना चाहती हूं । इस क्लाज़ के सब-क्लाज़ ८ ए० में लिखा है :

'तंग करने के लिए तथा संदेह के उचित कारण न होते हुए किसी खाद्य पदार्थ को पकड़ता है; अथवा किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक कोई अन्य कार्य करता है, बिना यह जानने का आधार होते हुए कि ऐसा कार्य उसके कर्त्तव्यपालन के लिए आवश्यक है, तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी होगा अतः उस अपराध के लिए दंडनीय होगा तो मुझे इस में एक बात पर ऐतराज़ है । मैं समझती हूं कि यह प्रावीज़न यहां इसलिए रखा गया है कि हमारे अफसर या सरकारी कर्मचारी दुकानदारों को तंग न कर सकें। पर आप सोचिये कि इसका क्या परिणाम होगा । किसी बड़े शहर में आपका सौ या दो सौ रुपये पाने वाला इंस्पेक्टर यह हिम्मत नहीं कर सकेगा कि बड़े दुकानदारों के पास जाय और जाकर यह फैसला करे कि यह चीज़ एडल्टरेटेड है या नहीं । वह कोई फूड एक्सपर्ट नहीं होता जैसे कि डाइरेक्टर आफ हैल्थ होते हैं । या जैसा कि फूड एनेलिस्ट होता है जिसके पास चीज़ जांच के लिए भेजी जाती है । इसलिए फूड इंस्पेक्टर के लिए इन मामलों में दखल देना बहुत मुश्किल होगा । उस इंस्पेक्टर के लिए अपना काम करना मुश्किल हो जायगा अगर उसको यह मालूम

हो कि यह भी मुमकिन है कि उस पर उल्टा मुकदमा चल जायगा और उसको सज़ा मिल जायगी । ऐसी हालत में हैल्थ इंस्पेक्टर के लिए किसी बड़े दुकानदार से जाकर झगड़ा मोल लेने में बड़ी दिक्कत हो जायगी । हो सकता है कि छोटे छोटे दुकानदार उसके रोब में आ जायं लेकिन जो बड़े दुकानदार हैं वह उसके रोब में नहीं आयेंगे । इसलिए अगर आप पबलिक को फायदा पहुचाना चाहती हैं तो इसको ऐसे अमेंडेड फार्म में लाइये और इसमें से यह पनिशमेंट का प्रावीजन निकालिये क्योंकि मुझे डर है कि इसको रखने से उनको काम करने में मदद नहीं मिलेगी ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह क्लाज़ ११ के सम्बन्ध में है । आपने क्लाज़ ११ के सब-क्लाज़ २ में रखा है कि इंस्पेक्टर को तीन सेम्पिल बनाने पड़ेंगे । अगर दुकानदार ने सेम्पिल लेने से इन्कार कर दिया तो दो ही सेम्पिल बनाये जायेंगे उनमें से एक पबलिक एनेलिस्ट को भेजा जायगा और वह फैसला करेगा कि वह चीज़ एडल्टरेटेड है या नहीं । मेरी समझ में नहीं आता कि इस क्लाज़ की ज़रूरत क्या है । इस से कोई फायदा नहीं है इसमें यह होना चाहिए कि फ़ूड इंस्पेक्टर तीन पैकेट बनावे और दुकानदार को एक पैकेट लेने को मजबूर करे । अगर ऐसा नहीं होगा तो दुकानदार के लिए बहुत कुछ करने की गुंजाइश हो सकती है । अगर दुकानदार के पास पैके नहीं रहेगा तो वह पचास तरह की चालें चलेगा । आप जानते हैं कि अगर हम डाल डाल चलते हैं तो बिक्री करने वाले पत्ते पत्ते चलते हैं । इसलिये अगर हम एक उपाय उनके लिये करेंगे तो वह दो रास्ते निकाल लेंगे बचने के लिये, इसलिये हम उनको कोई लूपहोल या छेद ऐसा नहीं देना चाहते जिससे कि वह रास्ता बना कर अपने को बचाने की कोशिश करें ।

मुझे तीसरी बात जो कहनी है वह क्लाज़ १२ के बारे में है । क्लाज़ १२ में लिखा हुआ है :

"परन्तु ऐसा ग्राहक विक्रेता को क्रय के समय सूचित कर देगा कि वह उक्त पदार्थ का विश्लेषण कराना चाहता है"

इसका मतलब यह है कि जिस चीज़ को जो पर्चेज़र है ख़रीदने वाला चाहेगा कि हम उसकी जांच करवायें तो बेचने वाले को उस चीज़ को पबलिक एनालिसट के पास टेस्ट के लिये भेजना पड़ेगा, मैं समझती हूं कि इससे काम में बहुत ढीलापन आ जायगा क्योंकि इतना शोर करने की क्या ज़रूरत है, हम तो चाहते हैं कि खोज और पड़ताल इस तरह से की जाय जिससे फूड इंस्पेक्टर और पबलिक एनालिस्ट को ही यह मालूम हो, बेचने वाले को खबर ही नहीं होनी चाहिये कि हम आपके यहां तलाशी लेने जा रहे हैं । मैं तो अपनी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी को यह सुझाव देना चाहती हूं कि अगर आप जनता का इसमें सहयोग लेना चाहें तो बहुत सी ग़ैर सरकारी संस्थाओं जैसे ब्वाय स्काउट्स जो रेकगनाइज्ड आर्गेनाइज़ेशन है और भी दूसरी कई वालयेंटरी आर्गेनाइज़ेशन्स जो कि शोश्यल वर्क करने वाली हैं उनको भी आप इस में काम करने का मौका दे सकेंगे । होना तो यह चाहिये कि इन संस्थाओं के कार्यकर्त्ता चुपके से और अनजाने में बेचने वालों के माल की तलाशी लें और इस तरह से आप को सही सही जानकारी उनके माल के बारे में हो सकती है कि मिलावट उसमें है कि नहीं, चेतावनी दे कर तलाशी लेने के तो कोई माने नहीं होते क्योंकि चेतावनी पाने के बाद तो वह कोई ग़लती और

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

पकड़ का काम करने वाला नहीं है, ग़लती और गड़बड़ी तो वह तब करेगा जब वह देखेगा कि आप बेख़बर हैं, बिल्ली भी तो यही चाहती है कि मालिक अंधा बना रहे, इसलिये मेरी राय में यह पहले से चेताने का प्राविजन नहीं रहना चाहिये और इस को बिल में से डिलीट करवा दें तो बड़ा अच्छा हो। जो पर्चेज़र और ख़रीदने वाला है उसको इनफ़ार्म करने की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं आप से अनुरोध करूंगी कि आप इस प्राविज़न को बिल में से हटवा दें।

चौथी बात यह है और जो मैं समझती हूं कि काफ़ी जरूरी है कि क्लाज़ १३ में पबलिक एनालिस्ट के सम्बन्ध में जो लिखा है तो मैं चाहती हूं कि आप उसके अन्दर एक टाइम लिमिट मुक़र्रर कर दें, एक अनुमानित समय आपको रख देना चाहिये जिस से कि वह उस मियाद के अन्दर अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दे वरना आजकल देखिये कि कचहरियों में क्या होता है तारीख़ पहले डलवाने के लिये कोर्ट के मुलाज़िमों को आपको दो, चार या पांच रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है, काम जल्दी कराने के लिये पबलिक को वहां काम करने वाले बाबुओं को दो आने, चार आने से लेकर पांच रुपये, और दस, दस रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है तब जाकर कहीं काम बनता है। सैकड़ों आदमी जो रोज कचहरी में जाते हैं वह रिश्वत देते हैं, मुझे डर है कि कहीं कचहरी वाली हालत यहां भी पैदा न हो जाय और होगा यह कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम पबलिक एनालिस्ट पहले करे तो हम दो, चार रुपये उनके मुहकमे वालों को दे देंगे जिस से कि वह अपनी ज़रूरी से दे देंगे क्योंकि जल्दी रिपोर्ट सब चाहते हैं, देर होने से ख़रीदने वालों का भी नुक़सान होता है और ख़ास कर बेचने वालों का इंटरेस्ट तो इसी में रहता है कि जल्द अज़ जल्द रिपोर्ट मिल जाय और इसी तरह रिश्वतखोरी बढ़ेगी। इसलिये सरकार की तरफ़ से स्वयं इस बात को ठीक कर लेना चाहिये। पबलिक एनालिस्ट को अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिये कितनी अवधि दी जायगी और यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसके लिये बहुत कम समय रक्खा जा सकता है जिसके अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दाख़िल कर दे, इसके अलावा यह भी फ़ायदा होगा कि पबलिक एनालिस्ट और उसके मुहकमे वाले मुस्तैद रहेंगे और काम ठीक से और चुस्ती से करेंगे अन्यथा अगर आप कोई लिमिट मुक़र्रर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वह आराम में पड़ जायं और दफ़्तर में दो, चार घंटे आराम से सो भी जांय तो कौन सी बात है। इसलिये मेरी अपील है कि पबलिक एनालिस्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये आप एक समय और मियाद मुक़र्रर कर दें जिसके अन्दर अन्दर वह अपनी रिपोर्ट सरकार को, डाइरेक्टर आफ़ पबलिक हैल्थ के पास या जो ख़रीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं उनके पास भेज दे।

आख़िरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह हो सकता है कि इस विषय के अनुकूल भी न हो परन्तु इस विषय से ताल्लुक़ अवश्य रखती है और वह है तेल और घी में मिलावट करने की बात, परन्तु सबसे ज्यादा जो नुक़सान खाने वालों को होता है वह बाज़ार में बिकने वाली उन मिठाइयों और चीज़ों से होता है जो खुली बिकती हैं और जिन पर

मक्खियां भिनकती रहती हैं । आपने देखा होगा कि मिठाइयां कितनी गंदी जगहों पर और खुली हुई, बिकती हैं और अच्छे अच्छे लोग उस मिठाई को खरीदते हैं, शायद कुछ थोड़े से लोग जो बाजार की चीज़ से परहेज़ करते हैं न खरीदते होंगे, उन मिठाई के खोमचों पर मक्खियां बैठी रहती हैं और जब वह उनको हटाते हैं तो इतने ज़ोर की भिनभिनाहट और आवाज़ होती है कि आधा मील तक सुनाई देती है और आप जानते हैं कि जो उस को खायेगा वह बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, मक्खियां तो सारी बीमारियों की जड़ हैं । मैं चाहूंगी कि जितने रजिस्टर्ड आप के खोमचे वाले हैं उनको यह आज्ञा दी जाय कि वह खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रक्खें और उनको खुला न बेचें और अगर वह शीशे से अपनी चीज़ों को नहीं ढकते हैं और मक्खियों से नहीं बचाते हैं तो उन्हें अपना सामान बेचने की इजाजत नहीं होनी चाहिये, उन्हें कोई हक़ नहीं है कि वह इस तरह लाखों आदमियों की ज़िन्दगियों को बरबाद करें और उनकी सेहत को नुक़सान पहुंचायें, उनको इस तरह पसा कमाने का अधिकार नहीं होना चाहिये । मैं इसलिये आप से अनुरोध करूंगी कि उसमें एक इस तरह का क्लाज़ ऐड करवाने की कृपा करें, मैं जानती नहीं कि उसमें इस तरह का क्लाज जुड़वाने की कहां तक गुंजाइश होगी लेकिन जो भी हो यह इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिये कि जो बेचने वाले हैं वह शीशे में ढक कर अपनी चीज़ों को बेचें खुले में उनको बेचने की इजाज़त नहीं होनी चाहिये । ऐसा होने पर हमारी सेहत का बचाव होगा और पबलिक को साफ़ सुथरा और मक्खियों से बचा हुआ सामान मिल सकेगा ।

321 LSD

११ म० पू०

अन्त में और अधिक न कह कर जैसा अध्यक्ष महोदय ने आपसे कहा था कि वनस्पति के बारे में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें और उसमें कोई उपयुक्त रंग अवश्य मिलायें ताकि असली और नक़ली घी में लोग पहचान कर सकें और आज जो यह मिलावट चल रही है बंद हो जाय । वाक़ई यह आपकी मिनिस्ट्री को देश ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है कि आप कब तक स काम को पूरा कर सकते हैं और मैं उन अफ़सरों से जो आफ़िशियल गैलरी में बैठ हुए हैं उनसे भी अपील करूंगी कि आपकी लोक सभा में बेइज्ज़ती हो रही है, अभी तक आप कोई ऐसा रंग नहीं निकाल सके हैं जो वनस्पति में मिलाया जा सके जिससे यह एडल्ट्रेशन खत्म हो, इसलिये आपको जल्द से जल्द कोई कलर तलाश करके देना चाहिये । मुझे इससे बहस नहीं कि डालडा देश में चलता रहे या न चलता रहे, परन्तु मुझ इसमें ज़रूर ऐतराज़ है कि वह अभी तक असली घी से अलग नहीं किया गया है, कलर करके उसको असली घी से अलग करना बहुत ज़रूरी है ताकि उस को कोई असली घी में मिला कर जनता को धोखा न दे सके और सेहत बर्बाद न कर सके ।

मैं माननीया मंत्रिणी को बधाई देती हूं कि उन्होंने इस बिल को फिर से पुनर्जीवन दिया है, स सेशन में आता भी कि नहीं, मुझ तो कोई उसके आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिये म उनको बहुत बधाई देती हूं कि वह इस बिल को जो कि बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है सैशन के शु में लायीं । तना कह कर अध्यक्ष महोदय, मैं अपना आसन ग्रहण करती हूं ।

श्री एस० सी० सिंघल (ज़िला अलीगढ़) : स पति जी, इस विधेयक पर

[श्री एस० सी० सिंघल]

कल से बहस चल रही ह, म उस सारी बहस ो बड़ ौर से सुनता आया हूं। सभी सदस्यों न अपने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किय किन्तु वनस्पति घी का सब ने समान रूप से विरोध किया ह और म समझता हूं कि हमारी सरकार पर यह एक कलंक है कि देश के अंदर इसके प्रति इतना व्यापक विरोध होन पर भी सरकार ने इस पर अब तक कोई रुकावट नहीं डाली। मैं आशा करता हूं कि यह बिल जब पास हो जायगा तो सरकार कोई न कोई कदम इस घी को रोकने के लिये अवश्य उ ायेगी। कुछ लोगों ने यह समझ कर कि बाज़ार में जो घी मिलता है वह असल में वनस्पति घी है इसलिये उन्होंन घी के बजाय मक्खन खाना शुरू किया लेकिन मक्खन में भी बड़ी भारी मिलावट शुरू हो गई है और वह मारगरीन है जो मक्खन का सब्स्टीट्यूट है और हम देखते हैं कि आज मक्खन भी शुद्ध नहीं मिलता और उसमें भी मिलावट हो रही है। यह मारगरीन मेरी राय में वेजीटेबुल घी से भी ज्यादा खराब है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वेजीटेबुल घी के साथ मारगरीन के ऊपर भी कोई न कोई रुकावट अवश्य लगाइये।

सभापति जी, यह जो मिलावट के विकार की समस्या हर एक देश में आयी और हर एक देश ने इसको समझने की कोशिश की और इस समस्या को हल किया और योरोप के हर बढ़े चढ़े देश ने इस समस्या को हल कर लिया है। हमें अफ-सोस है कि हमारे देश की हर प्रांतीय सरकार ने कोशिश की लेकिन उनके कोशिश करने पर भी यह बीमारी बढ़ती गई और आज यह भारी विषमता के साथ मौजूद है। हर कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मेरी समझ में इस विकार का खास कारण हमारे देश में यह है कि हमारा देश बहुत गरीब है बहुत कंगाली की हालत में है और हमारे लोगों की खरीदने की शक्ति बहुत गिरी हुई है और हर एक ग्राहक चाहता है कि उसे सस्ते से सस्ते दाम में चीज़ें मिलें और जिसका नतीजा यह होता है कि चीज़ें ज़रूर सस्ती मिल जाती हैं लेकिन वह सस्ती चीज़ बुरी क्वालिटी की होती है और उसमें भारी मिलावट होती है। यह खास कारण है। दूसरा कारण यह है कि जिन इंस्पेक्टरों के हाथ में यह काम सौंपा जाता है वे भी बहुत गिरे हुए हैं, करप्ट हैं और बिगड़े हुए हैं। उनकी गिरावट का खास कारण यह है कि उन की तनख्वाहें कम हैं सैलेक्शन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है और बनिये लोग या दुकानदार लोग मिलावट करके रुपया बनाने की कोशिश करते हैं तो वे लोग भी रिश्वतें लेकर दूकानदारों का साथ देते हैं। जब तक इन्स्पेक्टर्स का सुधार नहीं होगा तब तक ऐडल्टरेशन बिल का पास होना बेफायदा है, इससे कोई खास लाभ नहीं होगा।

मुझे एक बात यह कहनी है कि हमारी मंत्रिणी जी महात्मा गांधी की बड़ी भारी भक्तों में से हैं, उनके अनु-यायियों में से हैं। वह गांधियन स्कूल की रही हैं। गांधी जी ने कुछ चीज़ों का हमेशा विरोध किया है जिन में से कि एक पालिश्ड चावल भी है दूसरा सफेद चीनी और तीसरा सफेद आटा चौथा वनस्पति घी। मुझे बड़ा अचम्भा होता है कि हमारी मंत्रिणी जी ने इन चारों में से किसी पर कोई रोक लगाने की कोशिश नहीं की। हमारे देश में जो अन्न

खाया जाता है वह सिर्फ १७०० कैलोरीज ताप पैदा करता है जब कि दूसरे देशों में, खास कर अमरीका और योरोप के बढ़े चढ़े देशों में २५०० से लेकर ३००० कैलोरीज तक का अन्न खाया जाता है । साइंस के एक बड़े पंडित ने कहा है कि एक आदमी अगर घंटे भर बगैर काम किये रहे तो वह करीब करीब १०० कैलोरीज हीट खर्च करेगा । हमारे देश में अगर देखा जाय तो कम से कम २४०० क्लोरीज एक बैठे बैठाले आदमी को चाहिये । जबकि वह सिर्फ़ १८०० कैलोरीज़ ही पाता है । तो हमारे यहां जो अन्न खाया जाता है वह कम तादाद में खाया जाता है गरीबी की वजह से । अगर यह अन्न भी हमें बुरी हालत में मिले तो आप समझ लीजिये कि हमारा क्या होगा हर अन्न को पचाने के लिए विटैमिन्स और मिनरल्स की खास ज़रूरत होती है । हर एक बगैर विटैमिन्स और मिनरल्स के अन्न मरा हुआ अन्न है । बगैर इनके अन्न पच नहीं सकता ।

चीनी जब सफेद बनती है तो उस में से कैल्शियम, आयरन और विटैमिन्स ए और बी सब खत्म हो जाते हैं। वे शीरे में आ जाते हैं इतनी बीमारियां बच्चों की आजकल हो रही हैं और सब सफेद चीनी के कारण, मैं नहीं कहता कि चीनी का बनना बन्द हो जाय । लेकिन सरकार कंट्रोल करे कि चीनी से शीरा इतना न निकाला जाय कि उनमें से कैल्शियम और आयरन और अन्य ज़रूरी चीज़ें खत्म हो जायें । अगर चीनी में कुछ पीलापन रहे तो जायके में कोई खराबी नहीं आती है सिर्फ शक्ल में खराबी ज़रूर होती है । लेकिन शक्ल की तरफ लोगों को नहीं जाना चाहिये, क्वालिटी की तरफ जायें मेरी मंत्रिणी महोदया से प्रार्थना है कि सरकार चीनी के मिल्स को कंट्रोल करे और इस तरह से कन्ट्रोल करे कि चीनी जो बने उसमें कैल्शियम, आयरन और विटैमिन्स रहे आयें ।

इसके बाद में यह कहना चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा अन्न है आटा वह भी खास तौर से गेहूं का आटा । गेहूं से जो सफेद आटा बनता है उसके लिये भी एक साइंटिस्ट ने कहा है कि उस में कोई भी मिनरल और विटैमिन नहीं रहता है । उसने लिखा है कि गेंहूं में १०० ग्राम्स पर पच्चीस यूनिट्स विटैमिन्स रहते हैं लेकिन जब सफेद आटा बन जाता है तो उसमें विटैमिन्स का नाम तक नहीं रहता । उसमें विटैमिन बी१ ,२५० से ३०० तक होता है, लेकिन जब सफेद आटा बन जाता है तो ३० या ४० ही रह जाता है । चावल में भी यही हालत है । पालिश करने पर राइस में भी बिल्कुल विटैमिन्स नहीं रह जाते । यदि हमारा राइस पालिश न हो, उसम कुछ पीलापन रहे तो जितनी बीमारी आज पैदा हो रही हैं सब खत्म हो जायें । मेरा कहना यह है कि आटे के साथ साथ आप चावल के पालिश पर भी रोक लगाइये जिसमें कि उनकी फूड वैल्यू गिरने न पावे । अमरीका में सन् १९४७ में एक रेगुलेशन पास हुआ फैडरल गवर्नमेंट की तरफ़ से उसमें यह है कि सफेद आटे की डबल रोटी जो बाजार में आयेगी विटैमिन्स और मिनरल्स की जो कमी सफेद आटे की वजह से हो गई है उसके पूरा होने पर ही बिक सकेगी, और जो दुकानदार उस कमी को पूरा नहीं करेगा उस पर मिलावट का चार्ज लगाया जायगा । कमी को पूरा करना वहां लाज़मी है । इंगलैण्ड में भी कुछ अंश में सफेद आटे पर रुकावट लगाई है । मेरी प्रार्थना मंत्रिणी महोदया से यह है कि यहां के

[श्री एस० सी०सिंघल]

मिल के आटे में जो कमी हो जाती है उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह मिल विद्ड्रा किया जाय।

श्री एस० सी० सिंघल : तीसरी चीज यह है कि इस बिल ने खाद्य पदार्थों को कलर करने की इजाज़त दे दी है। मैं समझता हूं कि इससे बुरी चीज कोई नहीं है। जितने कलर अर्थात् रंग हैं वे कोलतार से बनते हैं और कोलतार से जो चीज़ बनाई जाती है मैं समझता हूं वे बड़ी हानिकारक हैं। खाने के पदार्थों में उसे मिलाना विष मिलाने के तुल्य है इन रंगों का इस्तेमाल खूब हो रहा है खास तौर से शर्बतों में। मेरी प्रार्थना है कि इसकी जांच करवाई जाए और इसको रोकने की कोशिश की जाए।

इसके बाद प्रिजर्वेटिव्ज़ का सवाल आता है। प्रिजर्वेटिव्ज़ की भी कुछ अंश में इस बिल में इजाज़त दे दी है। प्रिजर्वेटिव्ज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ प्रिज़र्वेटिव्ज़ ऐसे हैं जो माईक्रो-आरगेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उन कीड़ों की पैदावार को तो रोकते नहीं हैं लेकिन जिन्स के नुक्स को छिपाते हैं। नुक्स तो बना रहता है लेकिन वह हम को नज़र नहीं आता है, उसकी फिज़िकल शेप को बनाए रखते हैं और बेक्टेरियास बढ़ते रहते हैं। जो प्रिजर्वेटिव्ज़ ऐसे हैं जो बैक्टेरिया की ग्रोथ को मार देते हैं, जो बैक्टेरिया को मार सकते हैं वे आदमी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो प्रिजर्वेटिव्ज़ इस ग्रोथ को नहीं रोकते हैं वे सिर्फ फिज़िकल शेप को रोकते हैं, अर्थात् माइक्रोब्स को फैलने से नहीं रोकते है उनसे कोई फायदा नहीं है जैसे मिसाल दूध की है। जो दूध को बिगड़ने से रोकता है वह सोहागा होता है वह दूध को फटने से रोकता है। दूध के अन्दर जो वैक्टेरियास हैं उनको बढ़ने से नहीं रोकता और उनमें से बहुत से वैक्टेरिया बीमारी फैलाने वाले होते है और वे बढ़ते रहते हैं मैंने देखा है कि आगरा और अलीगढ़ में, जहां से मैं आया हूं, कि लोग बाईसिकिल पर दूध लेकर बेचने आते हैं। दूध फट न जाये इसलिये वे उसमें सोहागा डालते हैं। इन सब बातों को देखते हुए मुझे यह प्रार्थना करनी है कि आप इन प्रिजर्वेटिव्ज़ पर भी जांच पड़ताल करें और इनमें भी रुकावट डालें। मंत्रिणी महोदया से प्रार्थना है कि जो सुझाव मैंने रखे हैं उन पर ग़ौर करें। अगर उन पर सरकार अमल करे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बीमारी बहुत कम हो जायगी। डाक्टरों के बिल बढ़े हुए हैं वह बहुत कम हो जायेंगे। जितना हमको खाने को मिल रहा है उसी में हम अपनी पचास फीसदी तन्दुरुस्ती में सुधार कर लेंगे बीमारी से बच जायेंगे।

इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे विचारों पर ग़ौर करें।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर--दक्षिण) : सभापति जी, मुझे आपने थोड़ा अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद है। यह विधेयक जो आज भवन के सामने है यह बहुत दिनों से अपेक्षित रहा है। मुल्क में चारों तरफ से यह मांग थी कि हमें शुद्ध भोजन मिले। आज इस देश में दुकानों पर यह नौबत आ गयी है कि शुद्ध घी और शुद्ध दूध नहीं मिलता। यह देश के लिये कलंक की बात है कि भारत में शुद्ध चीज़ों के नाम से अशुद्ध चीजों का प्रचार हो रहा

है। इस विधेयक के लिए चारों तरफ से बधाइयां आयी हैं। लेकिन ऐसे ही विधेयक राज्यों में भी हैं। उत्तर प्रदेश में १९५० में शुद्ध भोजन विधेयक पास हुआ लेकिन आज उसका क्या परिणाम आया है? इससे भोजन में कितनी शुद्धि हो गयी है यह देखने पर पता लगेगा कि जहां पहले १२ आने अशुद्धि थी वहां अब १६ आने अशुद्धि है। अभी चार पांच रोज हुए गोरखपुर के हैल्थ डाक्टर मेरे पास आये हुए थे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने अपने विधेयक को एनफोर्स किया है जिसके अनुसार सब खाना बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होता है। यह काम सैनिटरी इंस्पैक्टर्स और जो लोकल बाडीज़ के अधिकारी हैं उन के सुपुर्द है। उन सबों ने हर दुकान से दस बीस रुपये माहवार बांध लिये हैं और उनकी आमदनी जो पहले १०० रुपये की थी वह दो सौ और चार सौ माहवार हो गयी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे दिमाग की हालत नहीं सुधरेगी, हमारे विचार का ढंग नहीं बदलेगा, हमारी मुनाफाखोरी की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी, तब तक हम केवल कानूनों के द्वारा अपने चीज़ों को शुद्ध नहीं कर पायेंगे।

अब आप इसी विधेयक को देखिये। एक तरफ यह विधेयक शुद्धि का प्रचार कर रहा है। लेकिन अगर आप इसके अन्दर जा कर देखें तो मालूम होगा कि यह उन समाज के द्रोहियों को सहायता दे रहा है और वकीलों को मौका मिलेगा कि वह साबित कर पावें कि यह चीज़ बिल्कुल सही है और जो सही है वह गलत है। यही चीज़ दफ़ा ११ में है जिसका ज़िक्र श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने किया है। जो फूड कमेटीज़ बनेगी इनमें कौन कौन आदमी होंगे। इनमें कोई उपभोक्ता नहीं है। आप को देखने से मालूम होगा कि इनमें उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि एक भी नहीं है। इसमें माल बनाने वालों के प्रतिनिधि हैं। इसमें डाक्टर हैं, और जो चीज़ों के बनाने वाले हैं उनके प्रतिनिधि हैं, लेकिन खाने वालों का कोई आदमी नहीं है। हम यह नहीं कहते कि डाक्टर खाने वाला नहीं है लेकिन पबलिक के पक्ष का कोई आदमी नहीं है या पार्लियामेंट का या किसी राज्य का कोई आदमी नहीं है।

कल आप ने भी कहा, और लोगों ने भी कहा कि मुकदमा चलाने का हक उस व्यक्ति को नहीं है जिसको कि धोखा दिया गया है। यह एक नयी चीज है। हमारी यू० पी० सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें भी यह है कि दावा दाखिल हो सकता है केवल लोकल अथारिटी के कहन पर। हम जो क़ानून बना रहे हैं उसके अन्दर इंस्पैक्टर को भी अधिकार नहीं है कि वह दावा कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे या जिसको वे अधिकार दें वह करे। लेकिन उस आदमी को यह अधिकार नहीं है कि जिसने माल खरीदा, और पबलिक एनेलिस्ट के पास भेजा। यह साबित होने पर भी कि वह चीज़ अशुद्ध है उस आदमी को दावा करने का अधिकार नहीं है। आप चाहते हैं कि शुद्ध चीज़ें बिकें। लेकिन आप विक्रेता की तो रक्षा करते हैं और खरीदने वाले को सिर्फ यह अधिकार देते हैं कि वह पब्लिक ऐनलिस्ट के पास भेज सकता है। लेकिन ऐसा करनें के पहले उसे दुकानदार को इत्तला करनी चाहिए कि वह भेजना चाहता है। इत्तला करने पर दुकानदार सौ में ९५ को सौ दो सौ रुपया देकर कहेगा कि मत भेजो। दुकानदार उसके पैरों पड़ जायगा और

[श्री सिंहासन सिंह]

कहेगा कि तुम्हारा अगर दो रुपये का नुकसान हो गया है तो हम से सौ रुपये ले लो और रहने दो। यह जो सूचना देने का क्लाज़ है इसका यही नतीज़ा होगा। यह एक प्रकार का प्रतिबन्ध है। दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि अगर वह भेजे तो पहले प्रेस्क्राइब्ड फीस दाखिल करे और वह फीस उस समय वापस होगी जब कि यह साबित हो जाय कि चीज़ अशुद्ध है। पता नहीं कि आप कितनी फीस मुकर्रर करेंगे। फिर खरीदने वाले के पास उतना रुपया हो या न हो कि वह भेज सके। अगर आप चाहते हैं कि जो खाने वाला है और जो समाज सेवक है वह इस काम को करे तो आप को इसमें संशोधन करना चाहिए। जैसा कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि बाय स्काउट या दूसरे सोशल सेवक इस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको यह फीस जमा करनी होगी तो जो उमंग उन में होगी वह ठंडी हो जायगी। आपने यह अधिकार दिया है कि वह पबलिक एनेलिस्ट को भेज सकता है और अगर भेजने के बाद यह साबित हुआ कि वह चीज़ शुद्ध नहीं है तो फीस रिफंड हो जायगी। मैं चाहता हूं कि आप इस क्रम को उलट दें। पहले फीस लेने के बजाय आप बाद को फीस लें अगर यह साबित हो जाय कि वह चीज़ अशुद्ध नहीं है। आप ऐसा नियम कर दीजिये कि अगर माल सच्चा निकला तो भेजने वाले से फीस वसूल की जाय। मैं यह इस लिए सुझाव दे रहा हूं कि अगर किसी को १२ रुपये रिफंड कराने होते हैं तो १६ रुपये उसके उस रिफंड कराने में लग जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको उलटा कर दीजिये। अगर वह फीस दाखिल करके चीज़ को भेजेगा तो उसको रिफंड कराने में बड़ी दिक्कत होगी। ऐसी हालत में कोई आदमी भेजेगा ही नहीं। तो आपने इस तरह से दो प्रतिबन्ध लगा रखे हैं।

तीसरा प्रतिबन्ध यह रखा है कि आप उसे दावा करने का अधिकार नहीं देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह काम आगे बढ़े तो ऐसा नियम रखें कि जो आदमी खरीदे अगर वह समझता है कि माल सही नहीं है तो उसे इत्तला करने की ज़रूरत नहीं है। खरीदने वाला महाजन से रसीद हासिल करे कि फलां दाम में उसने फलां चीज़ खरीदी। कानूनी दुकानदार को रसीद देना लाज़मी होना चाहिए। अगर खरीदार चाहता है तो दुकानदार को रसीद ज़रूर देनी चाहिए कि फलां आदमी ने उसके यहां से अमुक वस्तु अमुक दाम पर ली है। एनेलिस्ट के पास से रिपोर्ट आने के बाद वह रसीद इस बात का सबूत रहेगी कि यह चीज़ फलां आदमी की दुकान से खरीदी गयी है। इन चीज़ों में आप को तरमीम कर देनी चाहिए। जैसा कि हमारे राजर्षि जी ने कहा था कि हमको हिम्मत से यह काम करना चाहिए ताकि हम इसको सही तरीके से कर सकें। अगर वाकै हम को कुछ करना है तो हम वैसा कानून बनावें।

इसके अलावा आपने एक और प्रतिबन्ध रखा है। पबलिक ऐनलिस्ट के पास कोई चीज़ भेजी गयी और उसकी रिपोर्ट आई कि वह चीज़ गड़बड़ है। उसके बाद दुकानदार यह दरख्वास्त दे सकता है कि यह चीज़ जो पबलिक एनेलिस्ट के यहां से आयी है उसे सेंट्रल लेबारेटरी को भेजा जाय। अब सेंट्रल लेबारेटरी का जो फैसला होगा वह फाइनल होगा। अगर उसने

कह दिया कि पबलिक एंनेलिस्ट की रिपोर्ट गलत है तो उसकी बात आखिरी मानी जायगी। पहले बिल में यह प्रावीजन नहीं था। बाद में यह प्रावीजन बढ़ाया गया है। इससे मालूम होता है कि बड़े बड़े लोगों का असर कमेटी पर पड़ा है जो बिल के अन्दर यह चीज़ आ गयी। दफा १३ में यह दिया हुआ है कि जो उनकी ओपीनियन आखिरी होगी यानी जो सेंट्रल लेबारेटरी की ओपीनियन होगी वह आखिरी होगी और उस पर किसी को ऐतराज़ नहीं हो सकता। अगर बड़े बड़े सेठों का मामला हुआ और पैसा चल गया तो वह एक बात को सही होते हुए भी गलत कह देंगे और गलत होते हुए भी सही कह देंगे। होना यह चाहिए कि अदालत के सामने दोनों रायें हों, पबलिक एनेलिस्ट की और सेंट्रल लेबारेटरी की। और अदालत को यह हक होना चाहिए कि वह देखें कि इन दोनों में कौन ठीक है। लेकिन आप इस को बन्द कर रहे हैं। इसके मानी हैं कि आप दुकानदार को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वह अपने मामले को ठीक कर ले।

दूसरी चीज़ हमने इस बिल में देखी कि जो उत्तरप्रदेश के बिल में है, वह यहां नहीं है। उत्तरप्रदेश के बिल में दफ़ा ४० में है कि जहां दफ़ा ४० के अन्दर कोई चीज़ पकड़ी जाय, वह तुरन्त मजिस्ट्रेट के सामने भेजी जाय और मजिस्ट्रेट अगर समझे कि वह चीज़ खराब है तो वह उस को बर्बाद कर दे, मगर इस मौजूदा हमारे बिल में न कहीं बर्बादी करने का ज़िक्र है और न चीज़ों को जाया करने का सवाल है। बिड़ला मिल में तेल बनता है, मुझ से एक महाजन ने कहा कि बड़े बड़े लोग जो मस्टर्ड आयल के बनाने वाले हैं वह मस्टर्ड आयल में तीसी मिला देते हैं, लेकिन चूंकि वे बड़े लोग हैं इसलिए उन का कुछ नहीं होता, छोटा ऐग्ज़ामिनर बतलाता है कि इसमें तीसी मिली हुई है, लेकिन उससे बड़ा राय देता है कि सर्सों मिलावट नहीं है और वह प्योर मस्टर्ड आयल मान कर ऐगमार्क लगा दिया जाता है। अब तो तीसी के तेल के अलावा मोबील आयल भी मिलाया जाने लगा है और कहने को वह बड़े ईमानदार बनते हैं। इसके अलावा स बिल की परिभाषा में एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ दी हुई है कि अगर किसी चीज़ में कोई इनफ़ीरियर क्वालिटी की चीज़ को मिलाया जाय और वह इंजूरियस न हो तो वह मिलावट न समझी जाय। कोई इनफ़ीरियर क्वालिटी की चीज़ मिलायी जाय और उससे कोई इंजूरियस एफ़ेक्ट न पड़े तो उसको एडल्ट्रेशन न माना जाय। अब डालडा के बारे में झगड़ा चल रहा है कि यह नुकसानदेह है कि नहीं लेकिन म पूछता हूं कि यह कहां तक उचित ह कि डालडा का प्रचार करने के हेतु इस प्रकार पबलिक में लिखा जाय कि डालडा खाने वाली औरत सबसे ज्यादा नाची, चार, पांच घंटे लगातार नाची। हमको इस तरह जनता को गुमराह तो नहीं करना चाहिये। आपकी इस परिभाषा के मुताबिक डालडा जो कि इनफीरियर क्वालिटी का होता है घी में मिला दिया गया तो वह आपकी इस डेफ़िनीशन के मुताबिक एडल्ट्रेशन नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि डालडा जैसा कि कुछ डाक्टरों की राय है कि इंजूरियस नहीं है वह अगर घी में मिक्स करा गया तो वह इंजूरियस नहीं होगा और मैं समझता हूं कि यह इंजूरियस के अल्फाज़ जो इस बिल में रक्खे हैं उसके मुताबिक तो उन पर कोई केस ही नहीं चल सकता और इसके अन्दर तो बड़े बड़े जो डालडा और दूसरे वनस्पति के मिल वाले हैं वह

[श्री सिंहासन सिंह]

इस डेफ़ीनीशन के मुताबिक बच जायेंगे ।

मैं चाहता हूं कि आप ज़रा इस चीज़ पर ध्यान दें कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि यह मिलावट की बीमारी हमारे यहां बन्द हो और दूसरी तरफ़ बिल में हम इस तरह पास कर रहे हैं कि जिस के पास हो जाने से कोई कोर्ट कनविक्ट नहीं कर सकेगा । मेरी राय में मिलावट से भयंकर अपराध दूसरा नहीं है, इसके ज़रिये नेशन के स्वास्थ्य को बरबाद किया जा रहा है और किसी ने ठीक ही कहा था कि कत्ल तो वर्ष में एक आध बार हुआ करते हैं लेकिन यह रोज़ाना का कत्ल स्लो प्वायज़निंग है । इस तरह का अपराध करने वाले हज़ारों लाखों रुपया बेईमानी से और लोगों को धोखा देकर कमाते हैं और उनकी सेहत बिगड़ने के वास्ते ज़िम्मेदार होते हैं लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे इस मौजूदा बिल में ऐसे अपराधी जो पकड़ जांय उनकी चीज़ों के कानफ़िसकेशन का भी प्रावीज़न नहीं है । अगर उनको यह पता हो कि अगर हम पकड़े गये तो हम ब दि हो जायेंगे, हमारी चीज़ें जाया कर दी जायेंगी तो शायद उनकी अकल ठिकाने आ जाय और वह ऐसी हरकतों से बाज आयें । तीसरे आफ़ेंस में कम से कम सज़ा उनके लिये दो वर्ष की है, अब भला आप ही बतलाइये कि दो साल की सज़ा और २० या २५ हजार का जुर्माना ऐसे लोगों पर करने से क्या बनता है जिन्होंने इस बेईमानी के धंधे में लाखों रुपये कमाये हों, जहां करोड़ों का सवाल हो, वहां २०, २५ हज़ार का जुर्माना करने से क्या बनता है एक महाजन हम से कहता था कि साहब हम तो लक्ष्मी का पूजन करते हैं और जब लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा रहती है तो भगवान् स्वयं उसके पीछे खुद आ जाते हैं । हम तो सदा लक्ष्मी को सही या गलत तरीके से जैसे भी बने अपने घर में लाने की कोशिश में लगे रहते हैं और भगवान् भी लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं और इस तरह गड़बड़ करके जैसे भी बने लक्ष्मी से अपना घर भरते हैं । अगर आप वाकई चाहते हैं कि कानून सही हो, मजबूत हो और हम ठीक तरीक़े से उस को बर्तें, तो हम को कानून ऐसा बनाना चाहिए जो खुद ब खुद एक भयंकर रूप धारण करे जिससे मिलावट करने वालों के दिल में आतंक हो और डर हो कि हमारे साथ कानून सख्ती से पेश आयेगा और कोई रिआयत नहीं करेगा, उसके दिल में यह ख्याल न हो कि वह अदालत की शरण लेकर कानून के पंजे से बच जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं एक नाउम्मेदी के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी अपने संशोधनों और दूसरों के दिये हुए संशोधनों द्वारा इस बिल को ऐसा बना कर पास करेंगी जिससे इन चोरबाज़ार और देश और समाज के शत्रुओं को यह यकीन हो जायगा कि अब हम बचने वाले नहीं हैं और हमें हमारे अपराध की कडी सज़ा मिलने वाली है ।

जहां तक वनस्पति को कलर करने का प्रश्न है, इस दिशा में हमारी यू० पी० गवर्नमेंट ने वनस्पति को कलर करने के लिये सन् १९४९ में प्रस्ताव पास कर दिया था लेकिन अभी तक रंग नहीं मिला, वैसे आप रोज़ देखते हैं कि लेमनेड और सोडावाटर रंगा हुआ होता है और मिठाई रंगी हुई बिकती है और मैंने तो श्री विनोबा भावे की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि

वनस्पति का कारोबार करने वालों को कारखाने वालों को हम इस बिल के अन्दर ६ महीने का टाइम दे देवें कि अगर वे लोग ६ महीने के अन्दर कोई वनस्पति में मिलाने के लिये उपयुक्त रंग नहीं तलाश करेंगे तो हम इसका मैनुफ़ैक्चर बंद कर देंगे तो आप देखियेगा कि तुरन्त एक ही महीने के भीतर आवश्यक रंग पैदा हो जायेगा और उस के लिये न गवर्नमेंट को दिक्कत उठानी पड़ेगी, और न किसी और को दिक्कत उठानी पड़ेगी, इसलिये मैं श्री विनोबा भावे की बात का समर्थन करता हूं कि हम वनस्पति घी के बनाने वालों को इस बात के लिये मजबूर करें कि वह शीघ्र ऐसा रंग तलाश करके वनस्पति को क्लर करें जिससे असली और नकली घी में फ़र्क किया जा सके अब गवर्नमेंट को सख्ती के साथ उनसे पेश आना चाहिये नरमी से काम चलने वाला नहीं है, कानून ऐसा सख्त बनना चाहिये जिससे लोगों के दिलों में डर पैदा हो ।

डा० जयसूर्य (मैसूर) : मेरी जानकारी के अनुसार खाद्य अपमिश्रण के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य का अपना अपना अधिनियम है । मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार का विचार यह है कि इन विधियों में समानता लाई जाये । मैं इस प्रयत्न का स्वागत करता हूं । किन्तु हमें यह देखना है कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर अपमिश्रण क्यों होता है । इसका कारण यह है कि उत्पादक अपना माल सीधा उपभोक्ताओं को नहीं बेचता । बीच के जो व्यापार होते हैं, वही अपमिश्रण करते हैं । हमें यह देखना है कि अपमिश्रण किस स्तर पर होता है—यह थोक व्यापारी करते हैं या फुटकर व्यापारी ?

इस विधि का प्रभाव क्या होगा ? मान लीजिये किसी छोटी नगरपालिका या ग्राम में खाद्य को अपमिश्रित किया गया है या सड़ा हुआ खाद्य बेचा गया है । प्रश्न उठता है कि इसकी जांच करने के लिए इसे प्रयोगशाला में कैसे लाया जायगा । क्या खाद्य के यहां पहुंचने तक और इस का विश्लेषण होने तक, यह वैसा ही रहेगा जैसे पहले था । इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । प्रत्येक नगरपालिका का, प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य विभाग का अपना रासायनिक विश्लेषण है । अतः सिवाय मानदंड निश्चित करने के केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित करने की क्या आवश्यकता है । इस कार्यवाही को एक स्थान पर केन्द्रित करना असम्भव है । मूंगफली और इसका तेल और दूसरे खाने वाले तेल वनस्पति और साबुन बनाने वालों ने अपने पास जमा कर रखे हैं यहां तक कि मलाबार में स्वयं नारियल का तेल बनाने वालों को भी तेल नहीं मिलता । साबुन के उत्पादन के लिये इसका निर्यात किया जा रहा है । अतः यदि हम भोजन में अपमिश्रण को रोकना चाहते हैं तो इस प्रकार माल जमा करने के विरुद्ध विधान बनाना पड़ेगा ।

इस विधेयक के दो भाग है । एक तो खाद्य पदार्थों में घटिया प्रकार की वस्तु अपमिश्रित करने के सम्बन्ध में है । राज्य सरकारों ने मिल वालों को इस बात के लिए विवश करके भारी भूल की है कि वे अच्छे आटे में सड़े हुए गेहूं का आटा भी मिला दें । पहली बात यह कि इस को रोकने के लिये विधान बनाया जाये ।

क्योंकि कुछ राज्यों में उत्पादकों को इस से लाभ था इसलिये उन्होंने वनस्पति

[डा० जय सूर्य]

मैं २८ प्रतिशत अलसी का तेल मिलाने की अनुमति दे दी। वनस्पति केवल मूंगफली के तेल से नहीं बनाया जा रहा है इसमें बिनौले और ताड़ का तेल मिलाया जाता है। वनस्पति के उत्पादन में निकल साल्टों का प्रयोग होता है जो कि आंखों पर और स्त्री के वस्तिप्रदेश के अंगों पर बुरा प्रभाव डालता है।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : क्या मैं यह कह सकती हूं कि वनस्पति के उत्पादन का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

डा० जयसूर्य : जी हां, है।

राजकुमारी अमृतकौर : मेरे विचार में यह विधेयक से संगत नहीं है। यदि वनस्पति किसी वस्तु में अपमिश्रित किया जा रहा हो तो और बात है अन्यथा यह असंगत है।

डा० जयसूर्य : मैं इसका विरोध करता हूं। वनस्पति शरीर के लिये हानिकारक है अतः मैं इसे साधारण तेल की तुलना अपमिश्रण समझता हूं।

राजकुमारी अमृतकौर : वनस्पति के उत्पादन से इस विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण के बारे में है। यदि घी में वनस्पति मिलाने का प्रश्न हो तो इसे अपमिश्रण कहा जा सकता है। परन्तु वनस्पति के उत्पादन के लिए मुझे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह मेरे मन्त्रालय के अधीन नहीं है, और निश्चयेन इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर है।

डा० जयसूर्य : मैं माननीय मंत्री को वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा रहा।

खाने के तेल कुछ एक व्यक्तियों ने इकट्ठे कर रखे हैं और एक साधारण व्यक्ति को तेल मिलना भी कठिन हो गया है। एक ही ज़िले में एक समवाय ने एक करोड़ रुपये का मूंगफली का तेल जमा किया हुआ है।

राजकुमारी अमृतकौर : संभापति महोदय, मैं पुनः कहती हूं कि यह असंगत है।

सभापति महोदय : औद्योगिक उपक्रमों का प्रभाव, अथवा अनुचित संग्रह इत्यादि इस विधेयक क्षेत्र से बाहर हैं।

डा० जयसूर्य : हम व्यर्थ इतना बड़ा आडम्बर कर रहे हैं। यह कार्य तो इस विधेयक के बिना कोई ईमानदार सफ़ाई निरीक्षक भी कर सकता था, खाद्य पदार्थों की किस्म और प्रभावों की जांच के लिये आप केन्द्रीय प्रयोगशाला खोलना चाहते थे। मैं फिर कहता हूं कि इन्हीं आधारों पर वनस्पति को खराब कहा जा सकता है। परन्तु इतनी लम्बी चौड़ी व्यवस्था का क्या होगा ?

सभापति महोदय : शान्ति शान्ति, केन्द्रीय प्रयोगशाला जो मान निश्चित कर देती है सब वस्तुएं उस के अनुसार होनी चाहियें तभी उन्हें शुद्ध कहा जा सकता है। इसी कारण यह केन्द्रीय प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई है।

डा० जयसूर्य : परन्तु यदि केन्द्रीय प्रयोगशाला ही किसी दूर के स्थान की वस्तु की दशा की परीक्षा करने का एकमात्र साधन हो, तो यह असम्भव होगा।

राजकुमारी अमृतकौर : इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने उत्तर में दूंगी।

श्री एस० एस० मोरे : मान निश्चित करने के लिये एक केन्द्रीय समिति होनी चाहिये ।

डा० जयसूर्य : यदि यह केवल मान निश्चित करे तो हम इस का विरोध नहीं करेंगे । रेलवे विभाग में भी भोजन और दूसरी खाने पीने की वस्तुओं के मान निश्चित किये गये हैं परन्तु यात्रियों से कई शिकायतें मिलती हैं । खाने पीने की वस्तुओं के निरीक्षक को बहुत अच्छा भोजन दिया जाता है और यदि कोई पदाधिकारी आ जाये तो उसे और भी अच्छा भोजन दिया जाता है और सूचना मिलती है कि भोजन अच्छा है । अतः उपभोक्ता को अधिकार है कि वह वस्तु का नमूना पंच के समक्ष रख सके ।

राजकुमारी अमृतकौर : सब से पहले मैं सभा का धन्यवाद करती हूं कि इसने विधेयक के प्रथम बार पुरःस्थापित किये जाने पर इस में इतनी रुचि ली, विधि के अनुसार यथासम्भव शीघ्र मैं ने इसे पुरः स्थापित किया, इसका स्वागत किया गया और उस समय भी इस पर दो दिन तक वाद-विवाद हुआ था, मैं ने समय नष्ट नहीं होने दिया, नवम्बर १९५२ में विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया और फरवरी १९५३ तक प्रवर समिति का प्रतिवेदन तैयार हो गया था, मैं प्रवर समिति के सदस्यों के प्रति बहुत आभारी हूं जिन्होंने शीघ्र प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कई दिन तक प्रातः व मध्याह्नोत्तर बैठकें कीं, अब मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी लापरवाही के कारण इस विधेयक को पहले नहीं लाया गया । यदि माननीय सदस्य चाहते कि विधेयक जल्दी सभा के समक्ष लाया जाये तो विधेयक का और भी सौभाग्य होता, मैं हर सत्र में हर बार कहती रही कि विधेयक लाया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त मैं ने सदस्यों को विधेयक का अध्ययन करके संशोधन भेजने के लिये कहा परन्तु किसी ने रुचि नहीं ली और अब मेरे मन्त्रालय को शनिवार, रविवार और सोमवार की रातों को भी बहुत देर तक संशोधनों के विषय में कार्य करना पड़ा । और कुछ संशोधन तो आज प्रातः १०–१५ बजे आये हैं । इन सब को निबटाना मेरे लिये असम्भव है ।

फिर भी सामान्य चर्चा में जो बातें कही गई हैं मैं उन का उत्तर देना चाहती हूं । मुझे इस बात का दुःख सा हो रहा है कि जब कि सारे सदस्य विधेयक का स्वागत कर रहे हैं फिर भी उन के मन में निराशा सी है कि यह विधेयक क्रियान्वित नहीं होगा । हरेक कहता है कि अपमिश्रण एक विश्वव्यापी कष्ट है, मुझे यह बताने से कोई लाभ नहीं । यदि मुझे विदित न होता कि अपमिश्रण का कष्ट बहुत फैला हुआ है तो मैं यह विधेयक न लाती । अभिप्राय तो इसे रोकने का है और यह विधेयक इस सद्भावना से लाया गया है कि कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये और मुझे अब भी विश्वास है कि यह कार्यवाही बिलकुल उपयुक्त है । परन्तु सदन के सब सदस्य जानते हैं कि केवल विधान द्वारा ही कोई देश, राष्ट्र, समुदाय अथवा कोई भी व्यक्ति बुराई से कभी छुटकारा नहीं पा सकता । अतः मैं जनता के सहयोग की भी आशा करती हूं ।

विधेयक इस प्रकार बनाया गया है कि विधि भंग करने वालों को पकड़ना जनता के लिये भी सहज हो । मुझे बताया

[राजकुमारी अमृतकौर]

गया है कि इस विषय में कोई शिक्षा नहीं दी गई। मैं सदा यह कहती रही हूं कि अपमिश्रण मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है। मैंने समाज सेवकों और व्यापारिक संसार में यह प्रचार करना नहीं छोड़ा है और मैंने राज्य सरकारों को यह हिदायतें देना बन्द नहीं किया है कि इस को रोका जाय, अपर्याप्त व्यवस्था को बढ़ाया जाये और साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के वेतन भी बढ़ाये जाये ताकि उन्हें घूंस तथा भ्रष्टाचार का प्रलोभन न दिया जा सके। सब राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और वे सब इस विधेयक से सहमत हैं।

अन्तिम वक्ता ने केन्द्रीय प्रयोगशाला के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है। केन्द्रीय प्रयोगशाला केवल अपीलों के लिये है। प्रयोगशालायें तो राज्यों में होंगी। इस लिये ऐसी बात नहीं है कि किसी ग्राम में पड़ी हुई वस्तु पकड़ कर दिल्ली भेजी जायेगी। न जाने क्यों सब कह रहे हैं कि प्रयोगशाला दिल्ली में होगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह दिल्ली में नहीं होगी। केन्द्रीय प्रयोगशाला का तभी काम पड़ता है जब कोई अपील करने पर विश्लेषण किया जाना हो। राज्यों की अपनी प्रयोगशालायें होंगी और उनकी संख्या राज्य की आवश्यकता के अनुसार होगी। प्रारम्भ में एक दो अवश्य होंगी और जिस वस्तु की परीक्षा की जानी होगी वह निकटतम स्थान पर भेजी जायेगी।

मुझ से पूछा गया है कि मैं ने "खाद्य पदार्थ" (Food) की परिभाषा क्यों नहीं की। इस प्रकार के विधेयक में मेरे लिये "खाद्य पदार्थ" की परिभाषा देना असम्भव है। नये खाद्य पदार्थ बनते रहते हैं। खाद्य पदार्थ सम्बन्धी टैकनोलौजी भी बहुत शीघ्रता से उन्नति कर रही है। अतः इस प्रकार के विधेयक में परिभाषायें नहीं दी जा सकतीं, परन्तु नियमों में वे अवश्य दी जायेंगी। स्थिति के अनुसार खाद्य पदार्थों के साथ साथ नियम भी घटते बढ़ते रहेंगे।

स्थानीय निकायों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। स्थानीय प्राधिकारियों में मैं ने पंचायत को भी सम्मिलित कर लिया है। प्राप्त हुए संशोधनों को मैं ने ध्यान-पूर्वक अध्ययन किया और इस उद्देश्य से कि अधिकतम संशोधन स्वीकार किये जायें उपलब्ध समय में जहां तक सम्भव था मैं ने अपने संशोधनों में वे संशोधन मिला लिये हैं। कुछ राज्यों में ज़िला बोर्ड नहीं हैं। इसलिये मैं ने ज़िला बोर्डों का उल्लेख नहीं किया, परन्तु जहां कहीं ये विद्यमान हैं ये स्थानीय प्राधिकारियों की परिभाषा में, जो आपको विधेयक के पृष्ठ ३ पर सब से ऊपर मिलेगी आ जायेंगे।

बहुत से वक्ताओं ने एक यह बात कही थी कि क्रेता को इस बात के लिए सक्षम बनाना चाहिये कि वह खण्ड २० के अधीन अभियोग चलाने के लिए स्थानीय अथवा राज्य प्राधिकारी के पास पहुंच सके। खण्ड २० का उद्देश्य तो केवल निरर्थक और कष्टदायक शिकायतों को रोकना था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा २७२ और २७३ के अधीन— हो सकता है कि जहां तक विधि की धाराओं का सम्बन्ध है मैं गलत होऊं— हमारे पास अपमिश्रण और अपमिश्रित खाद्य सामग्री के विक्रय के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं। अतः कोई भी गैर-सरकारी क्रेता स्थानीय प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार

के पास पहुंचे बिना इन धाराओं के अधीन सीधे शिकायत कर सकता है। इस लिए मेरा विचार है कि खण्ड २० सर्वथा है ठीक और हमें इसे संशोधित करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने संक्षिप्त अभियोग चलाने की सिफारिश की है। मैं स्वीकार करती हूं कि मुझे इस बात पर सभा में मत-भेद दिखाई देता है। कुछ कहते हैं कि इस विधेयक में जो दण्ड रखा गया है वह पर्याप्त नहीं है। सब राज्यों ने यह कहा है कि उन्हों ने अपने लम्बे अनुभव से यह जाना है कि राज्यों के वर्तमान उपबन्धों में दिये गये दण्ड पर्याप्त रूप से निरोधक नहीं हैं। इसलिए दण्ड कुछ अधिक बढ़ा दिया गया था।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २६० के अनुसार ऐसे अपराध पर संक्षिप्त अभियोग की अनुज्ञा नहीं है जिनमें ६ मास से अधिक कारावास का दण्ड दिया जा सकता हो। अतएव हम इस विधेयक के अधीन संक्षिप्त अभियोग चलाने की अनुज्ञा नहीं दे सके और मेरा विचार है कि यदि भली प्रकार न्याय करना है तो हम विधि के विरुद्ध नहीं जा सकते और जब क्रेता एक दूसरी विधि के अधीन किसी के विरुद्ध अभियोग चला सकता है तो मेरा विचार है यह उपबन्ध यहां लाने की आवश्यकता नहीं।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : क्या इस विधेयक में संक्षिप्त अभियोग का उपबन्ध नहीं किया जा सकता ?

राजकुमारी अमृतकौर : मेरा विचार है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि संक्षिप्त अभियोग केवल उन अपराधों का हो सकता है जिन की दण्डावधि ६ मास कारावास से अधिक न हो।

श्री एस० एस० मोरे : आप यह कह सकती हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २६० के होते हुए भी, संक्षिप्त अभियोग चलाया जा सकता है।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं विधि में बाधक नहीं हो सकती और मैं यही चाहूंगी कि यह ऐसे ही रहे। आखिर यह कार्यवाही तो ठीक दिशा में की गई है। जब हमें इस के प्रवर्तन में कठिनाइयां होंगी तो हम कभी भी किसी खण्ड में संशोधन कर सकते हैं।

एक वक्ता ने खण्ड २१ का तीव्र विरोध किया था। मैं यह कह सकती हूं कि यह पहले ही बम्बई खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में है और खण्ड २१ के समान उपबन्ध हमारे करे अधिनियमों में मिलेंगे। अतः इस में कुछ भी असाधारण नहीं है।

मुझे कहा गया है कि मैं इस कार्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगाऊं। ये बातें नियमों और निर्देशों के अधीन होंगी। मैं सम्भवतः इस प्रकार का सुझाव एक अधिनियम में सम्मिलित नहीं कर सकती।

राज्य सरकारों के हाथ में जो व्यवस्था है उस के सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य ने यह शिकायत की है कि वह निर्दय, भ्रष्टाचारपूर्ण और अकुशल है। यह तो राज्य सरकारों का काम है कि उनकी व्यवस्था उचित स्तर की हो।

एक सदस्य ने कहा कि अपमिश्रित खाद्य सामग्री खरीदने का कारण गरीबी है। मुझे तो यह विश्वास नहीं कि अत्यन्त दरिद्र व्यक्ति अपमिश्रित खाद्य सामग्री खरीदेगा। वस्तुतः मैं इस बात को अस्वीकार करती हूं कि अत्यन्त दरिद्र

(राजकुमारी अमृतकौर)

व्यक्ति गेहूं अथवा चावल को अपमिश्रित रूप में खरीदेगा। दरिद्र व्यक्ति को अपमिश्रण के खतरे से बचाने के लिए ही तो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

जहां तक वनस्पति का सम्बन्ध है यह कहा गया है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और मुझ में वनस्पति के निर्माण को बन्द करने का साहस होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि वनस्पति का निर्माण अपमिश्रण का भाग नहीं है, अतएव इसका इस से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं आ सकता। कुछ सदस्यों ने तिलहन इत्यादि पदार्थों के इकट्ठा किये जाने के बारे में कहा है। यह भी इस विधेयक के अधीन नहीं आता। मैं यह भी कह दूं कि इस सरकार के विरुद्ध ऐसे आरोप सुन कर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ है—और मुझे आज इस सरकार का एक अंश होने का सौभाग्य प्राप्त है। यह कहा गया है कि वनस्पति को रंग देने की कोई वस्तु न ढूंढने में सरकार बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिली हुई है। मुझे इन बातों पर सख्त आपत्ति है; ये बातें सर्वथा अनुचित हैं। यदि सरकार बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिली हुई है तो निश्चय ही इस का अन्य बहुत से विषयों में भी बड़े बड़े व्यापारियों के साथ ऐसा ही सम्बन्ध होगा और सदस्य यदि ऐसा अनुभव करते हैं तो उन्हें हमें ये बैंच खाली करने के लिए कह देना चाहिये। मैं समझती हूं कि यह कहना सर्वथा अनुचित है कि हम ने जान बूझ कर रंगने वाला पदार्थ ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि इसी वर्ष जब मैं इंगलैंड में थी तो मैं ने उन से पूछा था कि उन्होंने मार्गरीन का रंग देने के लिए क्या कभी वैज्ञानिक अनुसंधान किये थे ताकि मार्गरीन और मक्खन में विभेद किया जा सके, और उन अनुसन्धानों का क्या परिणाम निकला, तब उन्हों ने बताया कि हम ने बहुत प्रयत्न किया परन्तु हमें कोई रंग नहीं मिला। और इंगलैंड में आप को आज कल क्या मिलेगा? मक्खन के पास ही मार्गरीन भी रखा रहता है और उन पर मार्गरीन और मक्खन के लेबल लगे रहते हैं। मुझे यह स्वीकार करते हुए लज्जा आती है कि वहां खाद्य अपमिश्रण का ऐसा खतरा नहीं है जैसा कि हमारे देश में है अतएव हमें अपने सचाई के मानदण्ड को उच्च बनाना होगा। मैं इस समय वनस्पति के गुणावगुणों के विषय में नहीं कहूंगी। यह कहा गया है कि चिकित्सकों की राय के अनुसार जमाये हुए वनस्पति के तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं, परन्तु बहुत से लोगों का मत इस के विरुद्ध है। हम वनस्पति को सुधारने का यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं ने इस बात का अनुरोध किया था कि वनस्पति को कुछ विटामिनों से पौष्टिक बनाया जाये, और मैं ने यह अनुरोध भी किया था जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, कि वनस्पति को वनस्पति घी न कहा जाय। उसमें से घी का नाम निकाल दिया गया है ताकि जो कोई भी खरीदे वह इसे देख सके। सभी के समान मैं भी इस बात की इच्छुक हूं कि इस देश के बच्चों को—मेरे बच्चों को—शुद्ध दूध मिले और प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध घी मिले, परन्तु यह कहां से आये? यह प्राप्य नहीं है। इन सब बातों का पारस्परिक सम्बन्ध है जब तक हम अपने ढोरों की नस्ल न सुधारें और जब तक हम देश में उपलब्ध दूध की मात्रा में वृद्धि न करें हमें पर्याप्त

दूध नहीं मिल सकता । मैं करोड़ों बच्चों को दूध का पाउडर पिला रही हूं जो हमें मिलता है या हम विदेश से खरीद रहे हैं । जब तक मैं शुद्ध दूध पर्याप्त मात्रा में तैयार न कर सकूं मैं क्या करूं ? अतः वनस्पति की समाप्ति का साधन इतना अधिक वनस्पति पर रोक नहीं है जितना कि देश में अधिक घी, अधिक दूध और अधिक दूध की चीजें उत्पन्न करना है । मैं यह कह सकती हूं कि ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु यह समस्या ऐसी नहीं है जो रातभर में हल हो सके । वनस्पति निर्माण से मेरा किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है और न ही मुझे उस सम्बन्ध में यहां कुछ कहना है । मुझे तो यह कहना है कि यदि रेलवे में खाद्य सामग्री में अपमिश्रण होता है तो सरकारी कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध भी अन्य लोगों की तरह ही अभियोग चलाया जा सकता है । प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन आ जायेगा । यदि रेलवे की खाद्य सामग्री की बात हो तो नियमानुसार किसी भी व्यक्ति को वह पदार्थ ले कर नमूने भेजने का अधिकार है और रेलवे के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है । मैं नहीं समझती कि किसी सरकारी अभिकरण या गैर सरकारी अभिकरण या किसी दुकानदार के बीच कोई भेद क्यों किया जाये ।

सभापति महोदय, मैं अब चाहती हूं कि विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार आरम्भ किया जाए । मुझे और कुछ नहीं कहना है परन्तु सभा से मेरा अनुरोध है कि वह देश में ऐसा वातावरण करने में मेरी सहायता करे जिससे इस विधेयक का स्वागत हो और लोगों को इसके लिए शिक्षित किया जाये । सरकार सभी कुछ नहीं कर सकती और इस विधेयक को उस भावना से स्वीकार किया जाये जिस भावना से इसे सभा के समक्ष रखा गया है, जिससे हम देश के इस अपराधिक और वास्तविक खतरे को दृढ़ता से रोकने में समर्थ हो सकें ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री की यह धारणा है कि विधेयक में धारा २० के होते हुए भी कोई गैर-सरकारी व्यक्ति अपराधी के विरुद्ध अभियोग चला सकता है ?

राजकुमारी अमृतकौर : जी हां । विधि मंत्रालय ने मुझे यही सूचना दी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा २७२ और २७३ के अधीन कोई क्रेता स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के पास गये बिना सीधे शिकायत कर सकता है ।

सभापति महोदय : यह तो ठीक है । परन्तु धारा २० की शब्दावली के अनुसार कोई गैर-सरकारी व्यक्ति राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना किसी अपराधी के विरुद्ध अभियोग नहीं चला सकता ।

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे बताया गया है कि इस से गैर-सरकारी क्रेता के शिकायत करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री ए० एस० मोरे : यदि किसी गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा अभियोग चलाये जाने पर इस अधिनियम के दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों को लागू किया गया तो दण्ड २० भी लागू होगा ।

सभापति महोदय : मैंने भी यही कहा है परन्तु माननीय मंत्री को अपना मत रखने का अधिकार है ।

प्रश्न यह है कि :

"खाद्य-अपमिश्रण के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—परिभाषायें

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ करते हैं । हम सर्व प्रथम खण्ड २ पर विचार करेंगे ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १५ में—"nature" ("प्रकार") से पूर्व "purity" ("शुद्धता") निविष्ट किया जाये ।

खण्ड २ में या उपखण्ड (क) या (ख) या (ग) में 'शुद्धता' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब उपखण्डों में यह शब्द रख दिया जाये ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

माननीय सदस्य बता दें कि उन्होंने कौन कौन से संशोधन प्रस्तुत करने हैं ।

श्री एस० बी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १६ में "substance" ("तत्व") के पश्चात् "quantity" ("मात्रा") निविष्ट किया जाये ।

श्री बोगावत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति २० में "injuriously" ("हानिकारक रूप से") के पश्चात् "or otherwise" ("अथवा अन्यथा") निविष्ट करें ।

श्री एस० बी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति २२ में "substance" ("तत्व") के पश्चात् "or colourable imitation" ("अथवा रंगने योग्य नकली पदार्थ") निविष्ट किया जाये ।

श्री कृष्ण चन्द्र (ज़िला मथुरा–पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १, पंक्ति २२ में, "has been" ("रहा हो") के पश्चात् "mixed or" ("मिश्रित अथवा") निविष्ट किया जाये ।

(२) पृष्ठ १, पंक्ति २३ और २४ में से "so as to affect injuriously the nature, substance or quality thereof" ("जिससे कि उसके प्रकार, तत्व अथवा गुण पर हानिकारक प्रभाव डाले") ये शब्द निकाल दिये जायें ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति २२ में "substituted" ("स्थानापन्न किया जाये") के पहले "mixed or" ("मिश्रित अथवा") निविष्ट किया जाये ।

श्री एम० एल० अग्रवाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली—पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २, पंक्ति १९ में, "and in amounts not" ("और राशियों

में नहीं") के स्थान पर "or any permitted colouring matter not in quantities" ("अथवा कोई अनुज्ञात रंगने का पदार्थ मात्राओं में नहीं") रखा जाये ।

(२) पृष्ठ २, पंक्ति २५ में, "excess" ("अधिक") के पश्चात् "or short" ("या कम") निविष्ट किया जाये ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, पंक्ति ३५ में, "used" ("प्रयुक्त") के स्थान पर "consumed" ("उपभुक्त") रखा जाये ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, पंक्ति ३५ में, "by man" ("मनुष्य द्वारा") के स्थान पर "for human consumption" ("मानव उपभोग के लिये") रखा जाये ।

श्री राघवाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २, पंक्ति ३५ में, "man" ("मनुष्य") के स्थान पर "person" ("व्यक्ति") रखा जाये ।

(२) पृष्ठ २, पंक्ति ३५ में "man" ("मनुष्य") के स्थान पर "a human being" ("मानव") रखा जाये ।

श्री राघवाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३१ में, "false" ("झूठा") के स्थान पर "incorrect" ("गलत") रखा जाये ।

श्री दाभी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति ३ के पश्चात् निम्न निविष्ट किया जाये —

"Explanation 1.—For the purpose of sub-clause (c) any hydrogenated edible oil sold or advertised under the name of 'Vanaspati' or 'Vanaspati ghee' shall be deemed to be sold by a name which belongs to another article of food.

Explanation 2.—For the purpose of sub-clause (e), if a claim is made for an article of food that it possesses certain qualities, the burden of proving that the claim is not false shall lie upon the person making such a claim."

["**व्याख्या १.**—उपखण्ड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई भी जमाया हुआ खाद्य तेल 'वनस्पति' या 'वनस्पति घी' के नाम से बेचा गया या विज्ञापित अन्य खाद्य पदार्थ के नाम से बेचा गया समझा जायेगा ।

व्याख्या २.—उपखण्ड (ङ) के प्रयोजन के लिये यदि किसी खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में यह दावा किया जाये कि उसमें अमुक गुण हैं तो यह सिद्ध करने का दायित्व उस प्रकार का दावा करने वाले व्यक्ति का होगा कि वह दावा झूठा नहीं है"]

श्री राघवाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति ६ में, "manufacturing" ("निर्माण करने वाला") यह शब्द निकाल दिया जाये ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति २१ में, "use" ("प्रयोग") के स्थान पर "beings" ("प्राणी") रखा जाये ।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति २१ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये —

(XVI) "Health Officer" means an officer incharge of health administration in a region or a local area of a state by whatever name he is called;

(XVII) "ghee" means animal fat derived from the milk of a cow or buffalo.

['(१६) "स्वास्थ्य पदाधिकारी" का अर्थ किसी राज्य के किसी प्रदेश या स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रकाशन का प्रभारी पदाधिकारी है चाहे उस का नाम कुछ भी हो;

(१७) "घी" का अर्थ गाय या भैंस के दूध से निकाली गई पशु की चर्बी है।']

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए।

श्री एन० एस० जैन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण) : मैंने आज ही खंड २ के बारे में एक निरापद संशोधन की सूचना दी थी; मैं स्वीकार करता हूं कि वह सूचना समय के भीतर नहीं थी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य नियम जानते हैं। यदि इस प्रकार के संशोधन खण्ड पर विचार किये जाने वाले दिन ही दिये जाते हैं और यदि सरकार उन्हें स्वीकार करने के लिए तत्पर है तो बिना सूचना दिये ही मैं उन की अनुमति दे दूंगा अन्यथा वह अनियमित हो जायगा !

संशोधनों के आने पर हम यह देखते हैं कि क्या वे नियमानुकूल हैं अथवा नहीं। इस समय हम खंड २ से सम्बन्धित संशोधनों की चर्चा कर रहे हैं, यदि माननीय मंत्री सहमत नहीं हैं तो इन पर विचार नहीं किया जा सकता।

राजकुमारी अमृतकौर : मैंने तो उन को देखा ही नहीं है।

सभापति महोदय : वस्तुतः संशोधन की एक प्रति भारसाधक मंत्री को भेज दी जानी चाहिए। संशोधन का अवलोकन किये बिना इस के बारे में वे कुछ नहीं कह सकतीं। हो सकता है कि वह संशोधन स्वीकार करने योग्य हो किन्तु जब तक वह इसे देख नहीं लेतीं तब तक उन के सहमत होने की आशा नहीं हो सकती।

श्री एन० एस० जैन : यदि सभी संशोधन आज समाप्त नहीं होते तो माननीय मंत्री इस पर विचार कर सकती हैं।

सभापति महोदय : तब यह संशोधन समय के भीतर समझा जायगा। अब प्रश्न यह है कि सूचना के आधार पर क्या वह नियम विरुद्ध समझा जाय अथवा नहीं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : आज मैं ने जो संशोधन दिये हैं वे खण्ड १६ आदि के बारे में हैं।

सभापति महोदय : ये सभी संशोधन प्रस्तुत कर दिये गये हैं। क्या माननीय मंत्री उन्हें एक एक करके लेंगी अथवा अन्त में सभी को एक साथ निपटायेंगी ?

राजकुमारी अमृतकौर : मेरा विचार है कि प्रत्येक पर अलग अलग से विचार किया जाय।

सभापति महोदय : अब हम संशोधन, संख्या ४९ जो श्री मूलचन्द दुबे का है, लेंगे।

राजकुमारी अमृतकौर : मेरा विचार है कि "गुण" शब्द के महत्व को ध्यान

में रख कर उस के स्थान पर 'शुद्धता' शब्द रखना व्यर्थ है। "गुण" में 'शुद्धता' निहित है अतः अधिनियम में बेकार के शब्द नहीं भरने चाहिएं।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं निवेदन करता हूं कि "Substance" (तत्व) शब्द के पश्चात् "Quantity" (मात्रा) शब्द रखा जाय। मेरा अभिप्राय यह है कि जहां 'किस्म, तत्व, तथा गुण श्रेणियां दी हैं वहां चौथी श्रेणी 'मात्रा' और होनी चाहिए। यदि किसी खाद्य के कुछ प्रतिशत तत्व उस में नहीं होते और उसके स्थान पर कुछ और ही होता है तो निश्चय ही यह मिलावट (अपमिश्रण) है। उस अमुक खाद्य का गुण उस की मात्रा पर भी प्रभाव डालेगा।

सभापति महोदय : यदि केवल मात्रा का ही प्रश्न है तो यह धोखा होगा, किन्तु साथ ही यदि उस खाद्य के गुण को बनाने वाले काफ़ी अंश नहीं हैं तो वर्तमान परिभाषा के अनुसार यह निश्चय ही मिलावटी खाद्य होगा।

राजकुमारी अमृतकौर : हमारा सम्बन्ध तो उस खाद्य के गुण से ही है और यदि मात्रा उस की काफी नहीं है तो इस का प्रभाव उस के गुण पर पड़ता है जो कि एक प्रकार से अपराध है। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करती।

श्री एस० वी० रामस्वामी : तब मैं अपने संशोधन के बारे में आग्रह नहीं करता।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री बोगावत का संशोधन संख्या ४ भी सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब हम संशोधन संख्या ५० जो श्री मूलचन्द दुबे का है, लेते हैं।

श्री मूलचन्द दुबे : मेरा यह संशोधन कि पृष्ठ १ पंक्ति १७ में "Prejudice" (प्रतिकूल) के स्थान पर "disadvantage" (हानि) शब्द रखा जाए एक मौखिक संशोधन है, कह नहीं सकता कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे अथवा नहीं।

राजकुमारी अमृतकौर : "हानि" शब्द की उपेक्षा "प्रतिकूल" अधिक उपयुक्त एवं व्यापक है।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मेरा संशोधन संख्या ५ इस प्रकार है कि पृष्ठ १ पंक्ति २२ में "Substance" (तत्व) के पश्चात् "or colourable imitation" (जाली नकली वस्तु) रखे जायें।

राजकुमारी अमृतकौर : इस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं करती।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं इस पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र : मेरा संशोधन संख्या ८० मौखिक है। मैं चाहता हूं कि पृष्ठ १, पंक्ति २८ में "has been" (किया गया है) के पश्चात् "mixed or" (मिलाया अथवा) शब्द जोड़ दिए जाएं ताकि उसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाए।

राजकुमारी अमृतकौर : "Substituted" (रखना) शब्द में "मिलाया गया" शब्द भी निहित है । यदि आप यह एक वस्तु के स्थान दूसरे वस्तु रखते हैं । तो इसका अभिप्राय यह होगा कि उसमें मिलावट है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं संशोधन को वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं भी अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

श्री कृष्ण चन्द्र : मेरा संशोधन संख्या ८१ निम्न है :

कि पृष्ठ १, पंक्ति २३ तथा २४ में से "So as to affect injuriously the nature, substance or quality thereof" (ताकि किस्म, तत्व अथवा गुण पर घातक प्रभाव डाले) शब्द निकाल दिये जायें ।

मैं चाहता हूं कि ऐसे तत्वों का मिलाना भी, जो चाहे घातक न भी हों, अपराध घोषित कर दिया जाय । इसलिए इन शब्दों को निकाल दिया जाय ।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं इस संशोधन की स्वीकार नहीं करती, यह आवश्यक नहीं है ।

सभापति महोदय : जब माननीय मंत्री ने एक संशोधन का उत्तर दे दिया है उसके पश्चात् माननीय मंत्री से मैं कोई ऐसा उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता जिसे कि आप सन्तोषजनक समझें ।

श्री एन० एस० जैन : इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : अच्छी बात है

श्री एन० एस० जैन : प्रधान जी, मैं नहीं समझता कि क्यों इस तरमीम को मंजूर नहीं किया जाता । जो कानून के तरीके से इसको देखा जाय तो मैं समझता हूं कि अदालतों में इस पर एक बहुत बड़ी बहस हो जायेगी अगर कोई मुकदमा इस कानून के अन्दर गया कि किसी चीज की मिलावट दूसरी चीज से करने में उसकी नेचर, सब्स्टेंस या क्वालिटी में कोई इंजूरियस इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ । मेरा ख्याल यह है कि कानून को जितना सीधा बनाया जाय और जितना साफ बनाया जाय वह ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि वकीलों को मौका दिया जाय और अदालतों को मौका दिया जाय कि उस पर नुक्ताचीनी करें और उसके ऊपर बहुत सी रूलिंग्स और कानून बनें । मैं समझता हूं कि मंत्रिणी महोदया फिर इस पर ग़ौर करेंगी और अच्छा हो अगर वह अपने लीगल एडवाइज़र्स से भी मशविरा कर लें । अगर यह कानून ऐसा ही रहेगा जैसा कि इस वक्त मौजूद है तो यकीनन यह नतीजा होगा कि इस में बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी होगी और दूसरे फरीक को बहस का मौका मिल जाएगा । मेरा ख्याल है कि यह लफ्ज इंजूरियस ही सब झगड़े की जड़ है । इसको निकाल दिया जाय । मैं समझता हूं कि मेरे जो और वकील भाई हैं वह इसको और बेहतर तरीके से बतला सकेंगे कि अगर यह कानून ऐसा ही रहा तो इसमें यह बहस की जा सकेगी कि ऐसा करने से यह दावा कायम नहीं होता । इसलिए मैं फिर अर्ज करूंगा कि इस पर ग़ौर किया जाय और मैं चाहता हूं कि मंत्रिणी महोदया इस पर ग़ौर करके मुनासिब तरमीम कर दें जिस से कि मामला साफ

हो जाय कि अगर कोई भी चीज मिला दी जाए तो वह आफेंस हो जाएगा वह पाप हो जाएगा । मैं चाहता हूं कि कानून बनाते वक्त इसको साफ कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा बजाए इसके कि इसको वकीलों के लिए छोड़ दिया जाय ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़, पूर्व व जिला बलिया, पश्चिम) । अगर दूध में चीनी मिला दी जाये ?

सभापति महोदय : इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है । क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन के बारे में आग्रह करते हैं अथवा इसे मतदान के लिए प्रस्तुत कर दूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं अग्रह नहीं करता ।

सभापति महोदय : सूची संख्या २, संशोधन संख्या ६ अनियमित घोषित हो चुका है उसी प्रकार संशोधन ५२, ५३ तथा ५४ भी अनियमित हो चुके हैं । अब हम सूची संख्या ४ संशोधन संख्या ८२ लेते हैं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल (ज़िला पीलीभीत व जिला बरेली--पूर्व) : हमारा यह आशय है कि "रंग देने का कोई पदार्थ, जो कि विहित नहीं है किसी मात्रा में मिलाया जाये तो अपमिश्रण कहलायेगा, परन्तु यदि उसकी अनुमति है तो वह निश्चित मात्रा में होनी चाहिये" विधेयक की भाषा से यह आशय स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता, इसलिए आशय को प्रकट करने के लिए मैंने इसे दो भागों में विभाजित कर दिया है ।

राजकुमारी अमृतकौर : मेरे विचार में तो विधेयक का वाक्यांश बिल्कुल स्पष्ट है, और माननीय सदस्य जो कहना चाहते हैं वह वास्तव में इसमें निहित है । उनके प्रस्ताविक शब्दों के बढ़ाने से तो और भी भ्रान्ति होगी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : मैं इस संशोधन पर आग्रह नहीं करना चाहता ।

मेरा संशोधन संख्या ८३ मौखिक है । मैं उस पर भी आग्रह नहीं करना चाहता ।

संशोधन संख्या ८४ सभा की अनुमति से वापस लिया गया

श्री एस० वी० रामस्वामी : 'खाद्य' शब्द की जो परिभाषा यहां दी गई गई है वह कानों को खटकने वाली और अकलात्मक है । 'खाद्य' से अभिप्रेत वह वस्तु है जिसे पुरुष स्त्री व बच्चे 'खाद्य पदार्थ' तथा पेय के रूप में लेते हों ।

राजकुमारी अमृतकौर : म इसे स्वीकार करती हूं ।

संशोधन संख्या १२ स्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या ८५ तथा ८६ सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

सभापति महोदय : अब हम सूची संख्या ३ के संशोधन संख्या ५६ को लेते हैं ।

श्री मूलचन्द दुबे : मेरा निवेदन यह है कि "टाउन एरिया" (नगर क्षेत्र) को भी सम्मिलित कर लेना चाहिये ।

राजकुमारी अमृतकौर : "नोटीफाइड एरिया" (अधिसूचित क्षेत्र) में "टाउन एरिया" (नगर क्षेत्र) आ जाता है ।

सभापति महोदय : उपखंड (२) बहुत व्यापक है । हालाकि 'नगर क्षेत्र' 'अधिसूचित क्षेत्र' से काफ़ी भिन्न है किन्तु फिर भी उपखंड २ के अन्तर्गत यह आ सकता है । राज्य सरकारों द्वारा इस उपखंड (२) में 'टाउन एरिया' शब्द जोड़ा जा सकता है ।

राजकुमारी अमृतकौर : इन सभी बातों को दृष्टि में रखकर उपखंड (२) में हमने 'कोई अन्य स्थानीय एरिया' शब्द रखे हैं ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं इसका प्रस्ताव नहीं करता ।

राजकुमारी अमृतकौर : संशोधन संख्या ८८ में माननीय सदस्य "false" (झूंठा) शब्द के स्थान पर 'incorrect' (गलत) शब्द रखना चाहते हैं ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ

श्री दाभी : मेरा संशोधन, व्याख्या १ तथा २ के खंड २ (९) के उपखंड (ग) तथा उपखण्ड (ङ) में क्रमश: जोड़ने क बारे में है ।

यह खंड, किसी व्यक्ति को एक खाद्य वस्तु को दूसरी खाद्य वस्तु का नाम देने से रोकता है ।

ये वनस्पति निर्माता उद्जनित खाद्य तेलों को, जो जमाये हुए तेलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं ह बनस्पति नाम देकर जनता को धोका और गुमराह करते हैं । कुछ कहेंगे कि वनस्पति तो बनस्पति है । इसलिए यह खाद्य वस्तु हैं ।

आप कहेंगे कि आगे से उद्जनित तेलों को बनस्पति नहीं कहा जा सकता । मैं यह स्पष्ट कराना चाहता हूं कि आगे से इन्हें वनस्पति नहीं कहा जायेगा । अब तक "वनस्पति घी" के नाम का चलन था । इस व्याख्या संख्या १ के द्वारा मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उद्जनित तेलों को 'वनस्पति' अथवा 'वनस्पति घी' नहीं कहने देना चाहिए । वे 'डालडा' या अन्य नाम देकर इन्हें पुकार सकते हैं । बहुत दिनों से, कुछ वर्षों से यह नाम चला आ रहा है; किन्तु अब इस नाम का प्रयोग करने की आज्ञा निर्माताओं को नहीं देनी चाहिए । इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है । वे 'वनस्पति' के अतिरिक्त कोई अन्य नाम का प्रयोग कर सकते हैं । म आशा करता हूं कि व्याख्या १ संबंधी इस संशोधन को सरकार स्वीकार करेगी ।

सभापति महोदय : पहले हम व्याख्या संख्या २ पर विचार करेंगे । क्या माननीय मंत्री को कुछ कहना है ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस विधेयक में यदि हम एक वस्तु का नाम लेते ह तो हमें और भी बहुत सी वस्तुओं का नाम देना पड़ेगा । इस विधेयक का प्रयोजन मिलावट को रोकना है । यहां जो परिभाषा दी गई है उस में सब बातें आ जाती हैं । सरकार यह आदेश जारी कर चुकी है कि 'वनस्पति' को घी के नाम से न बेचा जाये । इस लिए विशेषरूप से किसी एक वस्तु का नाम देना मैं उचित नहीं समझती हूं ।

श्री दाभी : क्या माननीय मंत्री ने कहा है कि हम उद्जनित तेलों के लिए 'वनस्पति' का नाम प्रयोग करना वर्जित कर देना चाहते हैं ?

सभापति महोदय : 'वनस्पति घी' के सम्बन्ध में माननीय मंत्री का कहना है कि अब इस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है । क्या मैं समझूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करना चाहते हैं ?

श्री दाभी : मैं आग्रह करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

श्री दाभी : अब मैं अपने संशोधन के दूसरे भाग के सम्बन्ध में कहूंगा । खण्ड २ (९) का उपखण्ड (ङ) कुछ विशेष प्रकार की खाद्य सामग्रियों के सम्बन्ध में झूठे दावे करने पर रोक लगाता है ।

इस प्रकार के झूठे दावे करने वाले विज्ञापनों के कुछ उदाहरण अभी कुछ समय पूर्व श्रीमती इलापाल चौधरी ने आपके सामने रखे थे । मेरा मतलब केवल इतना है कि जब किसी खाद्य-सामग्री का निर्माता अपनी बनाई हुई किसी विशेष खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में दावा करे कि उस में अमुक अमुक गुण हैं और वह दावा झूठा हो तो इस बात के प्रमाणित करने का भार उसी के ऊपर होना चाहिए कि उस वस्तु विशेष में वे सब गुण उपस्थित हैं । अब प्रश्न यह है कि क्या प्रमाण का भार अपराधी पर डाला जाता है । इन परिस्थितियों में तो यही होना चाहिए । यदि हम खण्ड १७ के परन्तुक पर ध्यान दें तो हमें ज्ञात होगा कि मेरा संशोधन इस विधेयक की भावना के प्रतिकूल नहीं है । साक्ष्य अधिनियम भी कहता है कि यदि कोई तथ्य विशेष तत्सम्बन्धी व्यक्ति के ही ज्ञान में हो तो प्रमाण का भार उसी व्यक्ति पर होगा जिस को उस तथ्य विशेष का ज्ञान है । इस विधेयक में भी खण्ड १९ (२) में प्रमाण का भार अपराधी पर ही रखा गया है । हम जानते हैं कि निर्माता तथा व्यापारी सरासर झूठे दावे अपनी वस्तुओं के सम्बन्ध में किया करते हैं और बनस्पति के सम्बन्ध में तो और भी विशेष प्रकार से । इस लिए प्रमाण का भार तो उसी व्यक्ति पर होना चाहिए जो इस प्रकार के झूठे दावे करता है । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मेरा संशोधन स्वीकार कर लें ।

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे खेद है कि मुझे इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है । पहली बात तो यह है कि विज्ञापन इस विधेयक की परिधि में नहीं आते हैं । एक और विधेयक मैं ने रखा है जिस में कुछ विज्ञापनों को लिया गया है । दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने खण्ड १७ तथा १९ का हवाला दिया है परन्तु इन खण्डों की इस खण्ड के साथ तुलना नहीं की जा सकती है । किसी व्यक्ति पर मैं इतना बड़ा भार डालने को तैयार नहीं हूं जितना इस संशोधन के द्वारा किया जा रहा है ।

श्री एन० एस० जैन : जो तरमीम मेरे भाई की एक्सप्लेनेशन के मातहत है मैं समझता हूं कि वह बहुत मुनासिब तरमीम है । मैं अभी इस बिल को देख रहा था । बदकिस्मती से हम लोगों ने इस बिल को बहुत दिन हुए तब देखा था । अब जब यह हाउस के सामने आया है तब से फिर देखा है । इसमें आप देखेंगे कि क्लाज २, ९ ई० में दिया हुआ है :

यदि लेबल पर या अन्य किसी रूप से किसी खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में झूठे दावे किये गये हों तो झूठी मुहर लगाई हुई समझी जायेगी ।

आप मुझे क्षमा करेंगे अगर मैं महज़ एक वकील के नुक्तेनज़र इसके ऊपर रोशनी डालूं । अगर कोई मुकदमा इस सम्बन्ध में अदालत में जाय और उसमें यह सवाल पैदा हो कि आया यह चीज़ जिस के ऊपर मुकदमा चलाया गया है इसके बारे में फाल्स क्लेम किया गया ह या नहीं, तो इसका बरडन आफ प्रूफ प्रासीक्यूटर पर होगा । यह एक ऐसी चीज़ है कि जो फौजदारी के मुकदमों से वाकिफ हैं वह जानते होंगें कि मुलज़िम अगर कुछ भी न कहे और प्रासीक्यूटर बरडन आफ़ प्रूफ को पूरा साबित न कर सके तो मुलज़िम छट जाता है । मैं समझता हूं कि अगर कोई प्रोड्यूसर या मैन्यूफक्चरर फाल्स क्लेम करता ह तो उसको प्रासीक्यूटर के लिए

[श्री एन० एस० जैन]

साबित करना नामुमकिन है क्योंकि यह तो मुलज़िम ही जानता है कि किस लिहाज़ से उसने उस चीज़ के बारे में क्लेम किया है। मेरे भाई ने यह भी कहा कि जो चीज़ जिसके इल्म में होती है वार सबूत उसी पर होता है। लेकिन इसको फौजदारी के मुकदमे में दूसरी तरह से इंटरप्रेट किया जाता है और उसमें मुलज़िम के ऊपर यह वार सबूत नहीं डाला जाता कि वह यह साबित करे कि यह जो चीज़ है और जो उसके बारे में लिखा है वह उसके इल्म में झूठा था बल्कि यह प्रासीक्यूटर को साबित करना पड़ेगा कि जो बात अखबार में या इश्तिहार में या लेबिल पर लिखी गयी वह उस शख्स के इल्म में झूठ थी। मैं समझता हूं इन कानूनी पेचीदगियों को निकाल देना चाहिए और इस कानून को साफ बनाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इस कानून को बनाने वालों के दिलों की सफाई ज़ाहिर हो तो हमको चाहिए कि इसमें वकीलों को लूपहोल न दिये जायं कि वह बड़े बड़े मेहनताने लेकर लोगों को बचाने में कामयाब हो सकें।

श्री अलगू राय शास्त्री : हर कानून में लूपहोल होते हैं।

श्री एन० एस० जैन : यह तो कानून बनाने वालों और वकीलों की अक्लमन्दी की दौड़ है। वकील हर कानून में छिद्र निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमको कानून बनाते वक्त छिद्र दिखाई दें तो हमारा फर्ज़ है कि हम उनको भर दें। मैं अर्ज करूंगा कि यह जो एक्सप्लेनेशन मेरे भाई ने दिया है यह बहुत ही इनाकुअस है और मैं समझता हूं कि इससे कानूनी पेचीदगियों को दूर करने में कामयाबी हो सकेगी। इसके अल्फाज़ ये हैं :

> "यदि किसी खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में दावा किया जाये कि उसमें कुछ निश्चित गुण हैं तो यह प्रमाणित करन का भार कि यह दावा झूठा नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जिसने इस प्रकार का दावा किया हो।"

मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है अगर इसको इस कानून में रख दिया जाय। इसके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बजाय इसके कि प्रासीक्यूटर के ऊपर यह वार सबूत हो कि वह यह साबित करे कि यह क्लेम झूठा है, यह मुलज़िम के ऊपर वार सबूत हो जायगा कि वह यह साबित करे कि यह क्लम सच्चा है। मैं आपके सामने इसकी मिसाल दे सकता हूं। अभी जब एंटी करप्शन के लिए कानून बनाया गया उसमें इस तरह की दफा रखी गयी है कि मुलज़िम को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके पास ऐसे ज़राये थे और ईमानदारी के साथ वह उन चीजों को हासिल कर सकता था कि जिन के बारे में यह कहा जाता है कि यह चीज़ें उसके पास कहां से आयीं। तो मैं यह कहूंगा कि सिवा इस ख्याल के कि चूंकि यह बिल में पहले से मौजूद नहीं है इसको क्यों बढ़ाया जाय कोई ऐसी खास वजह मंत्रिणी महोदया ने नहीं बतलायी कि इसको क्यों न रखा जाय, या मुमकिन है कि मैं सुन न सका होऊंगा। लेकिन अगर इसको रख दिया जायगा तो मेरा ख्याल यह है कि हम उन कमियों को दूर कर देंगे जिनकी वजह से हम देखते हैं कि लोग छूट जाते हैं और बच जाते हैं। मैं

दरखास्त करूंगा कि मंत्रिणी महोदया इस पर फिर गौर फरमायें और इसको मंजूर करने में कोई दिक्कत न डालें ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या १३६ ।

श्री राघवाचारी : मैंने इस संशोधन से पहले इसी प्रकार के एक संशोधन की सूचना दी थी ।

सभापति महोदय : नियम यह है कि यदि एक ही विषय में दो संशोधन हों तो माननीय मंत्री के संशोधन को पूर्ववादिता दी जायेगी । इसीलिये मैंने माननीय मंत्री से संशोधन प्रस्तुत करने को कहा है ।

राजकुमारी अमृतकौर : यदि माननीय सदस्य की इच्छा हो कि यह संशोधन उनके ही नाम से प्रस्तुत किया जाये तो इसका श्रेय उन को ही प्राप्त करने दिया जाये मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राघवाचारी : मैं माननीय मंत्री का बहुत आभारी हूं तथा सभा से इस संशोधन को स्वीकार करने की सिफ़ारिश करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४ पंक्ति ६ में "manufacturing" ("निर्माण करने वाला") शब्द हटा दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम श्री मूलचन्द दुबे का संशोधन लेते हैं कि पृष्ठ ४, पंक्ति २१ में, "use" ("प्रयोग") शब्द के स्थान पर, "beings" ("प्राणी") शब्द रख दिया जाये । क्या यह संशोधन स्वीकार किया जायेगा ?

श्री मूलचन्द दुबे : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : अब हम श्री कृष्ण चन्द्र के संशोधन पर विचार करेंगे ।

श्री कृष्ण चंद्र : इस विधेयक में शब्द "स्वास्थ्य अधिकारी" की परिभाषा नहीं की गई है । स्वास्थ्य अधिकारी विभिन्न राज्यों में विभिन्न संज्ञाओं से पुकारे जाते हैं । इसलिये इस विधेयक में जिस प्रकार "स्वास्थ्य प्राधिकारी" की परिभाषा की गई है उसी के अनुसार मैंने "स्वास्थ्य प्राधिकारी" की परिभाषा इस संशोधन के द्वारा की है । मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा ।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं यह संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । इस प्रकार की विस्तार की बातें स्वीकार करने का अर्थ होगा कि मुझे कितनी ही अन्य बातों को स्वीकार करना पड़ेगा ।

श्री कृष्ण चंद्र : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं ।

सभापति महोदय : और दूसरा भाग कि 'घी' का अर्थ है जानवरों की चर्बी इत्यादि ?

श्री कृष्ण चंद्र : मैं उस पर भी आग्रह नहीं करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(खाद्यमान सम्बन्धी केन्द्रीय समिति)

श्री कासलीवाल (कोटा-झलावाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४ में,

पंक्ति २३ से २८ तक के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रखे जायें

"3. *The Central Committee for Food Standard* (1) The Central Government shall, as soon as may be after the commencement of this Act, constitute a Committee called the Central Committee for Food Standards---

(a) to advise the Central Government and State Governments on matters arising out of the administration of this Act;

(b) to take suitable steps to create a social consciousness among the people regarding food standards; and

(c) to carry out other functions assigned to it under this Act."

३ खाद्यमान सम्बन्धी केन्द्रीय समिति

(१) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यथा शीघ्र एक समिति, जो खाद्यमान सम्बन्धी केन्द्रीय समिति कहलायेगी ।

(क) इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिये;

(ख) जनता में खाद्यमानों के संबन्ध में सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के उचित उपाय करने के लिये; तथा

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत उसको विनियोजित किये गये अन्य कृत्यों को पूरा करने के लिये; गठित करेगी ।"]

इसके सम्बन्ध में मैं बहुत कुछ कह चुका हूं और अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इसे स्वीकार करने को तय्यार हैं ।

१ म० प०

राजकुमारी अमृतकौर : मेरा विचार है कि यह संशोधन आवश्यक नहीं है । जनता में सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के उपाय करना इस समिति का काम नहीं हो सकता । यह समिति सरकार को परामर्श देने के लिये बनाई गई है । सरकार को प्रचार आदि के परामर्श दिये जा सकते हैं । एक अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के उपाय करना संभव भी नहीं है । इस लिये मेरा विचार है कि यह खंड जिस रूप में है उसी रूप में रहने दिया जाये ।

श्री कासलीवाल : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

श्री बी० के० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति २६ में :

"matters" (विषयों) शब्द के पश्चात् "relating proper implementation and" (उचित परिपालन के सम्बन्ध में तथा) शब्द रखे जायें ।

मैं चाहता हूं कि खाद्यमान सम्बन्धी केन्द्रीय समिति के कार्यों की स्पष्ट शब्दों में व्याख्या कर दी जाय । मैं चाहता हूं

कि यह समिति इस बात की जांच करती रहे कि इस अधिनियम के उपबन्धों का किस प्रकार पालन किया जा रहा है। इसलिये मेरा विचार है कि यदि अधिनियम में यह शब्द रख दिये जायें तो इस समिति का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जायेगा। तथा यह और अच्छी तरह से काम करेगी।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं समझती हूं कि इस प्रकार कार्य-क्षेत्र बढ़ाने के स्थान पर और अधिक संकुचित बना दिया जायेगा। इसलिये मैं चाहती हूं कि यह खण्ड जिस रूप में है उसी रूप में रहे।

श्री बी० के० दास : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५ में,

पंक्ति २ के पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें।

"(1) Two representatives of the food industry"

"(क) खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि"

मैं चाहता यह हूं कि चूंकि यह विधेयक खाद्य अपमिश्रण के सम्बन्ध में है इस खाद्य उद्योग के प्रतिनिधियों को रखा जाये। खंड (छ) में कहा गया है "केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित उद्योग तथा वाणिज्य के दो प्रतिनिधि" इसलिये मैं चाहता हूं किसी और उद्योग के बजाय खाद्य उद्योग के प्रतिनिधि नियुक्त किये जायें।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यही स्वाभाविक है कि खाद्य उद्योग के प्रतिनिधि नियुक्त किये जायें न कि किसी ऐसे उद्योग के जिसका विधेयक से कोई सम्बन्ध न हो। इसके अतिरिक्त सरकार विशेषज्ञों को भी नामनिर्देशित करेगी। हमने सदस्यों का उपबन्ध यथासंभव विस्तृत रखने का प्रयत्न किया है। मेरा विचार है शब्द "खाद्य" बढ़ाना आवश्यक नहीं है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४—(केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला)

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५ पंक्ति १९ में 'Laboratory' (प्रयोगशाला) शब्द के पश्चात् at a central place in India' भारत के किसी केन्द्रीय स्थान में) शब्द प्रविष्ट किये जायें।

पृष्ठ ५ में पंक्ति ३२ के पश्चात्

(3) 'all such rules shall be laid on the table of the house within one month of their being framed" (ऐसे सब नियम बनाये जाने के एक मास के भीतर सदन पटल पर रख दिये जायेंगे) शब्द बढ़ाये जायें।

मैं चाहता हूं कि यह प्रयोगशाला भारत के किसी केन्द्रीय स्थान में स्थापित की जाये। इस सम्बन्ध में यदि माननीय मंत्री केवल आश्वासन देने को तैयार हों तो भी मुझे संतोष हो जायगा।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री पहले ही अपने भाषण में यह कह चुके हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं पहले संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

माननीय मंत्री ने खण्ड २३ के संबन्ध में मेरे दूसरे संशोधन के ही समान एक संशोधन की सूचना दी है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि उन को मेरा दूसरा संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी । केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये जायेंगे । विधेयक में इन नियमों को सभा के सामने रखने का कोई उपबन्ध नहीं है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे ।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं एक संशोधन रख रही हूं इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जाने वाले सभी नियम बनाये जाने के बाद यथा शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के सामने रख दिये जायेंगे । क्या आप चाहते हैं कि नियम सम्बन्धी यह उपबन्ध हर खंड के बाद रखा जाये । मेरे संशोधन में कहा गया है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले सभी नियम ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५ से ८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ९—(खाद्य निरीक्षक)

श्री एस० एन० दास (दरभंगा केन्द्र): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६, पंक्ति ४१ तथा ४२ में, "qualifications" (अर्हतायें) शब्द के पश्चात् बढ़ाया जाये, "and in a manner as may be prescribed" (ऐसी रीति से जो विहित की जाये) शब्द प्रविष्ट किये जायें ।

मैं चाहता हूं कि नियमों द्वारा नियुक्ति का ढंग भी निर्धारित कर दिया जाये । सारे खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति किसी बोर्ड के द्वारा की जाये जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा यह कार्य सिपुर्द किया जाये ।

राजकुमारी अमृतकौर : प्रत्येक राज्य के नियुक्ति के नियम तथा उस की प्रक्रिया अलग अलग हैं । वही इसके भी नियम बनावेंगे । मेरे लिए एक केन्द्रीय अधिनियम में इन को निर्धारित करना सरासर अन्याय होगा । हमें यह कार्य राज्यों के लिए छोड़ देना चाहिए ।

श्री एस० एन० दास : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड ९ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १०—(खाद्य निरीक्षकों की शक्तियां)

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७ पंक्ति २३ में, "such article" (ऐसी वस्तु) शब्द के पश्चात् "and shall also enquire from

him the source of the article if any" (और उस से उस वस्तु के निकाले जाने का स्थान भी पूछना यदि कोई हो) शब्द बढ़ाये जायें।

सभापति महोदय, क्लाज १० का जो मंशा है वह यह है कि जो मिलावट हो या है खुराक की चीजों में उस को रोकना। लेकिन विधेयक का मनशा यह है कि जिसके करने में वह चीज होगी वही कानून की गिरिफ्त में आयेगा और जहां से वह चीज चलती है वह गिरिफ्त में नहीं आ सकता है। इसीलिए मैं ने पृष्ठ ७ पर लाइन २३ में अपना यह अमेंडमेंट दिया है। जहां से वह चीज चलती है वहां पर चेक होना चाहिये। इस वक्त के वाकयात को देखते हुए जो चोर की मां है उस को पकड़ा जाय। जहां से वह चीज चलती है वहां पर सारा अडल्टरेशन होता है लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाता लेकिन जो रिटेल डीलर होते हैं, छोटे छोटे दूकानदार होते हैं वे ही पकड़े जाते हैं। जितने चालान होते हैं अगर उनको देखा जाये तो आप पायेंगे कि जितने छोटे छोटे दूकानदार हैं उन्हीं का चालान होता है और जहां से वह चीज चलती है उस को कोई पूछने वाला नहीं है। जहां पर आप ने डिफेन्सेज का मामला लिया है वहां पर आप ने यह कर दिया है कि जो पकड़ा जाये वह अगर यह कह दे कि फलां जगह से लिया है तो वह छूट सकता है। लेकिन यह होता नहीं है। करने वाला जो दूर से यह काम करता है उस को कोर्ट में लाया जाये। इसी को ठीक करने के लिए मैं ने अपना अमेन्डमेन्ट दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को स्वास्थ्य मंत्रिणी जी कबूल कर लेंगी।

राजकुमारी अमृतकौर: यह वस्तु यहां से निकाली गई है इसका पता लगाना खाद्य निरीक्षक का कार्य नहीं है। मैं इस संशोधन को स्वीकार करने को तय्यार नहीं हूं।

श्री हेमराज: मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

राजकुमारी अमृतकौर: मैं इत्मीनान दिलाना चाहती हूं कि ऐसे लोगों का पकड़ना इन्स्पेक्टरों का काम नहीं है। लेकिन जिस वक्त कार्रवाई शुरू होगी तो जरूर इस बात की खोज होगी कि कहां से वह चीज आई, उस का मालिक कौन है और उस के खिलाफ हमें करना चाहिये। लेकिन यहां तो इस को नहीं लिखना चाहिए।

संशोधन किया गया।

पृष्ठ ७ में, पंक्ति ३१ के पश्चात् निम्नलिखित वाक्य बढ़ाये जायें—

"Provided further that the food inspector shall, in exercising the powers of entry upon, and inspection of any place under this Section, follow, as far as may be, the provisions of the Code of Criminal Procedure (Act V of 1898), relating to the search or inspection of a place by a police officer executing a search warrant issued under that Code."

["परन्तु और यह कि, खाद्य निरीक्षक, इस धारा के अधीन किसी स्थान में प्रवेश करने या उसका निरीक्षण करने की शक्तियों का प्रयोग करने में, यथासंभव,

दण्ड प्रक्रिया संहिता (१८९८ का अधिनियम ५) के उन उपबंधों का पालन करेगा, जो उक्त संहिता के अन्तर्गत निकाले गए किसी तलाशी अधिपत्र का परिपालन करने वाले किसी पुलिस अफ़सर द्वारा किसी स्थान की तलाशी लेने या उस का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में हैं।"]

—[राजकुमारी अमृतकौर]

इसके पश्चात् लोक-सभा, बुधवार २५ अगस्त, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—321 LSD—3-12-54—285